चौलाई

- चौलाई को चुआ तथा रामदाना भी कहा जाता है। इसे भगवान का भोजन (शुद्ध) माना जाता है। व्रत–उपवास में उपयोग होता है
- किसी गंभीर बीमारी के बाद स्वास्थ्य–लाभ कर रहे लोग चुआ का उपयोग करते हैं। यह सुपाच्य और पौष्टिक भोज्य–पदार्थ है
- रोटी के अलावा, खीर, लड्डू, दलिया और हलवा बना कर इस्तेमाल किया जाता है
- हृदय रोगों में इसका सेवन अत्यंत फायदेमंद है
- हरी पत्तियों का साग आँखों की ज्योति बढ़ाता है
- शरीर में खून की कमी (एनीमिया) हो जाने पर चौलाई का साग गुणकारी माना गया है
- कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन बी–17 और लौह–तत्व से भरपूर है
- लगभग एक दशक पहले तक ही उत्तराखण्ड के गाँवों में रामदाना के बदले नमक लिया जाता था
- उत्तराखण्ड के गाँवों में असोज माह (अश्विन) में एक स्थानीय पर्व को मनाने के लिए चौलाई का पेड़ जरूरी माना जाता था। जिन परिवारों के पास चौलाई का पेड़ ना हो, वे भाँग की टहनी में चौलाई का फूल बाँध कर त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठा होते थे।

हल्दी

- कच्ची हल्दी की गाँठ को चावल के साथ पीस कर लेप बनाया जाता है। लेप को मोच में लगाने से लाभ होता है
- चोट लगने अथवा सूजन आने पर दूध के साथ हल्दी मिला कर पीने से लाभ होता है
- शुभ अवसरों जैसे–शादी, नामकरण, यज्ञोपवीत आदि में हल्दी की गाँठ से बने पीले रंग को शुद्ध माना जाता है
- चर्म रोग में लाभदायक है
- सौंदर्य–प्रसाधनों के निर्माण में उपयोग किया जाता है।

नन्दा

उत्तराखण्ड महिला परिषद् की पत्रिका

उत्तराखण्ड महिला परिषद्, अल्मोड़ा

वर्ष – 13 दिसम्बर 2014 अंक 14

(केवल आंतरिक वितरण हेतु)

© सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रतियाँ : 3,000

प्रकाशक
उत्तराखण्ड महिला परिषद्
द्वारा उत्तराखण्ड सेवा निधि
पर्यावरण शिक्षा संस्थान,
अल्मोड़ा – 263601

प्रकाशन सहयोग
राजेश्वर सुशीला दयाल
चैरीटेवल ट्रस्ट, नई दिल्ली

सभी फोटो
अनुराधा पांडे

परिकल्पना एवं संपादन
अनुराधा पांडे

विशेष आभार
पद्मश्री डा0 ललित पांडे,
उत्तराखण्ड महिला परिषद् से जुड़े
सभी महिला संगठन

सहयोग
डी0एस0 लटवाल, सुरेश बिष्ट
रमा जोशी, चम्पा जोशी, रेनू जुयाल
कमल जोशी, कैलाश पपनै, जीवन चन्द्र जोशी

टंकण
डी0एस0 लटवाल

मुद्रक : एडविस्टा, नैनीताल

उत्तराखण्ड महिला परिषद् सहयोगी संस्थाएं

जनपद	संस्थाएं
अल्मोड़ा	- सीड, सुनाड़ी
	- पर्यावरण चेतना मंच, मैचून
	- राइज, सेराघाट
	- उत्तराखण्ड शिवा शक्ति समिति, दन्यां
बागेश्वर	- पर्यावरण एवं शिक्षा समिति, शामा
	- ग्रामीण उत्थान समिति, कपकोट
चमोली	- शेप बधाणी, कर्णप्रयाग
	- जनदेश, सलना
	- नवज्योति महिला कल्याण संस्थान, गोपेश्वर
	- लोक जागृति विकास संस्था, कर्णप्रयाग
	- लोक कल्याण विकास समिति, सगर
चम्पावत	- पर्यावरण संरक्षण समिति, पाटी
नैनीताल	- जनमैत्री, गल्ला, नथुवाखान
पौड़ी गढ़वाल	- नयारघाटी ग्राम स्वराज्य समिति, बाडियूं
	- नीलकंठ सेवा संस्थान, मलेलगाँव
पिथौरागढ़	- शैक्षणिक ग्रामोन्नति समिति, गणाई-गंगोली
	- मानव विकास समिति, पव्वाधार
	- उत्तरापथ सेवा संस्था, मुवानी
रूद्रप्रयाग	- हिमालयन ग्रामीण विकास संस्थान, ऊखीमठ
टिहरी गढ़वाल	- घनश्याम स्मृति शिक्षा एवं कल्याण संस्थान, बडियारगढ़

पत्रिका में दिये गये विचार लेखक/लेखिका के हैं। परिषद् का इससे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

उत्तराखण्ड महिला परिषद्

उत्तराखण्ड महिला परिषद, उत्तराखण्ड की जागरूक एवं क्रियाशील ग्रामीण महिलाओं का संगठन है जिसने ग्राम समुदाय में विकास की मुख्य–धारा के ढाँचे से अलग एक वैकल्पिक विकास की व्यवस्था और उसके क्रियान्वयन के तौर–तरीके को विकसित किया है। उत्तराखण्ड में ग्रामीण महिलाओं के सबसे बड़े संगठन के रूप में प्रतिष्ठित महिला परिषद् का काम राज्य भर में फैले हुए ग्राम–स्तरीय संगठनों व स्वैच्छिक संस्थाओं ने संभाला है, जो ग्रामीण इलाकों में परिवर्तन लाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।

यद्यपि उत्तराखण्ड में महिला संगठनों के गठन एवं कार्यों की शुरूआत 1988 से हो गयी थी परंतु चार सौ नब्बे महिला संगठनों की सोलह हजार सदस्याओं तथा वीस स्वैच्छिक संस्थाओं की सम्मिलित आवाज से विकास संबंधी समस्याओं को संस्थात्मक, व्यवहारिक एवं वैचारिक मध्यस्थता देने की जरूरत को समझते हुए, 7 फरवरी, 2000 को उत्तराखण्ड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान, अल्मोड़ा में उत्तराखण्ड महिला परिषद् का गठन किया गया। परिषद् की सदस्याओं में जाति, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, उम्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। वड़ी संख्या में पचास वर्ष से अधिक उम्र की महिलायें कभी भी विद्यालय नहीं गयी हैं, परंतु बीस से पचास वर्ष की अधिकतर महिलायें साक्षर हैं और शिक्षा का स्तर प्राथमिक है। गाँवों में जहाँ पूर्व प्राथमिक केन्द्र काम कर रहे हैं, वहाँ सभी लड़कियाँ माध्यमिक स्तर तक पढ़ी हैं तथा हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट तक पढ़ी हुई लड़कियाँ भी काफी संख्या में हैं। कुछ लड़कियों ने शिक्षिका के रूप में कार्य करते हुए बी0 ए0 एवं एम0 ए0 तक शिक्षा पूरी की है। यह जरूरी नहीं है कि गाँव की समृद्ध तथा शिक्षित महिला ही परिषद् की सबसे क्रियाशील सदस्य हो, वल्कि इस जनधारणा के विपरीत कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर या शिक्षित महिला ही अच्छा नेतृत्व कर सकती है, गाँव की प्रौढ़ महिलायें, जो यहाँ की स्थाई निवासी हैं, खेती करती हैं, परिषद् की अधिक क्रियाशील सदस्याएं हैं।

उत्तराखण्ड महिला परिषद्, ग्रामीण महिलाओं के ऊपर विकास कार्यक्रमों को थोपती नहीं बल्कि उन्हें बालवाड़ी शिक्षिकाओं, पुरूषों, अध्यापकों, युवाओं, स्थानीय अधिकारियों तथा अन्य संगठनों से सम्बन्धित महिलाओं से प्रत्यक्ष रूप से मेल–जोल रखने तथा सीखने के अवसर प्रदान करती है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि परिषद् केवल उन्हीं कामों को महत्व दे, जो ग्रामीण/स्थानीय महिलाओं द्वारा स्वयं आयोजित तथा क्रियान्वित किये जा सकें। स्त्री–पुरूष या फिर जातिगत असमानता से सम्बन्धित भावनाएं और बाधाएं खुलकर गोष्ठियों में सामने आते हैं, जो परिषद् द्वारा उत्तराखण्ड में विकास कार्यक्रमों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने की दिशा में एक अनौपचारिक एवं महत्वपूर्ण प्राथमिक कदम है।

जमीन–प्रबन्धन से जुड़े कार्यों में नर्सरी लगाना, चारा उत्पादन, घेराबंदी करना, खाद बनाना, रोकबाँध बनाना तथा जानवरों की मुक्त चराई पर सम्मिलित रूप से रोक लगाना, जंगलों को बचाना, वनीकरण तथा प्राकृतिक सम्पदाओं का पुनरूत्पादन आदि काम सम्मिलित हैं। इसके अलावा पानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान (जैसे–पुराने स्रोतों का जीर्णोद्धार, वर्षा जल संरक्षण, पॉलीथीन की टंकियाँ, फेरो–सीमेंट टेंक आदि) संगठनात्मक तरीके से किया जाता है। स्वास्थ्य और स्वच्छता कार्यक्रमों में शौचालय बनाना, महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, व्यक्तिगत सफाई, घर एवं गाँव की स्वच्छता, पोषण संबंधी जानकारियों को फैलाना एवं संबंधित गतिविधियों का संचालन आदि कार्य सम्मिलित हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक असमानता संबंधी विषयों पर शिक्षा व जागरूकता लाने के लिए गोष्ठियाँ, सेमीनार, कार्यशालायें तथा प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है। परिषद् की अनेक सदस्याएं पंचायत प्रतिनिधि बन कर महिलाओं की आवाज को बढ़ा रही हैं। हर वर्ष परिषद् द्वारा उत्तराखण्ड में लगभग बाइस महिला सम्मेलन आयोजित किये जाते है। साथ ही, महिला साक्षरता एवं शिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया गया है।

संगठन की सदस्याएं उत्तराखण्ड में विकास कार्यक्रमों में नीतिगत बदलाव की माँग कर रही हैं। विभिन्न कार्यक्रम जो कि ग्रामीण विकास, महिला विकास, शिक्षा, खनन, कृषि, जंगल, पानी, आयवृद्धि और पंचायती राज व्यवस्था के लिए बनाये गये हैं, उनके बारे में ग्रामीण महिलाओं की अपनी समझ, जानकारी और अनुभव है। साथ ही, उत्तराखण्ड महिला परिषद् के रूप में काम करते हुए महिलाओं ने विकास के मुद्दे पर अपनी एक वैकल्पिक समझ व कार्य–विधि विकसित की है। इन्हीं अनुभवों को आधार बनाकर उत्तराखण्ड महिला परिषद् की सदस्याएं, सरकारी नीतियों व कार्यक्रमों में बदलाव व सुधार की माँग करती हैं।

अनुराधा पांडे

नन्दा

उत्तराखण्ड महिला परिषद् की पत्रिका

उत्तराखण्ड महिला परिषद्, अल्मोड़ा

वर्ष – 13 दिसम्बर 2014 अंक 14

(केवल आंतरिक वितरण हेतु)

ग्रामीण महिलाओं की कला

महिला साक्षरता एवं शिक्षण कार्यक्रम - 2013-14

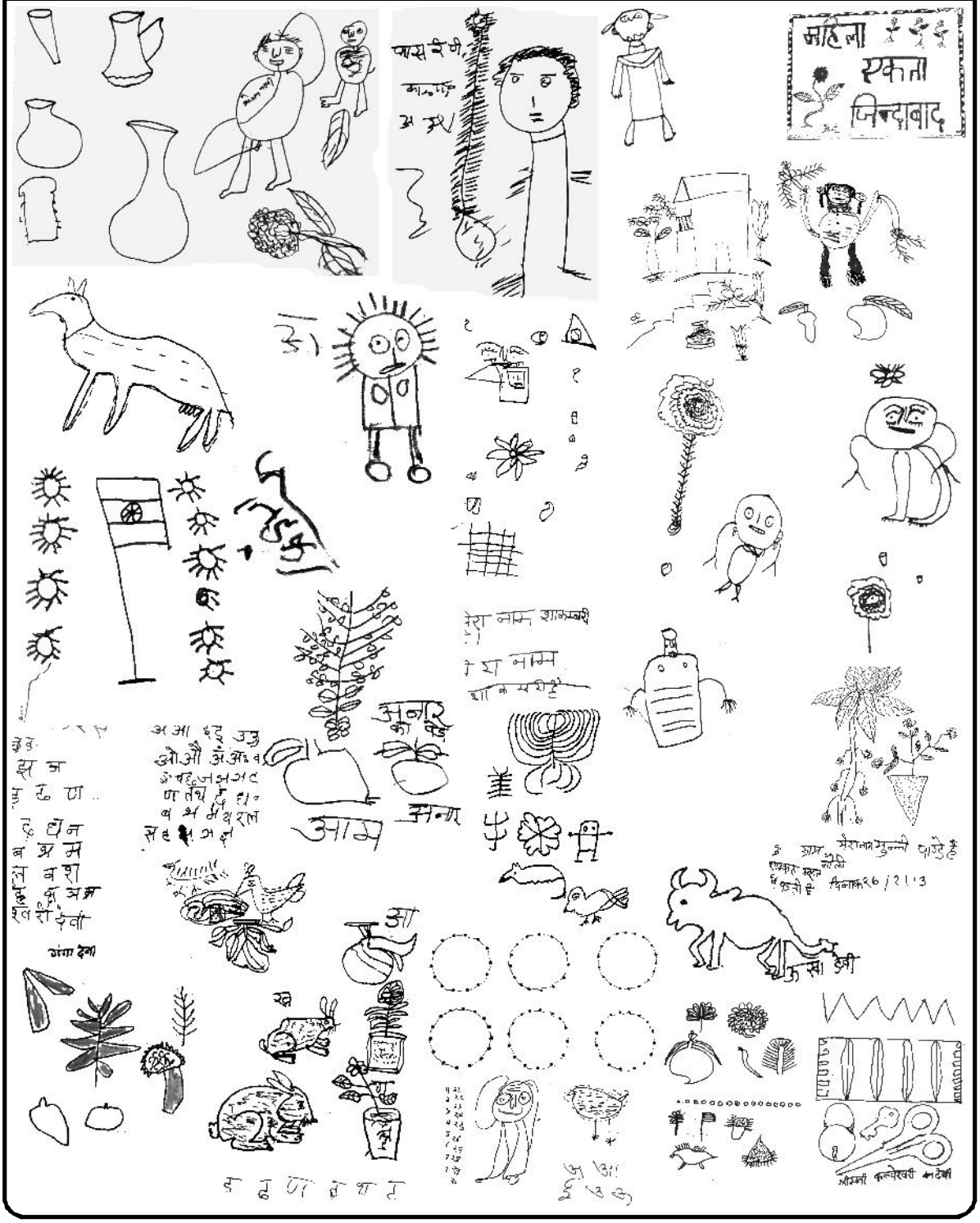

इस अंक में

			पृष्ठ संख्या
	हमारी बातें	अनुराधा पाण्डे, अल्मोड़ा	
1	संगठन से आया बदलाव	पुष्पा पुनेठा, दन्यां, जिला–अल्मोड़ा	1
2	केदारनाथ घाटी में आपदा प्रभावित महिलाओं का काम	कैलाश पुष्पवान, ऊखीमठ, जिला–रूद्रप्रयाग	3
3	जिला पंचायत सदस्य बनने का सफर	गायत्री नेगी, ग्राम पुडियाणी, जिला–चमोली	6
4	अंगरेजियत और हम	कैलाश पपनै, जिला–अल्मोड़ा	8
5	सुन्दर गाँव में जानवरों का आतंक	नीमा सगोई, सुन्दर गाँव, जिला–चमोली	11
6	किशोरियों से	सरिता उप्रेती, दन्यां, जिला–अल्मोड़ा	12
7	प्रौढ़ावस्था में कटी साक्षरता की फसल	स्नेहदीप रावत, बाड़ियूँ, जिला–पौड़ी गढ़वाल	13
8	किशोरी कार्यक्रम से उभरते मुद्दे	राजेन्द्र बिष्ट, गणाई–गंगोली, जिला–पिथौरागढ़	14
9	डिगरी पूज्य	राधा खनका, मुवानी, जिला–पिथौरागढ़	16
10	आधुनिक पत्ती–संग्रह यंत्र	महेश सिंह गलिया, ग्राम गल्ला, जिला–नैनीताल	19
11	जीवन कौशल की जरूरत	अपरा बिष्ट, दन्यां, जिला–अल्मोड़ा	20
12	बेमौसमी सब्जी उत्पादन एवं बागवानी	केदार सिंह कोरंगा, ग्राम शामा, जिला–बागेश्वर	22
13	स्वयं को बदलो तभी समाज बदलेगा	लीला बिष्ट, दन्यां, जिला–अल्मोड़ा	24
14	कृषि से समृद्धि	विनीता भट्ट, ग्राम पम्पतोला, पाटी, जिला–चम्पावत	25
15	महिला साक्षरता एवं शिक्षण	देवकी पाण्डे, ग्राम कोट्यूड़ा, जिला–अल्मोड़ा	27
16	स्वावलंबन की प्रेरणा	रूचिका भट्ट, ग्राम मुनौली, जिला–अल्मोड़ा	29
17	महिला संगठनों का पुस्तकालय में सहयोग	जायसी नेगी, ग्राम पुडियाणी, जिला–चमोली	31
18	असमानता का एक पहलू यह भी	हिना बिष्ट, दन्यां, जिला–अल्मोड़ा	32
19	भेदभाव	गरिमा बिष्ट, ग्राम चिल, जिला–अल्मोड़ा	33
20	जनमैत्री संगठन से बागवानी में सुधार	महेश सिंह गलिया, ग्राम गल्ला, जिला–नैनीताल	34
21	महिला संगठनों में गुणवत्ता	रेनू जुयाल, जिला–अल्मोड़ा	36
22	साक्षरता केन्द्र कोट्यूड़ा	दीपा जोशी, ग्राम कोट्यूड़ा, जिला–अल्मोड़ा	40
23	पंचायतों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी	हेमा नेगी, ग्राम पुडियाणी, जिला–चमोली	41
24	स्वयं में बदलाव	हेमा रावत, ग्राम सुरना, जिला–अल्मोड़ा	44
25	महिला पंच	मुन्नी भट्ट, ग्राम कोट्यूड़ा, जिला–अल्मोड़ा	46
26	भरी मुठ्ठी से फिसलती स्वप्नों की रेत	मीरा नेगी, नयारघाटी, जिला–पौड़ी गढ़वाल	48

27	किशोरियों में वदलाव	लीला बिष्ट, दन्यां, जिला–अल्मोड़ा	50
28	चम्पावत पाटी क्षेत्र से एक पहल	पीताम्बर गहतोड़ी, पाटी, जिला–चम्पावत	52
29	समस्याएं कैसी–कैसी	माया जोशी, बिन्ता, जिला–अल्मोड़ा	55
30	दहेज	दलीपराज, ग्राम सगर, जिला–चमोली	57
31	पर्यटक स्थल देवरियाताल सारी	रेशमी भट्ट, ग्राम सारी, ऊखीमठ, जिला–रूद्रप्रयाग	58
32	स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता	हेमा भट्ट, ग्राम कोट्यूड़ा, जिला–अल्मोड़ा	59
33	किशोरी संगठन	सुनीता गहतोड़ी, पाटी, जिला–चम्पावत	60
34	आपदाएं और उत्तराखण्ड	रविन्द्र कुमार, ग्राम मालई, नन्दासैंण, जिला–चमोली	61
35	मतदान	लक्ष्मी भण्डारी, ग्राम झुरकण्डे, जिला–चमोली	63
36	ये ना सोचूँ राह कहाँ है, बस ये सोचूँ पार है जाना	लक्ष्मी नेगी, ग्राम बधाणी, जिला–चमोली	64
37	ग्राम ग्वाड़	मीना बिष्ट, गोपेश्वर, जिला–चमोली	65
38	दन्यां क्षेत्र का साक्षरता कार्यक्रम	पुष्पा पुनेठा, दन्यां, जिला–अल्मोड़ा	67
39	शिक्षा की आवश्यकता	मनीषा नेगी, बधाणी, कर्णप्रयाग, जिला–चमोली	69
40	घुघुतिया त्यौहार को लेकर उत्साह	सीमा मेहता, ग्राम कानिकोट, जिला–चम्पावत	70
41	दहेज की समस्या	अनीता आर्या, ग्राम बेलक, जिला–अल्मोड़ा	71
42	ग्राम काण्डई	सिद्धि नेगी, गोपेश्वर, जिला–चमोली	72
43	नन्दा राजजात	कमलेश, ग्राम ईड़ा बधाणी, जिला–चमोली	74
44	महिला संगठन धुमरौली	राधा खनका, मुवानी, जिला–पिथौरागढ़	76
45	शिक्षण का एक तरीका यह भी	नीता भट्ट, ग्राम मुनौली, जिला–अल्मोड़ा	78
46	पहाड़ी गीत	महिला संगठन, गोगिना, जिला–बागेश्वर	79
47	पुस्तकालय केन्द्र झुरकण्डे	लक्ष्मी भण्डारी, ग्राम झुरकण्डे, जिला–चमोली	80
48	ग्राम टोली सुन्दर गाँव	अन्जू सगोई, सुन्दर गाँव, जिला–चमोली	81
49	पंचायतों में जन–भागीदारी बढ़ाने के लिए एक अभियान	सरोज महरा, बची सिंह बिष्ट, ग्राम रूंगड़ी, गणाई–गंगोली, जिला–पिथौरागढ़	82

हमारी बातें

सन् 1987–88 में उत्तराखण्ड के गाँवों में फैली हुई छोटी–छोटी स्वैच्छिक संस्थाओं को एक साथ जोड़कर पर्यावरण की सुरक्षा और शिक्षा के उत्थान के विचार से एक रचनात्मक अभियान की शुरूआत हुई। उत्तराखण्ड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान, अल्मोड़ा, ने शिक्षा विभाग, भारत सरकार, के सामने विद्यालयों, ग्राम–आधारित स्वैच्छिक संस्थाओं और स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर शिक्षा में सुधार लाने का प्रस्ताव रखा। चूँकि अस्सी–नब्बे के दशकों में उत्तराखण्ड के पहाड़ी जिलों के दूर–दराज के इलाकों में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, भारत सरकार ने बच्चों की शिक्षा के लिए बालवाड़ी केन्द्र खोलने और विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए सहर्ष स्वीकृति दे दी।

संस्थान ने पर्यावरण शिक्षा का एक नया पाठ्यक्रम (हमारी धरती, हमारा जीवन) विकसित किया। सरकारी विद्यालयों में छात्र–छात्राएं पर्यावरण शिक्षा को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ने लगे। साथ ही, संस्थान ने विद्यालयों में शौचालय बनाये। यह वह समय था जब दूर–दराज के अनेक गाँवों में पहली बार शौचालय बने। ग्रामवासी विद्यालयों में बने हुए शौचालयों को देखने के लिए आते। शौचालय ग्रामवासियों के लिए जिज्ञासा एवं कौतुहल का विषय बन गया। उस वक्त, ग्रामवासी कहते कि गाँवों के चारों तरफ जंगल हैं, खाली जमीन है, उन्हें कमरा बनाने या स्थान विशेष की कोई आवश्यकता नहीं है। शौचालय को "अशुद्ध स्थान" माना जाता। बुजुर्ग शौच के बाद "विशेष स्नान" कर अशुद्ध हो आये शरीर को शुद्ध करने का उपक्रम करते।

स्वैच्छिक संस्थाओं के सामने निरंतर यह समस्या बनी रहती कि ग्रामवासियों को शौचालय बनाने के लिए कैसे प्रेरित किया जाये। संस्थान ने जन–जागरण के लिए नवयुवकों की एक टोली को नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से संदेश फैलाने की जिम्मेदारी दी। इस तरह, गाँव–गाँव में नाटक और स्लाइड–शो आयोजित किये जाने लगे। धीरे–धीरे ग्रामवासियों, खासकर महिलाओं, से बातचीत करते हुए एक प्रभावी तरीका उभर आया। संस्थाओं के प्रतिनिधि पानी की उपलब्धि, साफ–सफाई, स्वास्थ्य और शौचालय–निर्माण के मुद्दों को आपस में जोड़ते हुए महिला संगठनों की गोष्ठियाँ आयोजित करने लगे।

संगठन निर्माण के शुरूआती दौर में गोष्ठियों में बड़ी संख्या में पुरूष और नवयुवक भी शामिल रहते। साफ–सफाई एवं स्वास्थ्य के मुद्दों पर चर्चा होती। उन गाँवों में विशेष ध्यान दिया जाता जहाँ गर्मी और बरसात का मौसम आते ही उल्टी–दस्त की बीमारियाँ फैल जाती थीं। शौचालय न होने की दशा में ग्रामवासी जल–जनित बीमारियों से लगातार पीड़ित रहते थे। उनकी मुश्किलों का कोई अंत ना होता क्योंकि दूर–दराज के गाँवों में इलाज की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। झाड़–फूँक और पूजा–पाठ से बीमारियों को दूर करने के प्रयास किये जाते। किसी को फायदा हो जाता लेकिन कुछ लोग गंभीर रूप से बीमार हो जाते। पीलिया, टाइफाइड,

उल्टी–दस्त आदि जल–जनित रोग हैं, इस तर्क को ग्रामवासी सरलता से नहीं स्वीकारते थे। गोष्ठियों में तर्क–वितर्क, वाद–विवादों का लंबा दौर चलता। अनेकानेक गोष्ठियाँ करने के बाद जरा सा बदलाव नजर आता। खुले स्थानों में शौच करने से नौले–धारे, नदी–गधेरे (जल स्रोत) सभी प्रभावित होते हैं और दूषित जल का असर शरीर पर अनेक तरह से होता है, यह समझ विकसित करने में ही महीनों लग जाते।

धीरे–धीरे गाँवों में निरंतर खुली चर्चाओं और स्वैच्छिक संस्थाओं की मेहनत का असर यह हुआ कि कुछ परिवार शौचालय बनाने के लिए सहमत हुए। संस्थान ने शौचालय की सीट और सीमेंट–सरिया खरीदने के लिए आंशिक मदद की। लाभान्वित परिवारों ने दीवारें एवं छत बनाने, गड्ढ़ा खोदने का काम स्वयं किया। जिन परिवारों के पास दीवार आदि बनाने के लिए धन उपलब्ध नहीं था, वे टिन की चादर या टाट–पट्टी लगाकर शौचालय की जगह को सुरक्षित करने लगे। कभी कोई परिवार दरवाजा लगाने में असमर्थ होता तो मोटे कपड़े का पर्दा लटका कर काम चला लेता। कुछ धन इकट्ठा हो जाने के बाद दरवाजा लगाकर शौचालय को सुधार लेता।

ज्यों–ज्यों गाँवों में शौचालय बनने लगे, कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार स्वयं होने लगा। पड़ोसी एवं आस–पास के गाँवों के निवासी आते–जाते हुए शौचालयों को देखते और उसके उपयोग पर चर्चा करते। निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में सलाह–मशविरा भी हो जाता। इस तरह, ग्रामवासी संस्थाओं से संपर्क करके शौचालय बनाने की इच्छा जाहिर करने लगे। संस्थान द्वारा सिर्फ आठ सौ रूपया प्रति शौचालय की मदद दी जाती लेकिन स्वप्रेरित परिवार स्वयं धन खर्च करने एवं श्रमदान करने से पीछे ना हटते। एक गाँव में किसी ग्रामवासी ने कहा, "आठ सौ रूपये में शौचालय नहीं बनता लेकिन संस्था ने चिंगारी डाल दी है। अब जब तक शौचालय नहीं बन जाता, दिल में चैन नहीं। जैसे चिंगारी से आग फैलती है वैसे ही ये काम भी फैलना ही है।" इस तरह, गाँवों में शौचालय–निर्माण का काम जोर पकड़ने लगा।

तभी कार्यक्रम के लिए आर्थिक मदद दे रहे शिक्षा विभाग ने प्रश्न किया कि पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के तहत शौचालय क्यों बनाये जायें? पर्यावरण शिक्षा का काम तो शिक्षा विभाग की परिधि में है लेकिन महिला संगठनों के माध्यम से शौचालय बनाने का काम तो ग्राम–विकास मंत्रालय के सहयोग से किया जाना चाहिए। ग्राम–विकास के कार्यों में शिक्षा विभाग क्यों मदद करे?

इस प्रश्न के परिणाम दूरगामी थे। प्रश्नों के जवाब देने की प्रक्रिया में भारत सरकार और ग्रामवासियों, खासकर महिलाओं, के बीच संवाद स्थापित हुआ। पर्यावरण शिक्षा संस्थान अल्मोड़ा में शिक्षा विभाग, भारत सरकार, के उच्चतम अधिकारियों एवं ग्रामीण महिला–पुरूषों के बीच बातचीत होने लगी। साथ ही, संस्थान ने पर्यावरण शिक्षा की परिभाषा और भाषा का विस्तार किया।

पर्यावरण शिक्षा का अर्थ सिर्फ किताबी शिक्षण नहीं है। केवल किताबी ज्ञान अर्जित करने की अवस्था में सिमट जाने से विद्यार्थी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं लेकिन इससे दैनिक जीवन में आने वाली समस्याएं हल नहीं होती। खासकर, उत्तराखण्ड में तो जल–जंगल–जमीन और जानवरों से जुड़ी हुई समस्याएं ग्रामवासियों की आजीविका और जीवन–स्तर को गहराई से प्रभावित करती हैं। ऐसी स्थिति में पर्यावरण शिक्षा का महत्व तभी सार्थक होता है जब लोगों की दैनिक जीवन की समस्याएं हल हों, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ रचनात्मक काम हों। इस तरह, शिक्षा विभाग की मदद से ग्रामीण जीवन, पर्यावरण एवं शिक्षा–संबंधी मुद्दों को एक समग्र रूप में देखा जा सका।

धीरे–धीरे महिला संगठनों के माध्यम से शौचालय निर्माण का काम कुमाऊँ–गढ़वाल के पर्वतीय जिलों में विस्तार पाने लगा। इस प्रक्रिया में सामाजिक असमानता से प्रेरित अनेक भ्रांतियों से सामना हुआ। रूढ़ियाँ टूटी और नयी दिशाएं स्पष्ट होती गयी। जैसे–कार्यक्रम की शुरूआत के दौर में महिलाओं को माहवारी एवं गर्भवस्था के दौरान शौचालयों के उपयोग की सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली। अनेक इलाकों में स्त्रियों को बाहर जंगल में जाने को कहा जाता ताकि शौचालय ''अशुद्ध'' ना हों और परिवार के अन्य सदस्य उसका इस्तेमाल कर सकें। ग्रामवासियों के दृष्टिकोण में आ रहा यह बदलाव अत्यंत महत्वपूर्ण था। जिस शौचालय को ''अशुद्ध स्थान'' माना जाता था, अब वही स्थान प्रजनन क्षमता रखने वाली स्त्रियों के ''शरीर की अशुद्धि'' का मानक बनने लगा।

इस बदलाव से संस्था प्रतिनिधियों के सामने एक नयी चुनौती खड़ी हो गयी। परिणामस्वरूप उत्तराखण्ड महिला परिषद् के मार्गदर्शन में प्रजनन की प्रक्रिया, जल की उपलब्धि और शौचालय के उपयोग संबंधी मसलों पर गाँव–गाँव में चर्चाएं शुरू हुईं। धीरे–धीरे, कुछ वर्षों के बाद इन चर्चाओं के सुपरिणाम सामने आये। जिन गाँवों में किशोरियाँ माहवारी के दौरान अलग से बैठी रहती थीं, अब वे रोज विद्यालय जाने लगीं। साथ ही, महिलाओं को शौचालयों के उपयोग की स्वीकृति मिली। किशोरियों और महिलाओं पर लगी सामाजिक रोक की जकड़न ढ़ीली हुई तो इसका सकारात्मक असर शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी हुआ।

उत्तराखण्ड महिला परिषद् से जुड़े हुए तमाम संगठन शौचालय–निर्माण संबंधी सभी निर्णय स्वयं लेते हैं। गाँवों में संगठनों की गोष्ठियों में यह चर्चा होती है कि आर्थिक मदद के लिए प्राथमिकता किसे दी जाये। चूँकि संगठन में गाँव की सभी महिलायें सदस्य होती है, यह निर्णय लेना आसान हो जाता है कि पहले मदद की जरूरत किसे है। बहुधा, गाँव में सबसे गरीब परिवार एवं विधवा और परित्यक्ता स्त्रियों को प्राथमिकता दी जाती है। संगठनों की सदस्याएं पत्थर, बालू आदि सामग्री इकट्ठा करके एकल महिलाओं की मदद करती हैं। इस सहयोग से गाँवों में अकेली रह रही बुजुर्ग स्त्रियों को बहुत फायदा हुआ है।

इस वर्ष संपन्न हुए पंचायती–राज के चुनावों के उपरान्त अब गाँवों के लिए आगामी पाँच वर्षों में विकास के कार्यों का खाका तैयार हो रहा है। संभावना है कि गाँवों में शौचालय–निर्माण का कार्य भी जोर पकड़ेगा। इस वजह से उत्तराखण्ड महिला परिषद् से जुड़े संगठनों की आवाज सुनने और उनके अनुभवों से लाभ ले पाने का मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाता है। संगठनों द्वारा लिये गये निर्णयों से बने शौचालय सिर्फ निर्माण को महत्व नहीं देते बल्कि जन–जागरूकता एवं शिक्षण की भी पैरवी करते हैं। शौचालय की साफ–सफाई, उपयोग के तरीके पर चर्चा करते हैं। यदि गाँव में पानी की कमी है तो भी शौचालय साफ रहेंगे, यह सुनिश्चित करते हैं। पानी की उपलब्धि बढ़ाने के प्रयत्न करते हैं। शिक्षण से समझ बनती है और ग्रामवासी कार्यक्रम को सहज रूप से स्वीकार कर पाते हैं। सिर्फ धन देने से शौचालय बनाने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। आर्थिक मदद के साथ–साथ जागरूकता और शिक्षण अत्यंत जरूरी हैं।

यह एक सुखद विषय है कि राज्य में जून 2014 में संपन्न हुए पंचायती चुनावों में उत्तराखण्ड महिला परिषद् के सहयोग एवं ग्रामवासियों की कोशिशों से लगभग 500 महिलायें प्रधान और पंच मनोनीत हुई हैं। बारह महिलायें क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनी गयी हैं। महिला संगठनों की अध्यक्षा रह चुकी दो महिलायें जिला पंचायत सदस्य के पद का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उम्मीद है, आगामी पाँच वर्षों में महिला पंचायत प्रतिनिधि संगठनों द्वारा अर्जित ज्ञान का उपयोग करते हुए निष्पक्ष–भाव से ईमानदारी के साथ सभी ग्रामवासियों के हित में काम करेंगी। साथ ही, ग्राम–प्रधानों के संगठन की अध्यक्षा चुनी गयी प्रतिनिधि विकास की सोच को ग्रामोन्नमुख योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया से जोड़ते हुए काम करेंगी। क्षेत्र के प्रधानों को नेतृत्व दे रही प्रतिनिधि ना सिर्फ महिला–केन्द्रित विकास के पक्ष में वातावरण बनायेंगी बल्कि समाज को बाँध कर निश्चित दिशा में आगे बढ़ेंगी। उन गरीब परिवारों, स्त्रियों, दलित समुदायों की मदद करेंगी, जिन तक विकास की योजनाएं नहीं पहुँचती। पंचायतों में पहुँची हुई सक्रिय स्त्रियाँ उत्तराखण्ड को निर्मल, स्वच्छ और सहज जीवन जीने योग्य स्थान बनाने में अभूतपूर्व योगदान दे सकती हैं।

नंदा के इस अंक में महिला संगठनों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ–साथ किशोरी संगठनों की सदस्याओं के लेख शामिल किये गये हैं। कक्षा नौ–दस में अध्ययनरत इन किशोरियों ने कार्यशालाओं से अर्जित समझ को आधार बना कर लेख लिखे हैं। निश्चित ही, यह एक सराहनीय कदम है। इसके अतिरिक्त महिला संगठनों की उन सदस्याओं के लेख भी इस अंक में शामिल हैं जो स्वयं कभी भी विद्यालय नहीं गयीं, परंतु किसी अन्य स्त्री की मदद से अपने अनुभवों को लिपिबद्ध कर सकी हैं।

अगले अंक तक शुभकामनाएं,

अनुराधा पाण्डे

संगठन से आया बदलाव

पुष्पा पुनेठा

दन्यां, जिला अल्मोड़ा, के मुनौली गाँव में महिला संगठन अत्यंत सक्रिय है। संगठन की एक सदस्या गंगा पाण्डे जी हैं। उन्हें संगठन से जुड़े हुए काफी समय हो गया है। वह संस्था द्वारा आयोजित की जाने वाली गोष्ठियों में नियमित रूप से भाग लेती हैं। एक बार वे ग्राम–सभा की खुली बैठक में भाग लेने गईं। अपनी समस्या कही।

उनके पास रहने को मकान नहीं था। सिर्फ एक कमरा था। उसकी छत भी टूटने लगी थी। उन्होंने विकास–खण्ड के कार्यालय में जाकर इन्दिरा–आवास हेतु आवेदन किया। ग्राम–सभा की खुली बैठक में ग्राम विकास अधिकारी को कागज सौंपे। फिर सभी उपस्थित लोगों से भी कहा कि उन्हें आवास मिलना चाहिये। सभी ग्रामवासियों ने सहमति दी कि उन्हें मकान की अत्यंत जरूरत है। दस्तावेजों को आगे भेजा जाये।

काफी समय बीत जाने के बाद भी उन्हें आवास की सुविधा नहीं मिली। फिर वह ब्लॉक में ग्राम विकास अधिकारी के पास गई। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जब योजना के अन्तर्गत आवास आयेंगे तो उन्हें इस का लाभ मिलेगा। महीनों बीत गये पर कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई। एक दिन हिम्मत करके वह ग्राम–प्रधान के पास गई और कहा कि अगर उन्हें आवास नहीं मिला तो वे सीधे अल्मोड़ा जिलाधिकारी के पास जायेंगी। अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेंगी। अधिकारियों ने उन्हें डराया और कहा कि अगर वे अल्मोड़ा जायेंगी तो पुलिस मारेगी। बन्द कर देगी। वहाँ महिलायें नहीं जा सकती। गंगा जी ने कहा कि "अल्मोड़ा में उत्तराखण्ड महिला परिषद् की गोष्ठी में हमें बताते हैं कि अपनी लड़ाई खुद लड़ो। मैं जरूर जाऊँगी।"

दूसरे दिन वह स्वयं अल्मोड़ा आ गई। उनके पति भी साथ आये। वे जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, के दफ्तर में गई। जिलाधिकारी ने काफी विस्तार से गंगा पाण्डे जी की बातें सुनीं तथा ब्लॉक के लिये कागज लिखकर दिया। आदेशित किया कि आवास देना जरूरी है। उन्होंने गंगा जी से कहा कि इस कागज को ग्राम–प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी को दिखा दें, उनका काम

हो जायेगा। गंगा जी खुश होकर घर वापस आईं। फिर ग्राम–प्रधान के साथ ब्लॉक के ऑफिस में गई। आवास का प्रस्ताव मंजूर हो गया। मकान बनाने का काम शुरू हुआ। परिवार के सदस्यों ने स्वयं भी मेहनत की। दो कमरों का लेण्टर वाला मकान बना लिया।

गंगा देवी कहती है कि "जब मैं संगठन से जुड़ी, गोष्ठियों में गई तो जानकारियाँ भी बढ़ीं। हिम्मत आई और आत्मविश्वास बढ़ गया। मैंने गोष्ठियों में सभी लोगों के अनुभवों को सुना। तभी तो आज मैं यह साहस–भरा कदम उठा पाई। मैंने अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़ी है। उसमें सफलता भी मिली। अब कोई भी कार्य होता है तो मैं खुद करती हूँ। संगठन की वजह से मुझमें इतना बदलाव आया। आज मैं अपनी बात कह सकती हूँ।"

उत्तराखण्ड महिला परिषद् के सहयोग से उन्हें शौचालय–निर्माण के लिए काम मिला। परिवारजनों ने काफी मेहनत से गढ्ढा बनाया, कमरा बनाया। आज पक्का शौचालय बना लिया है। उसके साथ एक कमरा नहाने के लिए बनाया है। गंगा जी कहती है कि "अब सुविधा हो रही है। घर में सयानी लड़कियाँ हैं। आज के समय में सभी सुविधाओं की जरूरत होती है। हम लोग हर माह अपने संगठन की गोष्ठी करते हैं। संस्था के कार्यकर्त्ता गाँव में आते हैं। हमें नई–नई जानकारियाँ देते हैं। सहयोग देते हैं। गाँव में कोई भी समस्या आती है तो हम लोग संगठन के माध्यम से दूर करते हैं। ग्रामसभा की खुली बैठकों में भाग लेने के लिए जाते हैं। मैं अपना अनुभव सभी महिलाओं को बताती हूँ ताकि वे भी अपने हक के लिए स्वयं आवाज उठा सकें। हम संगठन के माध्यम से मनरेगा का कार्य करते हैं। सही मजदूरी के लिये भी आवाज उठाते हैं। गाँव के सभी कार्यों में संगठन की महिलाओं की हिस्सेदारी रहती है।"

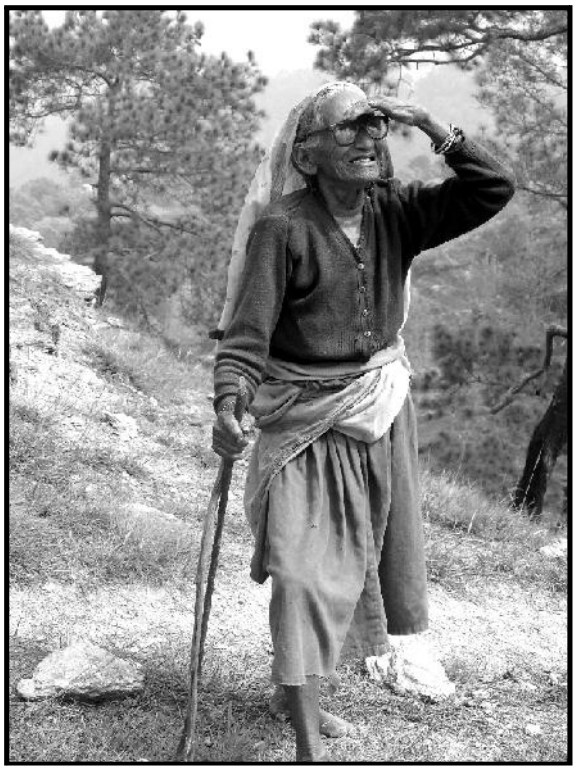

केदारनाथ घाटी में आपदा प्रभावित महिलाओं का काम

कैलाश पुष्पवान

जून 2013 में केदारनाथ घाटी में आयी बाढ़ के बाद हिमालय ग्रामीण विकास संस्था ऊखीमठ ने उत्तराखण्ड महिला परिषद्, अल्मोड़ा के साथ मिलकर महिला संगठनों से जुड़े गाँवों जैसे–किमाणा, पठाली, डुंगर–सेमला, मंगोली, चून्नी, सारी, करोखी, दिलमी, रोडू आदि का भ्रमण किया। इस भ्रमण में उत्तराखण्ड महिला परिषद् से अनुराधा पाण्डे, सुरेश बिष्ट और धरम सिंह लटवाल जी आये थे। सभी ने गाँव–गाँव जाकर महिलाओं एवं आपदा से प्रभावित घरों में पीड़ितों को सान्त्वना दी।

इसी क्रम में क्षेत्र के द्वितीय भ्रमण के दौरान स्वयं मैंने, श्रीमती लक्ष्मी पुष्पवाण एवं श्रीमती यशोदा पंवार ने हर महिला संगठन की सदस्याओं के साथ बातचीत की। इस बातचीत से यह निष्कर्ष निकला कि त्वरित की जाने वाली मदद के संदर्भ में महिलाओं के साथ बुनाई–प्रशिक्षण का काम हो सकता है।

उत्तराखण्ड महिला परिषद्, अल्मोड़ा द्वारा हमें छः बुनाई की मशीनें उपलब्ध हुई। सर्वप्रथम हिमालयी ग्रामीण विकास संस्था के कार्यालय ऊखीमठ में दो माह की अवधि के लिए एक बुनाई–प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया। इसमें नौ महिलाओं एवं दस किशोरियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

दूसरा प्रशिक्षण केन्द्र पठालीधार गाँव में खोला गया। इसमें आठ महिलाओं एवं तीन किशोरियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। तृतीय प्रशिक्षण केन्द्र ग्राम रोडू में खोला गया। इसमें सात महिलाओं एवं पाँच किशोरियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। चौथा प्रशिक्षण केन्द्र किमाणा गाँव में खोला गया है। इसमें आठ महिलायें एवं छः किशोरियाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। तालिका में बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों का सितम्बर 2014 तक का विवरण दिया गया है:

ग्राम पठाली

मेरा नाम श्रीमती सरस्वती देवी है। मैं महिला संगठन पठाली की सदस्या हूँ। महिला संगठन पठालीधार हिमालयन ग्रामीण विकास संस्था, ऊखीमठ एवं उत्तराखण्ड महिला परिषद्, अल्मोड़ा से चार साल से अधिक समय से जुड़ा हुआ है। संस्था द्वारा ऊखीमठ में बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया।

माह अप्रैल और मई 2014 में हमारे गाँव से तीन महिलायें एवं एक किशोरी ने बुनाई का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनमें से दो महिलाओं के पति केदारनाथ में आयी आपदा में मृत हुए थे। हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारने एवं स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होने का साहस देने के लिए बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र एक अहम् भूमिका निभा रहा है।

क्रम	प्रशिक्षण का स्थल	प्रशिक्षण की अवधि (2014)	गाँव का नाम	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली किशोरियों की संख्या
1	हिमालय ग्रामीण विकास संस्था, ऊखीमठ	अप्रैल–मई	किमाणा	3	2
			पठाली	3	2
			डुंगर–सेमला	1	1
			ब्राह्मणखोली	0	1
			गांधीनगर	0	1
			कुणजेठी	1	0
			फांफन	0	1
			चौड़ा	0	1
			दिल्मी	1	0
			व्यूखी	0	1
कुल				**9**	**10**
2	पठालीधार	जून	पठाली	5	2
			सेमला	3	1
कुल				**8**	**3**
3	रोडू	जुलाई	रोडू	3	3
			दिल्मी	2	1
			करोखी	2	1
कुल				**7**	**5**
4	किमाणा	सितंबर	किमाणा	8	6
कुल				**8**	**6**
संपूर्ण योग				**32**	**24**

मैंने इस प्रशिक्षण में बुनाई की मशीन को ठीक करने के साथ–साथ विभिन्न प्रकार के स्वेटर, स्टॉल, मफलर, टोपी आदि के डिजायनों को बनाना सीखा। विभिन्न प्रकार के धागों से रंगो के संयोजन की कला का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया।

दो माह तक लगातार प्रशिक्षण केन्द्र में आने के बाद मैंने बुनाई का कार्य बहुत अच्छी तरह से सीखा है। मैंने भिन्न–भिन्न प्रकार की टोपियों के मॉडल बनाकर उत्तराखण्ड महिला परिषद्, अल्मोड़ा में भी भेजे थे। वहाँ से हमें बहुत प्रोत्साहन मिला।

सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मैंने स्वयं अपनी बुनाई की मशीन खरीद ली है। विशेषकर बच्चों के लिए टोपी एवं स्वेटर (स्कूल ड्रेस) बनाने का आर्डर मिल रहा है। साथ ही, मेरे काम को देखकर अन्य महिलायें भी बुनाई का कार्य सीखना चाहती हैं।

संस्था ने मेरा कार्य देखा और संतुष्ट होकर ग्राम पठाली–धार की प्रशिक्षिका के रूप में चुना। इससे मेरे आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। मैंने डुंगर–सेमला और पठाली गाँवों की नौ महिलाओं एवं किशोरियों को प्रशिक्षण भी दिया।

ग्राम किमाणा

मेरा नाम श्रीमती रश्मि त्रिवेदी है। मैं महिला संगठन किमाणा की सक्रिय सदस्या हूँ। हमारा महिला संगठन, हिमालयन ग्रामीण विकास संस्था ऊखीमठ एवं उत्तराखण्ड महिला परिषद्, अल्मोड़ा के साथ विगत चार वर्षों से अधिक समय से जुड़ा हुआ है। केदारनाथ में आयी भीषण आपदा की वजह से हमारी आर्थिक स्थिति चरमरा गयी थी। संस्था के प्रयास से ऊखीमठ में बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गयी। इस बुनाई केन्द्र में हम प्रथम बैच की महिलायें एवं किशोरियाँ माह अप्रैल–मई 2014 में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं।

प्रशिक्षण के दौरान मैंने टोपी, स्वेटर, मफलर, स्कार्फ आदि बनाना सीखा। यह सामान बनाने के साथ–साथ मैंने एक रंग की ऊन से विभिन्न प्रकार के डिजायन बनाना और विभिन्न रंगों की ऊन से तरह–तरह के नमूने बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। साथ ही, बुनाई मशीन में खराबी आ जाने पर उसे ठीक करना भी सिखाया गया।

मैंने अपने पति को खुद की बनाई हुई टोपी एवं स्वेटर भेंट की। उन्हें वह टोपी एवं स्वेटर बहुत पसन्द आयी। प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे प्रोत्साहित करते हुए बुनाई की नयी मशीन देहरादून से मँगवा कर भेंट की।

अब मुझे, विशेषकर बच्चों के लिए टोपी एवं स्वेटर बनाने के आर्डर प्राप्त हो रहे है। मैंने प्रति टोपी रूपया चालीस एवं प्रति स्वेटर रुपया एक सौ पचास का मूल्य रखा है। सितम्बर 2014 तक एक हजार सात सौ पचास रूपये तक की कमाई की है। जाड़े के मौसम में मेरी आमदनी अधिक हो जायेगी, ऐसा अनुमान है।

मैं घर के काम के साथ–साथ इस कार्य को करते हुए, अपने परिवार की आजीविका को बढ़ाने में सहायता कर रही हूँ। साथ ही, मैंने माह जुलाई 2014 से सितम्बर 2014 तक किमाणा गाँव की बारह महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया है।

जिला पंचायत सदस्य बनने का सफर

गायत्री नेगी

मेरा विवाह सन् 1999 में हुआ। उस समय मेरी उम्र अठारह वर्ष की थी। पुडियाणी गाँव में बहू के रूप में आई तो कुछ दिनों तक माहौल अपरिचित सा लगा। धीरे–धीरे गाँव के सभी निवासियों से मिलने–जुलने लगी। गोष्ठियों में भाग लेने लगी। हर महीने की एक तारीख को महिला संगठन की बैठक होती थी। मैं अपनी बात को रखने में हिचकिचाती थी। फिर सोचा कि अगर अपनी बातें न कह सकूँ तो गोष्ठी में आना व्यर्थ है।

कुछ समय बाद साहस करके महिला संगठन की एक गोष्ठी के दौरान गाँव में साफ–सफाई की बात अध्यक्षा से कही। उन्होंने मेरी बात मान ली। उस दिन से पुडियाणी गाँव में हमेशा शादी–ब्याह में सफाई होती है। उस समय संगठन की अध्यक्षा श्रीमती उषा देवी थीं। 2007 में उन्होंने अध्यक्षा पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद महिलाओं ने एक बैठक की और उनका इस्तीफा मंजूर किया। मुझे अध्यक्षा के रूप में मनोनीत किया। हमने श्रीमती उषा देवी को अध्यक्षा पद से विदाई दी। मैं एक साल तक अध्यक्षा के पद पर काम करती रही।

सन् 2008 में क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए महिला सीट आई। मैंने सभी महिलाओं से राय ली। ग्रामवासियों ने सहयोग देने का आश्वासन दिया। जब मैं टिकट लेने गई तो संगठन की दो सदस्याएं मेरे साथ आई। हमने नामांकन किया। उसके बाद महिलाओं के साथ मैं ग्राम सभा कुकड़ई, कोली आदि क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए गई। इसी तरह, एक दिन सभी शुभचिंतकों की कोशिशों से कामयाबी प्राप्त की।

क्षेत्र पंचायत सदस्य बन जाने से काफी खुशी हुई। डरती थी कि मैं तीन ग्राम–सभाओं का कार्य–भार कैसे संभाल सकूँगी। हिम्मत जुटा कर धीरे–धीरे अपने कार्य–क्षेत्र की ग्राम–सभाओं की समस्याओं को देखकर विकास के कार्यों की शुरूआत की। तमाम रास्ते, प्रतिक्षालय, खेल–कूद का मैदान, शौचालय आदि बनवाये।

पुडियाणी गाँव की महिलाओं ने हजारों वृक्षों का एक जंगल पाल रखा है। उस जंगल को पत्रकारों के माध्यम से आगे लाई ताकि अन्य गाँवों की महिलायें भी इस से प्रेरणा ले कर अच्छा, घना जंगल बनायें।

इसी तरह, पंचायतों के माध्यम से पाँच साल तक विकास के कार्य किये। सन् 2013 में क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल खत्म हुआ। 2014 में जिला पंचायत की महिला सीट आई। क्षेत्र के निवासियों ने मुझसे पुनः टिकट लेने को कहा। मैं जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार के रूप में टिकट ले आई। समस्त क्षेत्रवासियों ने मेरे साथ काफी मेहनत की। हम चौंतीस ग्राम सभाओं में वोट माँगने गये। मेरे गाँव और आसपास के महिला संगठनों की सदस्याओं ने कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग दिया। सत्ताइस जून 2014 को क्षेत्रीय जनता के पूर्ण सहयोग से पुनः विजयी हुई। आज मुझे गर्व है कि क्षेत्र की जनता ने मुझे जिले तक पहुँचाया। चौंतीस ग्राम–सभाओं के विकास की जिम्मेदारी मुझे दी।

मैं नंदा पत्रिका के माध्यम से क्षेत्र की समस्त जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि उन्होंने एक महिला को जो जिम्मेदारी दे रखी है, वह उसे अच्छे ढंग से निभायेगी। मैं उत्तराखण्ड

महिला परिषद्, अल्मोड़ा का तहे–दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। परिषद् ने ग्रामीण महिलाओं को आगे लाने का प्रयास किया। अपनी बात रखने का मौका दिया। इसी वजह से ग्रामीण महिलायें पंचायतों में भाग लेने का साहस जुटा पायी हैं। पचास प्रतिशत आरक्षण का भरपूर फायदा ले रही हैं। मेरा सभी महिलाओं से अनुरोध है कि हम मिलकर समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। सभी के साथ मिलकर अत्याचारों का मुकाबला करें, यही मेरा संघर्ष है, यही लक्ष्य है।

अंगरेजियत और हम

कैलाश पपनै

वर्तमान दौर में गाँवों और कस्बों में ''अंगरेजियत'' का बोलबाला है। यूँ तो हिन्दी शब्दकोष में ''अंगरेजियत'' शब्द दिखाई नहीं देता लेकिन सामान्य बोलचाल में इस शब्द का बड़ा प्रयोग होता है। संभवतः अंगरेजियत शब्द अंगरेज से विकसित हुआ है। ग्रामीण इलाका हो या कस्बा, अंगरेजी के टूटे–फूटे शब्दों में कुछ भी बोल दो तो क्या कहने। आस–पड़ोस, छोटे–बड़े सभी पूछेंगे कि कौन से विद्यालय में पढ़ रहे हो। माँ–बाप के सामने तारीफों के पुल बाँध देंगे कि कितना होनहार बच्चा है, क्या खिलाते हो बच्चों को आदि–आदि। हर अभिभावक अपने बच्चे को अंगरेजियत से सरोबार देखना चाहता है। आज के समाज में अगर कोई बच्चा या वयस्क अंगरेजी में गाली ही दे तो वही अपने गाँव–समाज में कौतुहल का विषय बन जाता है। वाह! क्या अंगरेजी बोलता है! फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या बोल रहा है?

प्रश्न यह उठता है कि ''मे आई गो टू टॉयलेट'' यह वाक्य सिर्फ किसी प्राइवेट विद्यालय में रटकर सीखा गया है या ''गुरुजी! क्या मैं बाहर जा सकता हूँ?'' का सच ''मे आई गो टू टॉयलेट'' के भाव से अलग है? गाँव के सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा बच्चा तहजीब से पेश आये, हाथ जोड़कर शिक्षक से बाहर जाने की आज्ञा ले तो बात आई–गयी हो जाती है लेकिन बच्चे के द्वारा ''गुड–मार्निंग'' कहने या ''मे आई गो टू टायलेट'' के उच्चारण मात्र से घर–समाज में हलचल पैदा हो जाती है। बच्चा तो क्या, विद्यालय तक की चर्चा आम हो जाती है।

उत्तराखण्ड के गाँव अंगरेजियत के प्रभाव से अछूते नहीं। मेरी समझ में तो यही आता है कि अगर आयातित अंगरेजियत से सब कुछ सँवर जाता तो आजादी के बाद से अब तक के सफर में न केवल हर बच्चा अंगरेजी भाषा का माहिर होता, बल्कि अभिभावकों और अध्यापकों के मुखारविंदों से हिंदी या कुमाऊँनी–गढ़वाली बोली नहीं बल्कि अंगरेजी भाषा के ही शब्द सुनायी देते।

अपने आस–पड़ोस की दुनिया में अंगरेजियत का यह रूप कई मामलों में बड़ा अजीब दिखाई देता है। एक बात समझ में नहीं आती कि जब पहले सरकारी विद्यालयों में अंगरेजी की ए, बी, सी, डी कक्षा छः से ही प्रारम्भ होती थी तो लोग कैसे अंगरेजी बोलना सीखते थे? मैं स्वयं कई ऐसे लोगों से मिला हूँ जो बुजुर्ग हैं। पूरे अधिकार के साथ हिंदी, अंगरेजी, संस्कृत आदि भाषाओं को जानते–लिखते और समझते हैं। यह कैसे संभव हुआ? यही प्रश्न एक दूसरे मुद्दे की ओर भी इशारा करता है। आज की शिक्षा व्यवस्था में ऐसी क्या कमी है कि नौनिहाल न ठीक से हिंदी जानते हैं ना अंगरेजी ठीक से बोलते–समझते हैं और ना ही संस्कृत भाषा। कुमाऊँनी, गढ़वाली बोली में लिखना तो खैर छोड़ ही दीजिये।

संध्या केन्द्रों में भ्रमण के दौरान मैंने एक सज्जन से बात की। उनसे पूछा कि वे शाम को अपने बच्चे को केन्द्र में क्यों नहीं भेजते? उनका जवाब स्पष्ट था, "आप अंगरेजी विषय पर तो काम करते ही नहीं हो।" बातचीत चली तो दूर तलक गयी। मालूम हुआ कि उनके पड़ोस का बच्चा जब प्राइवेट स्कूल से घर आकर अपनी माँ को 'मम्मी' कहता है और उनका बच्चा 'इजा' शब्द में ही सिमट जाता है तो घर–परिवार में सभी को कुछ ऐसा महसूस होता है मानो वे पिछड़ गये और बाकी लोग आगे निकल गये हैं।

मैंने एक बार संध्या केन्द्र में बच्चों से पूछा कि उन्हें सबसे अच्छा विषय कौन सा लगता है? एक साथ कई बच्चों ने कहा, "अंगरेजी"। कारण पूछने पर एक बच्चे ने जबाब दिया कि पापा–मम्मी ने कहा है कि अंगरेजी सीखनी ही है। बच्चा मायूस हो गया। कोई अच्छी तरह अंगरेजी पढ़ाता ही नहीं, वह कैसे सीखेगा? इस बात से समझ में आता है कि बचपन को खोखला बनाने का काम किस मुस्तैदी से चल रहा है। बच्चा ना तो मातृ–भाषा और स्थानीय बोली का सम्मान करने की शिक्षा एवं क्षमता पाता है ना ही अंगरेजी भाषा में उसकी पकड़ बनती है। फलस्वरूप आत्महीनता की भावना जड़ जमाने लगती है।

अभिभावक यही सोचकर बच्चे को पढ़ाते हैं कि वह भविष्य में अच्छी नौकरी करेगा। वे यह भी समझते हैं कि अच्छी नौकरी मिलना तभी सम्भव है जब बच्चे को प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाया जाये। पाँच–छः किमी दूर होने के बावजूद दादा–दादी बच्चे का हाथ पकड़कर उसे "अंगरेजी विद्यालय" में छोड़ने और लेने के लिए जाते हैं। गाँव में ही स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को "अंगरेजी कम है" कह कर नकार देते हैं। चाहे सरकारी विद्यालयों में साज–सुविधा प्राइवेट स्कूलों से बढ़ कर रही हो, फिर भी, अभिभावकों को अंगरेजियत का आकर्षण अधिक फीस देकर "अंगरेजी स्कूल" में भेजने को प्रेरित करता है।

मेरी समझ से अगर शिक्षा का आरंभ अपनी बोली–भाषा को साथ लेकर किया जाये तो बच्चों को समझने में आसानी होगी। एक घर में शादी के बाद ससुर जी ने नई बहू से मछली बनाने को कहा। बहू ने मछली को प्रेशर–कुकर में डाला और पाँच सीटियाँ लगा दी। उसके मायके में मछली बनती ही नहीं थी। नयी बहू ससुर के सामने कुछ बोल भी नहीं सकती थी, इसलिए नमक–मसाले के साथ मछली उबाल कर ही "व्यंजन" बना बैठी। यही हाल अंगरेजी का है। घर की बोली से शिक्षा की शुरुआत करें तो यह उम्मीद रहती है कि बच्चे स्थानीय बोली–भाषा को अच्छी तरह सीख जायेंगे। उसके बाद अन्य भाषाएं भी सीख लेंगे। मैं एक भाषा–विशेष का विरोध नहीं कर रहा हूँ बल्कि अंगरेजियत की पोल खोल रहा हूँ। अंगरेजियत को पकड़ कर हम बैठ गए हैं और सोचते हैं कि इसके बिना अब जिंदगी बेगानी है।

मैं एक गाँव में मेहमान बनकर गया था। दिल्ली से आये हुए एक दंपत्ति भी उस शादी में सम्मिलित थे। गाँव–पड़ोस के निवासी उनसे मिलने के लिए पहुँचे। बच्चों की एक टोली भी वहाँ

पहुँच गयी। एक बच्चे ने गुड–मार्निंग कहा और अपना परिचय अंगरेजी में दिया। यह नजारा देखने लायक था। अन्य बातों को छोड़कर चर्चा इसी बच्चे पर टिक गयी। जानकारी ली गयी कि वह बच्चा किसका है, कहाँ से आया है, गाँव में कैसे पढ़ता है। सभी पूछताछ बारीकी से हुई। यह

सब देखकर महसूस हुआ कि वास्तव में अभिभावकों के उपर अंगरेजियत का भूत कितना सिर चढ़कर बोलता है।

एक गाँव में महिला संगठन की गोष्ठी के दौरान संस्था के कुछ साथी आपस में अंगरेजी में बात कर रहे थे। पास बैठी दो महिलायें कहने लगीं, ''कतू दूर बे ऐ रयिं और भलि अंगरेजी बुलाण रयिं। हमर नानतिन तो यस्स भै''। उस भाषा में क्या कहा–बोला गया, वे समझ नहीं पायीं। इस भाषा से उनका कुछ लेना–देना भी नहीं था। उनका जीवन अपनी बोली से चलता–बढ़ता है, लेकिन चाह उनकी भी अंगरेजियत की हो गई।

इस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बचपन के दिन याद आते हैं। जब मेरे गाँव धमेड़ा में कोई दिल्ली से वापस आकर वहाँ की बातें बताता तो कहता कि वह जगह ऐसी है जहाँ यात्री चलती बस से उतरते है और चलती बस में ही चढ़ते है। तब हम सभी बच्चे अनुमान लगाते कि वहाँ पर गाड़ी कभी रूकती ही नहीं होगी। बाल–मस्तिष्क में इसका असर यह हुआ कि मैं युवावस्था में भी कई वर्षों तक दिल्ली जाने से डरता रहा कि कैसे चलती गाड़ी से उतरूँगा और चढ़ूँगा।

इसी तरह, अंगरेजियत से सरोबार नागरिक स्वयं को नये युग के मसीहा से जरा भी कम नहीं समझते। सच्चाई तो यह है कि अनेक भाषाओ का ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है पर अपनी भाषा और बोली में भी कोई कमी तो नहीं।

सुन्दर गाँव में जानवरों का आतंक

नीमा सगोई

मैं सुन्दर गाँव में रहती हूँ। यह गाँव कर्णप्रयाग विकासखण्ड के चमोली जिले में स्थित है। मेरा जन्म गाँव में ही हुआ। बचपन में मैंने कभी भी गाँव में जंगली जानवरों के आतंक के बारे में नहीं सुना था। अब हालात बदल गये है। जंगली जानवरों द्वारा आसपास के गाँवों में नुकसान पहुँचाये जाने की घटनाओं को सुनने के साथ–साथ उनके बढ़ते हुए आतंक को मैंने स्वयं महसूस किया है। इस कथन को एक उदाहरण देकर स्पष्ट किया जा सकता हैः

तीन साल पहले की बात है। मेरे ही गाँव में सीता देवी सगोई नाम की एक महिला रहती थी। उनके दो छोटे–छोटे बच्चे हैं। तीन साल पहले लड़की की उम्र छः साल और लड़का पाँच महीने का था। वे जंगल अकेली जाती थी। उन्हें अकेले जाकर जल्दी से काम निपटा लेना पसंद था। वे गपशप में समय बरबाद करना पसंद नहीं करती थी। हर समय कुछ ना कुछ काम करती रहती थी।

एक दिन वे गाँव के पास ही जंगल में घास काटने के लिए गयीं। घास काटने में इतनी खो गयी कि भालू के आने की आहट नहीं सुनाई दी। घास काटते–काटते उन्होंने सिर ऊपर उठाया तो सामने एक बड़ा भालू खड़ा था। भालू आगे बढ़ा और सीधे उन पर झपट पड़ा। सीता देवी अपना बचाव नहीं कर पायीं, फिर भी वह भालू से लड़ने लगीं। भालू आकार में बड़ा और ताकतवर था। वह अधिक देर तक भालू से मुकाबला नहीं कर सकी।

उसी समय जंगल के सामने फैले हुए खेतों में एक लड़की और उसकी माँ घास काट रही थीं। उन्हें ''बचाओ–बचाओ'' का धीमा स्वर सुनाई दिया। साथ ही, भालू की आवाज भी सुनाई दी। वे दोनों डर कर घर की ओर भागी। वे दोनों इतना डर गयी कि कुछ देर तक बोल ही नहीं पायीं। कुछ समय बाद उन्होंने बताया कि जंगल में भालू है और कोई स्त्री मदद के लिए पुकार रही है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब ग्रामवासी जंगल में पहुँचे तो सीता देवी घायल हो चुकी थी। ग्रामवासियो को देखकर भालू वहाँ से भाग निकला।

जब लोगों ने सीता देवी को देखा तो पाया कि उसकी हालत बहुत बुरी थी। उस की एक आँख जमीन पर पड़ी हुई थी और दूसरी आँख लटकी हुई थी। चेहरा जख्मों से भरा हुआ था। भालू ने उसकी नाक नोंच डाली थी और सर के बाल उखाड़ लिये थे। उसका कान काट खाया था। हाथ–पैरों की उँगलियाँ टूटी और कटी–फटी थीं। यह सब देखकर ग्रामवासी रोने लगे। उसे जंगल से उठाकर उसी वक्त कर्णप्रयाग अस्पताल में ले गये। वहाँ पहुँचे तो डॉक्टरों ने कहा कि किसी बड़े अस्पताल में ले जाओ। तब परिजन उन्हें देहरादून ले गये। वहाँ इलाज शुरू हुआ लेकिन वह ज्यादा दिनों तक जीवित ना रही। लगभग एक महीने बाद उस की मृत्यु हो गयी।

उसके छोटे–छोटे बच्चे पीछे छूट गये। कुछ महीनों बाद सीता की सास ने अपने बेटे की दूसरी शादी करने का फैसला लिया। छः महीने के बच्चे को माँ की जरूरत होती है। सभी ग्रामवासी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं।

किशोरियों से

सरिता उप्रेती

गर दुःख माथे का ताज बने,
विषम परिस्थिति श्रृंगार बने।
तो क्या हम जीना छोड़ दें,
तो क्या हम जीना छोड़ दें?
जो बीत गया सो बीत गया,
जो हार गया सो हार गया।
शिक्षा लो उस गुलाब से,
जो काँटों में खिलता है।
भीनी–भीनी खुशबू से,
सारे जग को महकाता है।
गुदड़ी का लाल भी तो कोई,
हमारे बीच ही उभरता है।।

प्रौढ़ावस्था में कटी साक्षरता की फसल

स्नेहदीप रावत

नयार घाटी ग्राम स्वराज्य समिति बाड़ियूँ जिला पौड़ी गढ़वाल ने महिला संगठनों की भागीदारी से ''महिला साक्षरता एवं शिक्षण'' केन्द्रों का संचालन माह जुलाई 2012 से शुरू किया। संस्था के कार्यकर्त्ताओं ने गाँव–गाँव में जाकर चर्चा की। जिन गाँवों में महिलाओं के लिए साक्षरता केन्द्रों की आवश्यकता महसूस हुई, वहाँ सर्वेक्षण किया। उसके बाद गाँवों में गोष्ठियाँ की गयी। इन गोष्ठियों में चर्चा के उपरान्त महिला साक्षरता केन्द्रों के लिए संचालिकाओं का चुनाव किया गया। संचालिकाओं ने उत्तराखण्ड महिला परिषद्, अल्मोड़ा में प्रशिक्षण लिया और माह जुलाई 2012 से महिला साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्रों की शुरूआत हुई।

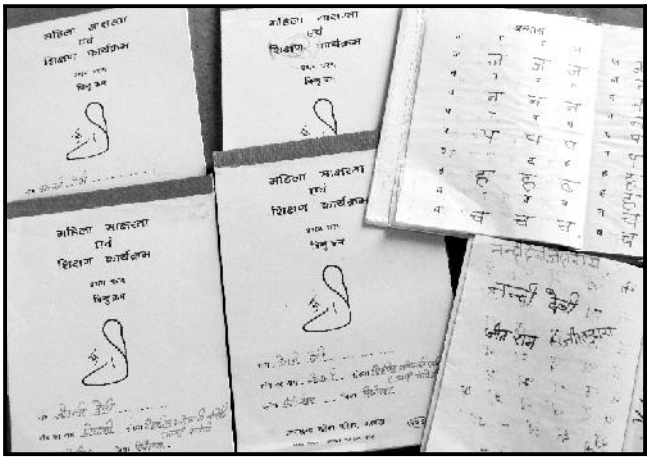

ग्राम काण्डी, कुठार, ग्वाड़ी और हथनूड़ में महिला साक्षरता केन्द्रों की शुरूआत की गयी। इसमें से कुछ गाँवों में तो शुरू से ही काफी तेजी के साथ साक्षरता प्राप्त करने की होड़ लग गयी। जब इण्टर कालेज किनसूर में अभिभावक संघ की गोष्ठी के दौरान हथनूड़ गाँव की महिलाओं ने अंगूठे लगाने के स्थान पर हस्ताक्षर किए तो प्रधानाचार्य श्री देवी लाल जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि संस्था ने वास्तव में महिलाओं को शिक्षित करके सही मायने में विकास का काम किया है। इस बीच एक केन्द्र को ग्राम कुठार से ग्राम तैड़ी में बदला गया।

कार्यक्रम के शुरूआती दौर में ही ग्राम तैड़ी के संगठन की अध्यक्षा जी के पैर की हड्डी टूट गयी। फिर भी, उन्होंने साक्षरता का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिस्तर में लेटे हुए ही पूरा किया। वे अन्य महिलाओं को भी प्रेरित करती रहीं। अन्य महिलाओं ने भी नियमित रूप से बिना कोई दिन गवाँये केन्द्र में आना जारी रखा। ना तो संचालिका को आराम से बैठने दिया ना खुद ही हाथ पर हाथ धर कर बैठी रहीं।

ग्राम ग्वाड़ी में कुछ महिलाओं ने काफी प्रयास करके बहुत ही अच्छा परिणाम हासिल किया लेकिन कुछ बहनें अनियमित रहने की वजह से वांछित मुकाम हासिल नहीं कर पायीं।

काण्डी गाँव की बहनों ने तो एक अनोखा तरीका आजमाया। वे खेतों में फसल बोने–काटने और मजदूरी के काम में व्यस्त रहती थीं। केन्द्र में कम समय के लिए आती थीं।

बावजूद इस बंधन के, वे मनरेगा में मजदूरी के दौरान पत्थरों पर लिखती रहतीं। इसी प्रकार घास व लकड़ी इकट्ठा करने के लिए आते–जाते वक्त रास्ते में जहाँ एक महिला घास काटने का हथियार तेज करती तो दूसरी साक्षरता की धार को आजमा लेती। रात को बच्चे गृहकार्य करते तो स्वयं भी उन के साथ पढ़तीं। महिलायें अपनी जरूरत के अनुसार शब्दों में मात्रायें लगाना, चित्र देखना व बच्चों के साथ–साथ पढ़ने का आनन्द प्राप्त करतीं।

श्रीमती विधाता देवी अनुसूचित जाति की महिला हैं। वे कहती हैं कि ''बच्चे कभी कुछ काम करने को कहते लेकिन मेरा मन पढ़ने को होता, मैं पढ़ाई में ही लगी रहती। अभी तो साक्षरता में बोई फसल को काटना है और देखना है कि किसने कितनी मेहनत की है। अब ये भी देखना होगा कि फसल के कटने पर हमारा परिवार और गाँव कितना खुशहाल होगा।''

महिलायें जहाँ घर, खेती, परिवार, पति, बच्चों को एक साथ जोड़कर रखने की कवायद में जुटी हैं, वहीं साक्षरता कार्यक्रम के माध्यम से अपना मान–सम्मान भी बढ़ा रही हैं।

किशोरी कार्यक्रम से उभरते मुद्दे

राजेन्द्र बिष्ट

शैक्षणिक ग्रामोन्नति समिति ने पिछले वर्ष गणाई–गंगोली क्षेत्र में ग्रामीण किशोरियों के साथ शिक्षण का कार्य शुरू किया। इस दौरान ग्राम–स्तर पर बालिकाओं के साथ गोष्ठियों, शिविरों, सम्मेलनों और विद्यालयों में कार्यशालाओं के आयोजन से संवाद की एक लंबी प्रक्रिया शुरू हुई। यह एक नया अनुभव था। इसका मुख्य उद्देश्य किशोरियों के बीच आपसी संवाद स्थापित करना, उन्हें अपने बारे में सोचने–समझने के अवसर देना तथा संगठन के माध्यम से उनकी परिस्थितियों को समझना एवं समस्याओं को सुलझाना था।

ग्रामीण परिवेश में आज भी लड़कियों के लिये अवसर अत्यंत सीमित हैं। परिवार और समाज में होने वाले भेदभाव, हिंसा, टीका–टिप्पणी, छेड़–छाड़, यौन–हिंसा आदि के बारे में बोल पाना या उसका विरोध कर पाना अत्यंत कठिन है। समाज का ढाँचा ऐसा है कि वह लड़कियों

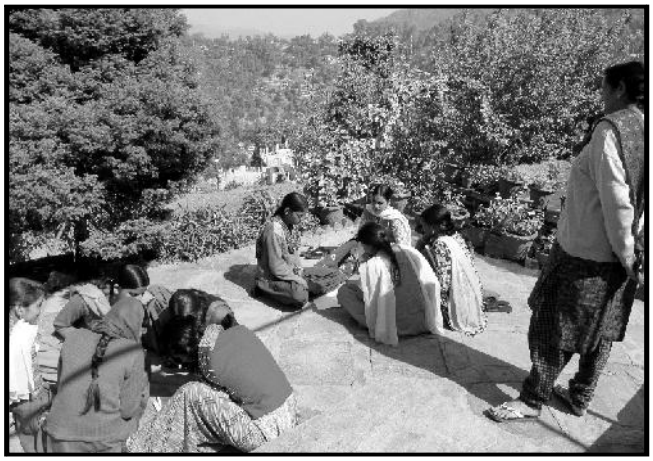

को किसी भी अन्याय के विरूद्ध बोलने से रोकता है। समाज उन्हीं लड़कियों को शालीन मानता है जो चुप रहती हैं। अन्याय के खिलाफ बोलने पर उसे परिवार और समाज की ''इज्जत उछालने वाली'' जैसे संबोधनों से जूझना पड़ता है।

यदि उत्तराखण्ड के पहाड़ी जिलों में हिंसा, छेड़खानी एवं अन्य अपराध कम दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि समस्याएं मौजूद नहीं हैं। समस्याओं से जूझ रही किशोरियाँ और महिलायें या तो अपने साथ होने वाली घटनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती या उन्हें चुप करा दिया जाता है। उनकी बातें कहीं दर्ज नहीं होती, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं हो पातीं।

किशोरियाँ अन्याय और शोषण को समझें, आपस में संवाद करें तथा अपने अनुकूल परिस्थियों के निर्माण में पहल करें, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर पिछले एक वर्ष से संस्था ने काम शुरू किया। इस एक वर्ष के संवाद की प्रक्रिया में कुछ बुनियादी मसले प्रत्यक्ष हुए। भविष्य में इन मुद्दों पर काम करने की जरूरत है–

- लड़कियों के साथ घरों में रोक–टोक, टीका–टिप्पणी, लड़कों से कमतर समझने का दृष्टिकोण व्यापक रूप से विद्यमान है। आज भी सार्वजनिक स्थलों पर बेरोकटोक आना–जाना सम्भव नहीं है
- राजनीतिक बहसों में लड़कियों की भागीदारी नगण्य है। ना ही उनके बीच में इस मुद्दे की समझ बनी है। जब पंचायतों में पचास प्रतिशत महिला आरक्षण की बात करते हैं तो जरूरी हो जाता है कि किशोरियों एवं नवयुवतियों को जागरूक किया जाये
- लड़कियाँ स्वयं को दूसरे के संरक्षण में डाल कर सुरक्षित महसूस करती हैं। परावलंबन का यह भाव उनकी अपनी सोच और गतिविधियों के दायरे को सीमित कर देता है
- लोगों से मिलने, बातें करने से व्यक्तित्व का दायरा बढ़ता है। ग्रामीण लड़कियों के पास ये अवसर उपलब्ध नहीं हैं
- विद्यालयों में शिक्षिकाओं का अभाव है। किशोरावस्था में किशोरियों को जिस सहयोग व मार्गदर्शन की जरूरत होती है, उसके लिये ना समाज में सोच है, ना ही सरकारें इस मुद्दे के प्रति गंभीर हैं

- घरों में लड़कियाँ जिम्मेदारियों से बँधी रहती हैं। जब तक घर के कामों में लड़कों की भागीदारी नहीं बढ़ेगी तब तक लड़कियों के पास आगे बढ़ने के अवसर कम ही रहेंगे
- असुरक्षा की भावना लड़कियों को बाहर निकलने से रोकती है। इस वजह से वे एक सीमित दायरे में रहती हैं। यह कारक उनके व्यक्तित्व के विकास में बाधक है
- लड़कियों की सोच को सामाजिक बहस का हिस्सा बनाना जरूरी है। जब तक उनकी सोच सामाजिक बहस का हिस्सा नहीं बनेगी तब तक उनकी स्थिति में विशेष बदलाव नहीं आयेगा। यह एक चुनौती–पूर्ण कार्य है परंतु समानतापूर्ण समाज की स्थापना के लिये इस दिशा में काम करना जरूरी है
- ग्रामीण विकास के कार्यों में किशोरियों को लेकर कोई विशेष योजना या सोच नहीं दिखाई देती। यदि कोई विशेष योजनायें हैं भी तो उन तक ग्रामीण किशोरियों की पहुँच अत्यंत सीमित है।

किशोरियों के व्यक्तित्व के विकास के लिये ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध किये जाने चाहिए। उन्हें ऐसा माध्यम मिले जिस से वे अपनी बातें आसानी से रख सकें। उनके विचारों को महत्व मिले। विद्यालयों से अर्जित किताबी ज्ञान शिक्षा के अतिरिक्त सामाजिक–राजनीतिक एवं आर्थिक मसलों पर शिक्षण जरूरी है।

डिगरी पूज्य

राधा खनका

पिथौरागढ़ जिले के विकासखण्ड कनालीछीना में एक गाँव है। गाँव में महिला संगठन की सदस्या देवकी ''डिगरी पूज्य'' के नाम से प्रसिद्ध हैं। आठ भाई–बहनों में देवकी चौथे स्थान पर हैं। जब देवकी दीदी की उम्र आठ वर्ष की थी, उनकी माता को लकुवा मार गया। उन्होंने बारह वर्ष तक माँ की सेवा की। अठारह वर्ष की उम्र में बड़े भाई की शादी कर दी। शादी के वक्त भाभी की उम्र बारह वर्ष की थी। माँ की मृत्यु के बाद पिताजी को काफी परेशानी उठानी पड़ी। पिताजी ने दूसरी शादी नहीं की। भाई–बहनों में से कोई ग्वाला जाते, कोई घास काटते। घर में गरीबी थी परंतु खाने के लिए खेतों से ही पर्याप्त मात्रा में मोटा अनाज उपलब्ध हो जाता था।

बड़े भाई ने बारहवीं कक्षा तक पढ़ा। विद्यालय गाँव के नजदीक था। छोटे भाई ने आठवीं कक्षा तक पढ़ा और एक भाई स्नातक बने। विद्यालय भेजने के अलावा भाइयों की पढ़ाई में देवकी ने पिताजी को बहुत सहयोग दिया। कम उम्र के बावजूद वे भाइयों को नियमित रूप से विद्यालय

भेजने, जानवर पालने, और खेती के सभी काम आदि बड़ी लगन से करती थी।

उन्हें खुद भी पढ़ने की इच्छा थी। बचपन में स्कूल जाने के लिए पाठी (स्लेट) में खूब घोटा लगाती थी। पाठी को चिकना करती थी। बाँस की कलम और एक दवात में कमेट (खड़िया) बना कर रखती थी। बच्चों के स्कूल जाने के बाद वे ग्वाला जातीं। देवकी ने छोटी उम्र में घर का पूरा कारोबार संभाला। रहने के लिए छोटी–छोटी झोपड़ी थी। उसी में सब एक साथ रहते थे। वर्षा के मौसम में झोपड़ी के भीतर पानी आ जाता।

तेरह वर्ष की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। जब देवकी ससुराल पहुँची तो वहाँ पर एक कमरे का छोटा सा घर था। शादी के तीसरे दिन उनके पति दिल्ली चले गये। फिर वापस नहीं आये। बाद में मालूम हुआ कि उन्होंने एक अन्य स्त्री से शहर में शादी की थी। यह जानकारी शादी के बाद हुई।

जब देवकी को इस घटना के बारे में पता चला तो वह डर कर मायके वापस आ गयी। मायके में परिवार और गाँव की बिरादरी के सदस्य ससुराल जाने को कहते परंतु वह वापस नहीं जाती थी। परिवार–बिरादरी में सभी लोग यह मानते थे कि शादी के बाद लड़की को ससुराल में रहना ही शोभा देता है। जब वापस जाने के लिए दबाव बहुत बढ़ गया तो देवकी ने उन्हें सभी बातें बता दीं। उसके बाद किसी ने ससुराल जाने को मजबूर नहीं किया। परंतु समाज से बचकर रहना बहुत कठिन है। देवकी दीदी की उम्र बढ़ी तो परिजन दूसरी शादी कर लेने को कहने लगे। देवकी ने सख्त मना कर दिया। वह कहती कि एक गृहस्थी खराब हो गयी। न जाने दूसरा घर कैसा होगा। कुछ समय बाद, एक परिचित व्यक्ति उससे जबरदस्ती शादी करने को कहने लगे। देवकी ने मना किया तो उसे तंग करने लगे। तब देवकी के भाइयों ने उसे बहुत फटकारा। देवकी गरीब जरूर थी परंतु चालाक थी। जब भी कहीं अकेले में उस व्यक्ति को देखती, तुरंत वहाँ से भाग खड़ी होती। गाली–गलौज भी कर लेती। माहवारी के दौरान नदी में नहाने के लिए जाना होता। देवकी वहाँ भी अकेली नहीं जाती थी। कुछ समय बाद उस व्यक्ति ने देवकी को परेशान करना छोड़ दिया।

मुवानी में एक प्रावइेट स्कूल खुला। वहाँ पर देवकी से चौकीदारी का कार्य करने को कहा गया। विद्यालय में उपयोग के लिए पानी गधेरे से भरकर लाना पड़ता था। वहाँ कुछ लोग रोज ही इकट्ठा हो कर बैठते थे। डर की वजह से देवकी ने विद्यालय में काम करने से मना कर दिया।

अब देवकी की उम्र साठ वर्ष है। वह कहती है, ''आज की जैसी अक्ल पहले होती तो मैं डरती नहीं। मैं हमेशा पश्चाताप करती थी कि स्कूल नहीं गयी। यदि मैं पढ़ी–लिखी होती तो नौकरी कर लेती, ऐसा सोचती थी। परिचित मेरे लिए दो–दो, तीन–तीन बच्चों के पिताओं के रिश्ते लाते। लेकिन मैंने अपने मन में ठान ली कि कुछ भी हो दूसरी शादी नहीं करूँगी। मैं हमेशा भाई–भाभियों के साथ काम करती रहती थी। भाइयों के बच्चे पैदा हुए तो उनके पालन–पोषण में जुट गयी। उन्हें पढ़ाया–लिखाया। शादी की। घर में जो भी काम हो वे मुझ से ही पूछ कर करते थे। बच्चे मुझे माँ के रूप में ही देखते हैं।''

देवकी दीदी गाँव–समाज में सभी का मार्गदर्शन करती हैं। उन्हें विधवा पेंशन मिलती है। शादी के बाद उनके एक भाई की लड़की की मौत हो गयी। उसके दो बेटे थे। देवकी ने एक बेटे को अपने पास बुला लिया। उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी स्वयं ले ली।

जब से गाँव में महिला–साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र खुला, वह रोज पढ़ने के लिए आने लगी। शुरूआत में कहती, ''जीवन में कभी कलम हाथ में नहीं पकड़ी। अब लिख नहीं पाऊँगी।'' केन्द्र संचालिका, लक्ष्मी चौहान, ने उन्हें प्रोत्साहित किया और कहा कि, ''आप केन्द्र में आकर पढ़ना–लिखना नहीं सीखेंगी तो अपना नाम कैसे लिख पायेंगी?'' दीदी कहती हैं कि उन्हें डर ही लगती थी कि कैसे लिखेंगी। जब लिखना शुरु किया तो रूकने का नाम नहीं लिया। अब उन्हें लिखना बहुत अच्छा लगता है। वे कहती हैं, ''अब तो मैं लिखने बैठती हूँ तो कोई महिला बातचीत भी करे तो उसे डाँटती हूँ। तब सभी महिलायें चुप होकर लिखने लग जाती हैं। अब मुझे अभ्यास पुस्तिका दो तक कुछ–कुछ लिखना–पढ़ना आ गया है। अब सोचती हूँ कि बचपन में थोड़ा भी पढ़ा होता तो इस समय जल्दी ही पढ़ना–लिखना सीख लेती।''

जब गाँव में महिला संगठन बना तो ग्रामवासियों ने उन्हें भी सदस्या बना दिया। दीदी कहती हैं कि किसी भी काम को करने से पहले सोच–समझ लेना चाहिए। जो काम हाथ में ले लिया, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। दीदी हर माह महिला संगठन की बैठक में भाग लेती हैं। पड़ोस की महिलाओं को भी साथ बुला कर ले आती हैं। यदि कभी बैठक या केन्द्र में महिलायें कम आयें तो कहती हैं कि, ''शर्म की बात हो गयी है।'' वे सभी महिलाओं को समय पर आने को कहती हैं। संगठन की बैठक में भी ''एक साथ आओ, एक साथ वापस जाओ,'' ऐसा नियम बनाने पर जोर देती हैं।

संस्था के कार्यकर्त्ता उनसे अल्मोड़ा गोष्ठी में भाग लेने के लिए अनुरोध करते हैं तो कहती हैं कि ''मुझे बहुत ज्यादा गाड़ी लगती है (गाड़ी में बैठने से तबियत खराब हो जाना)। दस किमी तक भी नहीं जा सकती हूँ। इससे ज्यादा सफर जीवन में नहीं किया है। अल्मोड़ा कैसे जाऊँ? मेरे भाग्य में ऐसा लिखा ही नहीं, अगर उल्टी नहीं होती तो चली जाती। अब मेरी उम्र भी हो चुकी है। नये–नये लोग बाहर जायेंगे तो ज्यादा सीखेंगे। हम लोग तो अब पीछे से सहारा देने

वाले है। जब मैं जवान थी, उस समय संगठन होता तो महिलाओं को भी जागरूक करती, स्वयं भी सीखकर काम करती। अभी भी खेती–बाड़ी का काम करती हूँ परंतु आदमियों से बोलने में घबराहट हो जाती है। फिर भी जैसा बन पड़े बोलती हूँ।''

उत्साही देवकी दीदी ने महिला साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र में महिलाओं को मूल्यांकन की सूचना दी। सभी महिलायें कहने लगी कि ''लिखेंगे कैसे?'' तब देवकी दीदी ने महिलाओं से कहा कि ''यदि खूब मन लगाकर सीखा होता तो डर नहीं लगता। मुझे तो पहले डर लगती थी, अब नहीं लग रही है।'' दीदी एक साल तक लगातार केन्द्र में आयी। खूब मन लगाकर पढ़ा और सीखा। मूल्यांकन के समय सबसे आगे रहा और सम्मान प्राप्त किया। वे हर जगह पैदल ही चली जाती है। महिला सम्मेलनों, बैठकों तथा अन्य सामाजिक समारोहों में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लेती हैं।

आधुनिक पत्ती–संग्रह यंत्र

महेश सिंह गलिया

आजकल किसानों के पास लोहे के तार से निर्मित एक ऐसा यंत्र उपलब्ध है, जिसमें पाँच से सात नोकें होती हैं। इस यंत्र का उपयोग जंगल की सतह पर पड़ी हुई सूखी पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है।

इस यंत्र के उपयोग की शुरुआत चीड़ के वन वाले क्षेत्रों से हुई। दुर्भाग्यवश यह चौड़ी–पत्ती वाले वन–क्षेत्रों में भी उपयोग में लाया जा रहा है।

पारंपरिक रूप से जंगल में पड़ी हुई सूखी पत्तियों को इकट्ठा करने का कार्य वन–घड़ी (स्थानीय वनस्पति) से बने हुए झाड़ू से होता था। घरों में लिपाई, मिट्टी से दीवारों की पुताई (छपटना) भी इन्हीं झाड़ुओं से होता था। फ्लावरिंग बीज बाधित होने से इसका अस्तित्व समाप्त हुआ। परिणामस्वरूप ग्रामवासी घिंघारू, किल्मोड़ा आदि वनस्पतियों के काँटे–युक्त झाड़ू उपयोग में लाने लगे। धीरे–धीरे घेरबाड़, कृषि–यंत्रों एवं बिन्डों की लकड़ी में उपयोग होने के अलावा मौसम की मार तथा बीज–प्रकीर्णन की प्रक्रिया में व्यवधान होने से जंगलों पर लकड़ी के लिए दबाव बढ़ता गया। इस वजह से पत्ते और सूखा बिछावन का संग्रह अठारह गहन के जाल की जगह सूत के बोरो (एक कुन्तल) में किया जाने लगा। उस के बाद आलू की पैकिंग में उपयोग होने वाले बोरों का प्रचलन बढ़ा। जब से बाजार से खरीदा जाने वाला खाद्यान्न कट्टों में बंद होकर आने लगा, गाँवों में प्लास्टिक के कट्टे (50 किग्रा) प्रचलन में आ गये।

लोहे के कठोर तारों से बना हुआ झाड़ू जंगल की त्वचा को घायल कर देता है। यह झाड़ू गर्मी के मौसम में ज्यादा घाव करता है। उस वक्त नमी की कमी के कारण मिट्टी सूख जाती है। लोहे का झाड़ू लगाने से आसानी के साथ उखड़कर बाहर आ जाती है। हम अपनी त्वचा को धूप से बचाने के लिए देशी–विदेशी क्रीम दिन में बार–बार स्वयं और नौनिहालों के चेहरे में बड़े प्यार से मलना नहीं भूलते लेकिन यह जरूर भूल जाते हैं कि चेहरे में कांति लाने वाले तत्व इन्हीं वनों की बेलों और जड़ी–बूटी से मिलते हैं।

नाना प्रकार की वनस्पतियों के बीजों को धरती अपनी कोख में लगातार सहेजती रहती है। मिट्टी की ऊपरी सतह की नमी एवं पुराना मुलायम ह्यूमस, शिशु–अंकुर को बढ़ने में मदद करता है। लोहे के तारों से बने झाड़ू के उपयोग से मौस से आच्छादित उबड़–खाबड़ धरातल साफ हो जाता है। यंत्र के प्रयोग से जंगलों की रोग–प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो रही है। मिट्टी की सतह पर इसकी रगड़ से बारिश की तेज बौछारों व तीव्र बहाव से होने वाले नुकसान के कारण झाड़ियाँ, जड़ी–बूटियाँ, नाना प्रकार की बेलें और छोटे–छोटे वृक्ष विलुप्त हो जाते हैं। इससे जंगल–जल–जमीन–जानवर और जन–जीवन लगातार प्रभावित हो रहा है।

वन–विभाग, समाज–सेवी संस्थाओं, ग्रामीण महिलाओं–पुरुषों एवं सभी युवाओं को इस विषय पर चिंतन मनन करके ठोस काम करने की आवश्यकता है।

जीवन कौशल की जरूरत

अपरा बिष्ट

मैं किशोरी संगठन की सदस्य हूँ। दन्यां, जिला अल्मोड़ा, में कक्षा दस में पढ़ती हूँ। किशोरी संगठन में जुड़ने से पहले मुझे यह मालुम नहीं था कि विवाह की सही उम्र अठारह साल होती है। आज से कुछ समय पहले तक ही गाँवों में लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती थी। लड़के को देखे–जाने बिना ही विवाह की सहमति हो जाती थी। यदि माँ–बाप ने हाँ कर दी तो बेटियाँ झुककर उस बात को मान लेतीं, चाहे वह लड़का उनके लिए सही हो या ना हो।

जब हमें मालुम हुआ कि क्षेत्र में किशोरी कार्यशालाओं का आयोजन हो रहा है तो हम सभी लड़कियाँ वहाँ गयीं। वहाँ हमें बाल और महिला–अधिकारों के बारे में बताया गया। यह भी बताया कि हमें खुद लड़के को देख कर और सोच–समझ कर शादी के लिए सहमति देनी चाहिए। हमें इन कार्यशालाओं से बहुत लाभ हुआ है।

विद्यालयी शिक्षा में किताबी ज्ञान होता है लेकिन संस्था से हमें दैनिक जीवन में काम आने

वाली जानकारियाँ मिलती हैं। विद्यालय जाने के बावजूद हमें बाल–विवाह, अहिंसा–हिंसा, भेदभाव आदि मुद्दों का ज्ञान नहीं था। किशोरी कार्यशालाओं में जाकर हमने अपने हित के लिए लड़ना सीखा। अपने अधिकार समझे और अच्छे–बुरे का ज्ञान सीखा। मैं चाहती हूँ कि संस्था से लगातार जुड़ी रहूँ।

किशोरी कार्यशालाओं से हमारे विद्यालय की छात्राओं ने खुलकर बोलना सीखा, आगे बढ़ना सीखा, बाहर जाना सीखा। पहले जब हमें या घर की अन्य स्त्रियों को माहवारी होती थी तो वे तीन दिन के बाद नहाती थी। इससे शरीर में गन्दगी हो जाती थी। अब स्त्रियाँ रोज नहाती हैं। किशोरियाँ भरपूर भोजन लेती हैं और रोज कपड़ों को धोती हैं।

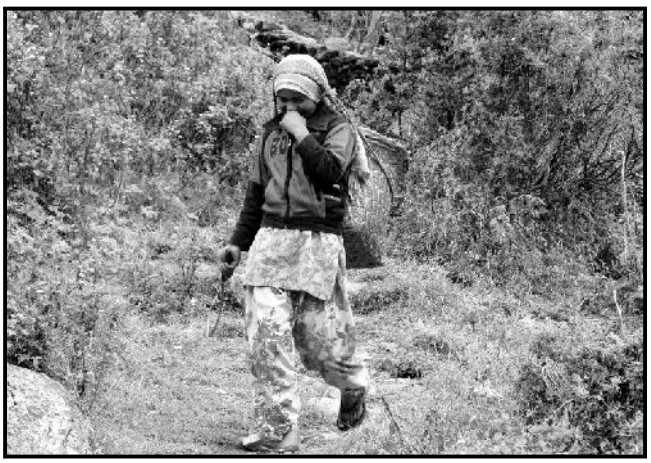

समाज में किशोरियों के साथ अनेक तरह के भेदभाव होते हैं। जैसे उन्हें विद्यालय ना भेजना, भरपूर भोजन ना देना, लड़की को बोझ समझना, जन्म से पहले ही मार देना, सही उम्र से पहले ही विवाह कर देना आदि। जब भी मेरे साथ भेदभाव होता या लड़कियों को बोझ समझने की बातें होती तो मैं खुद को लड़की होने पर कोसती थी। मेरा दिल ही नहीं बल्कि रूह भी काँप उठती थी। मुझे लड़की होने का बहुत गम होता था। जब मेरी इच्छओं को ठुकराया जाता तो मन अशांत हो जाता था। अब इस विषय पर मेरी कुछ समझ बन रही है। मैं यह समझ पायी हूँ कि समाज में स्त्रियाँ दोयम दर्जे की भागी क्यों बन गयी हैं।

कच्ची उम्र में ही शादी के बन्धन में बँध जाने से ना रिश्तों की पहचान होती है, ना ही सही–गलत का आभास। लड़कियाँ यह भी नहीं कह पाती कि उन्हें विद्यालय जाना है, खेलना है। हमें भी कुछ सपने देखने हैं। लड़कियाँ यह बात मन में ही रखती हैं और बहुत ही डर कर रहतीं हैं। जब भी भ्रूणहत्या होती है तो हम सहेलियों के सीने में दर्द उठता है कि उस अजन्मे शिशु को भी सपने देखने का हक है। जब कोई अपनी बेटी को जन्म से पहले ही मार देता है तो मेरा उस से यही सवाल है कि क्या वह एक इंसान नहीं? अगर जन्म से पहले उन्हें भी मार दिया जाता तो क्या आज वे लड़के पैदा करने का सपना देख पाते?मैं पहले इस बात को नहीं समझती थी। यह हिम्मत, यह दिशा, यह जोश हमें संस्था में आयोजित कार्यशालाओं से ही मिला है।

जब बेटियों का विवाह किया जाता है तो अभिभावक कन्यादान करते हैं। क्या वे लड़कियों का विवाह करके उसका दान कर रहे हैं? दान तो किसी वस्तु का किया जाता है। क्या

लड़कियाँ कोई वस्तु हैं? अगर मुँह–माँगे दहेज के साथ विदा ना किया तो लड़कियों को ससुराल में चैन से जीने नहीं दिया जाता। जली–कटी सुनाकर उनका दिल दुखाया जाता है। दहेज ना लाने पर उन्हें मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। बहुओं को मार–पीट कर घर से निकाल देते हैं। इस वजह से अनेक स्त्रियाँ आत्महत्या कर लेती हैं। आत्महत्या करना गलत बात है। हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। चुप बैठे रहने से समस्या नहीं सुलझेगी। अगर हम इसी प्रकार चुप रहे तो दहेज ना आने पर जुर्म बढ़ते जायेंगे। कहा जाता है कि स्त्री में सहन–शक्ति होती है लेकिन इतना भी क्या सहना कि जीते हुए ही जिन्दा लाश बन जायें?

जाति की दूरियाँ भगवान ने नहीं बनायी। सभी इंसान एक समान है। इंसान धर्म से नहीं कर्म से बड़ा होता है। अगर कोई पंडित है, बुरे काम करता है तो वह कैसा इंसान है? जाति–विशेष के लोगों के साथ भोजन नहीं करना, उनके हाथ से छू ली गयी वस्तु को अशुद्ध मानना, उन्हें मंदिरों में ना आने देना, ये सभी सामाजिक बुराइयाँ हैं। जानवर भी प्रेम करते हैं, हम तो इंसान हैं। यह एक अच्छा संकेत है कि समाज में भेदभाव कम हो रहा है। फिर भी, इस दिशा में आगे बहुत काम करने की जरूरत है।

बेमौसमी सब्जी उत्पादन एवं बागवानी

केदार सिंह कोरंगा

लगभग पचास वर्ष पूर्व शामा क्षेत्र, जिला बागेश्वर, में मेरे पिताजी स्व0 श्री खीम सिंह कोरंगा ने बागवानी के क्षेत्र में काम करते हुए कसाणी गाँव में सेब, आड़ू, नाशपाती, प्लम का बगीचा लगाया था। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से सन् 1971 में उनका देहान्त हो गया। उस समय मेरी उम्र मात्र दस वर्ष की थी। इस वजह से बगीचे की देख–रेख न हो सकी। कुछ समय पश्चात् बगीचा बंजर हो गया।

वर्ष 1970 के दौर में शामा क्षेत्र के निवासी आलू उत्पादन करते हुए आजिविका चलाते थे। अन्य सब्जियों की पैदावार कम होती थी। ग्रामवासी अनेक प्रकार की सब्जियों से परिचित भी नहीं थे। स्थानीय सब्जियाँ जैसे–आलू, कद्दू, ककड़ी और तुमड़ी इत्यादि उगाते थे। आज इस क्षेत्र में आलू का उत्पादन गिर गया है।

वर्ष 1990 में उत्तराखण्ड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान, अल्मोड़ा एवं कसार ट्रस्ट के स्व0 डॉ. टिम रीस के सहयोग से शामा में एक पॉली–हाउस बनाया गया। बन्दगोभी, फूलगोभी, टमाटर आदि की पौधशाला तैयार करके संस्था ने निःशुल्क पौधे वितरित किये। इस प्रयोग का परिणाम सन्तोषजनक रहा। इसी के साथ सब्जियों का उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए

मटर, कद्दू, मूली, गाजर, खीरा आदि लगाये गये। इसमें पूर्ण सफलता मिली। इस प्रयोग के फलस्वरूप आज शामा गाँव के इर्द–गिर्द लीती, बड़ी–पन्याली, शामा डाना, भनार डाना, रमाड़ी, सीरी आदि गाँवों में ग्रामवासी बेमौसमी सब्जी के उत्पादन से आजीविका चलाते हैं। ग्राम शामा डाना, विकास खण्ड कपकोट, के निवासी पूर्व प्रधानाचार्य श्री भवान सिंह कोरंगा जी ने कीवी के बगीचे से उत्पादन लेने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है।

बागवानी के क्षेत्र में ग्राम–सभा रमाड़ी के निवासी सन्तरा, माल्टा, कागजी नींबू, बड़ा पहाड़ी नींबू उगाकर आजीविका चलाते थे। वर्तमान समय में उत्पादन कम होने का मुख्य कारण उद्यान–विभाग द्वारा पौधों का वितरण न किया जाना, कटाई–छँटाई पर ध्यान न देना तथा प्रशिक्षण की कमी रहे। यही हाल सेब, आड़ू, खुबानी, प्लम आदि फलों की प्रजातियों का रहा।

उत्तराखण्ड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान, अल्मोड़ा के सहयोग से वर्ष 2008–2009 में शामा क्षेत्र में बागवानी कार्यक्रम पुनः शुरू करने का प्रयास किया गया है। मैं स्वयं इस कार्यक्रम में शामिल हूँ। मेरा मानना है कि पहले खुद काम करके सीखो, फिर दूसरों को प्रेरित करो। संस्थान के सहयोग से शामा क्षेत्र के युवकों को गल्ला, रामगढ़ (जिला नैनीताल) एवं पाटी (जिला चंपावत) में बागवानी, मत्स्य–पालन, वैज्ञानिक समझ वाले प्रयोगात्मक कृषि कार्यों को देखने का अवसर मिला। गल्ला और पाटी क्षेत्र में भ्रमण से मिली प्रेरणा के परिणामस्वरूप युवक सेब व आड़ू की चार–चार पौध खरीद कर लाये तथा खेतों में रोपित किया। छः माह पश्चात् ग्राम गल्ला, रामगढ़ के निवासी श्री महेश गलिया, सूपी गाँव के श्री बची सिंह बिष्ट एवं पाटी, जिला चम्पावत के निवासी श्री पीताम्बर गहतोड़ी जी शामा क्षेत्र के भ्रमण पर आये। उन्होंने पौधों की बढ़त देखकर संतोष जताया और किसानों को प्रोत्साहित किया।

आजीविका–सुधार कार्यक्रम में पर्यावरण एवं शिक्षा समिति, शामा के बैनर तले उत्तराखण्ड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान, अल्मोड़ा के मार्गदर्शन व आर्थिक सहयोग से बागवानी, पौधालय, सब्जी उत्पादन, मत्स्य–पालन, कृषि–उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। क्षेत्र में रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का प्रयोग नगण्य है। गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता है।

शामा क्षेत्र में ''निकरा परियोजना'' के तहत चालीस पॉली–हाउस बनाये गये। इससे बेमौसमी सब्जी उत्पादन को बढ़ावा मिला है। ग्रामीणों की आजीविका में सुधार हो रहा है। बागवानी के क्षेत्र में सेब और आड़ू के लगभग तीन सौ पेड़ लगाये गये हैं। इस वर्ष पेड़ों में थोड़ा सा फल भी आने लगा था परन्तु ओलावृष्टि के कारण नुकसान पहुँचा और उत्पादन कम हो गया।

मौन–पालन इस क्षेत्र के परम्परागत व्यवसायों में शामिल है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। इन कार्यक्रमों को देखने के लिए स्थानीय निवासियों, सरकारी कर्मचारी एवं

अधिकारियों के अलावा प्रति वर्ष आस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि देशों से शिक्षाविदों, पर्यावरणविदों के दल शामा आते रहे हैं। कई नामी भारतीयों ने भी गाँव में भ्रमण किया है। ग्रामवासी इस कार्यक्रम में रूचि लेते हैं। एक–दूसरे से सीखने का प्रयास करते हैं।

क्षेत्र में आजीविका को स्थायित्व देने में सबसे बड़ा रोड़ा सीमाँत कृषक समुदाय की बिखरी हुई जोत जमीन है। गाँवों में बागवानी एवं सब्जी–उत्पादन का काम बढ़ने से युवाओं का पलायन कम होगा। लेकिन इस दिशा में विशेष प्रयास किये जाने जरूरी हैं। संस्था का यह प्रयोग बहुत बड़ा कदम ना कहा जाये तो भी अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। लोगों की जागरूकता और सीखने की चाह से सब्जी–उत्पादन के क्षेत्र में शामा की पहचान बन पाई है। भविष्य में बागवानी का निरंतर प्रसार होने की संभावना है। यह कार्य स्थानीय निवासियों के अथक प्रयासों से सम्भव हुआ है।

स्वयं को बदलो तभी समाज बदलेगा

लीला बिष्ट

अगर समाज में भेदभाव है तो हम सभी को मिलकर उसे बदलना चाहिये। हमें खुद को भी बदलना चाहिये। हम संस्था के माध्यम से भेदभाव पूर्ण रीती–रिवाजों को बदलना चाहते हैं। जैसे–आज भी स्त्री–पुरूष के बीच काफी सामाजिक, आर्थिक असमानताएं है। यदि किसी परिवार में चार–पाँच लडकियाँ पैदा हो जाती हैं तो भी लड़के के लिये इंतजार करते रहते है। इस जमाने में क्या लड़का, क्या लड़की?सभी एक समान हैं।

दूसरी बात यह कि किसी विधुर की शादी अनेक बार हो सकती है। विधवा स्त्रियों पर दूसरी शादी के लिये कठोर बन्धन होता है। हमें इस मान्यता को भी बदलना है। औरतों को अपने–आप को कम नहीं समझना चाहिये।

दलितों से भेदभाव की भावना बदलने की अत्यंत आवश्यकता है। समाज में सब एक हैं। उन्हें अलग नहीं समझना चाहिये। अक्सर गोष्ठियों के बीच में जब चाय परोसी जाती है तो कुछ लोग अलग से जाकर बैठ जाते हैं। चाय पीते वक्त अन्य लोगों से एक दूरी बना लेते हैं। इस स्थिति को देखकर मुझे बहुत ठेस पहुँचती है। इसे बदलना भी एक चुनौती है। साथ बैठ कर चाय–पानी अथवा भोजन का सेवन करने से कोई छोटा–बड़ा नहीं हो जाता। मनुष्य कर्मो से बड़ा बनता है, अच्छी सोच से बदलता है।

कन्या भ्रूण–हत्या पर विचार करना जरूरी है। अगर भ्रूण–हत्या रूक जायेगी तो भेदभाव

भी मिटेगा। अगर कन्या को कोख में खत्म कर देंगे तो लड़कियों की संख्या स्वतः ही कम हो जायेगी। हम संस्था के कार्यकर्त्ता समाज में स्त्रियों के महत्व को समझाते हैं। समाज इस समस्या को समझ नहीं पा रहा है। कोख में ही लड़की को मार रहे हैं, लड़कों को जन्म दे रहे हैं। हमें मिलकर इस सामाजिक बुराई को मिटाना है। जब भेदभाव मिटेगा तब हम बड़ी–बड़ी बातें कर सकते हैं। दिल में ललक है। सफलता का प्रतीक यही होगा कि हमारे क्षेत्र में कोई भी भ्रूण–हत्या ना हो। हमारी मेहनत तभी कारगर होगी, जब किसी भी गाँव में ऐसे लोग नहीं होंगे जो कन्या–भ्रूण को मारें। बेटा–बेटी के अनुपात में संतुलन से ही समाज संतुलित रह सकता है, बदल सकता है, बच सकता है। जब समाज के बीच में ठोस रूप से काम होगा तो अच्छे परिणाम भी मिलेंगे।

कृषि से समृद्धि

विनीता भट्ट

परिवर्तन सृष्टि का नियम है। आदि मानव से आधुनिक मानव, बैलगाड़ी से वायुयान, कलम और तख्ती से कम्प्यूटर और लैपटॉप तक के सफर ने हमारी जीवन–शैली को बदल दिया है। इस परिवर्तन के मूल में विज्ञान की शक्ति है। विज्ञान ने मनुष्य को प्रौद्योगिकी की ओर मोड़ा है, इसलिए आज हम कल्पना को यथार्थ के धरातल पर खड़ा पाते हैं।

मनुष्य अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति के लिए विज्ञान का ऋणी है। विज्ञान से हर क्षेत्र में उन्नति हुई है। ऐसा ही एक क्षेत्र है, कृषि। आजादी के बाद देश की बागडोर जब अंग्रेजों के हाथों से निकल कर भारतीयों के पास पहुँची तो उस वक्त देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करना एक बड़ी चुनौती थी। इसके लिए शिक्षा व अनुसंधान के साथ–साथ अन्य क्षेत्रों में भी व्यापक प्रयास किये गये। कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है, इसलिए खेती की उन्नति के लिए अनेक योजनाएं बनायी गयीं।

आज देश ने कृषि के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। देश के किसान जागरूक हुए हैं। अब वे वर्षा के लिए घंटो हाथ जोड़ कर मेघों के सामने चिरौरी नहीं करते। सिंचाई के उन्नत साधन मौजूद हैं। शिक्षा के प्रकाश से किसानों के जीवन में समृद्धि का प्रकाश फैला है। वे उन्नत फसल हेतु सुझाव व जानकारी टेलीफोन के जरिये प्राप्त कर सकते हैं। खेती के लिए आवश्यक उर्वरक बाजार से अच्छे दामों में खरीद सकते हैं। वे उन्नत फसलों के उत्पादन के लिए पारंपरिक साधनों पर निर्भर नहीं रहते। आज विदेशों से लाए गए फलों, जैसे कीवी, की खेती देश के कई पहाड़ी और ठंडे इलाकों में की जाती है। 1200 से 2000 मीटर तक की ऊँचाई में होने वाले इस

फल में हम समृद्ध भविष्य की कल्पना करते हैं। आड़ु, प्लम, नाशपाती, सेब, खुबानी, अखरोट आदि तरह–तरह के फलों की खेती पहाड़ों में होती है।

माटी को खोदने से उसमें जो बीज पनपता है, वह कृषकों के परिश्रम की गाथा कहता है। छोटे–छोटे फलों से लदे पेड़ों, खेतों में लहलहाती फसलों और खिले हुए छोटे–छोटे फूलों को देख कर हृदय आनन्द से भर जाता है। धरती माता को नमन कर उठता है। धरा की सुन्दरता को खेतों में महसूस किया जा सकता है।

आज बागवानी से उन्नत परिणाम प्राप्त करने के बाद किसान आय को एकाश्रित न करते हुए मत्स्य–पालन, मधुमक्खी–पालन, पशुपालन, फूलों की खेती आदि से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। यह देश के उज्जवल भविष्य के प्रति शुभ–संकेत है। हमें अपने समृद्ध होते भाग्य की अवमानना नहीं करनी चाहिए। यदि कर्म साथ न हो तो भाग्य का एक पहिया पकड़ कर हम जीवन की गाड़ी नहीं दौड़ा सकते। यदि मनुष्य आलस्य की व्याधि का शिकार हो कर परिश्रम की औषधि से दूर भागता है तो वह रोगी बनता जाता है, स्वस्थ नहीं रह सकता। परिश्रम सफलता की कुंजी है। यदि मनुष्य को जीवन में सफलता के परचम फहराने हैं तो उसे परिश्रम करना ही होगा। मनुष्य एक रचनात्मक प्राणी है। सफल मनुष्य की पहचान सकारात्मक रचना है। मनुष्य को कृषि का क्षेत्र रचनात्मक कार्य के लिए एक बहुत बड़ा मंच प्रदान करता है। आधुनिक काल में यदि मनुष्य परिश्रम करता हुआ अपनी संपूर्ण प्रतिभा का उपयोग करे तो उसे सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता।

कृषि जैसे क्षेत्र में सफलता पाने के लिए अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता है। कृषि में जरूरतों के साथ–साथ पर्यावरण की उपयोगिता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इस के लिए वनों का संरक्षण करना जरूरी है। वृक्षों का कटान कम हो, लुप्त होते जंगलों में वृक्षारोपण हो तो कृषि की दशा भी सुधरेगी।

बहुमूल्य वृक्षों में कल्पवृक्ष कहे जाने वाले बाँज के पेड़ों का रोपण होना जरूरी है। बाँज के पेड़ पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाँज के जंगलों से जमीन नम बनी रहती है। इसकी लकड़ी कृषि के लिए उपकरण बनाने तथा पत्तियाँ पशुओं के लिए चारे के रूप में प्रयोग होती हैं। यह एक बहुपयोगी पेड़ है। बाँज के वृक्षारोपण से पर्यावरण तथा मानव सुरक्षित रहेंगे।

ग्रामवासियों को अपने आस–पास का वातावरण साफ–सुथरा रखना चाहिए। खाना बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली लकड़ी के स्थान पर बायोगैस या सूर्य के ताप का प्रयोग किया जा सकता है। वर्षा के जल को संरक्षित करके सिंचाई के लिए प्रयोग में लाने से खेतों में उत्पादन बढ़ेगा और गाँवों में समृद्धि आयेगी।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखने से कृषि के स्वर्णिम–काल को प्राप्त करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। आज भी हमारी देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा भाग कृषि पर आश्रित है। यदि देश के किसानों की आय का जरिया मजबूत होगा तो अर्थव्यवस्था के उन्नत होने में कोई संदेह नहीं है।

महिला साक्षरता एवं शिक्षण

देवकी पाण्डे

मैं कोट्यूड़ा गाँव में रहती हूँ। हमारी ग्राम–सभा दन्यां है। पोस्ट–ऑफिस दन्यां, जिला अल्मोड़ा है। सन् 2007 में हमने ऊष्मा संस्था के मार्गदर्शन में महिला संगठन बनाया। हर माह गाँव में गोष्ठी होने लगी। पहले हम लोग संस्था द्वारा आयोजित गोष्ठियों में जाते थे। कुछ समय बाद उत्तराखण्ड महिला परिषद्, अल्मोड़ा द्वारा आयोजित की जाने वाली गोष्ठियों में भी भाग लेने लगे। वहाँ पर हमें पुष्पा पुनेठा, लीला बिष्ट और अनिला दीदी ले जाती हैं। अल्मोड़ा में अनुराधा दीदी महिला संगठनों के बारे में जानकारियाँ देती हैं। हमें संस्था एवं अल्मोड़ा की गोष्ठियों में जाना अच्छा लगता है। वहाँ पर कुमाऊँ एवं गढ़वाल के महिला संगठनों की सदस्याएं आती हैं। वे अपने गाँवों की बातें बताती हैं। हम भी अपने गाँव की बातें बताते हैं। इस तरह, विचारों और अनुभवों का आदान–प्रदान होता है। इससे सभी महिलाओं का शिक्षण होता है।

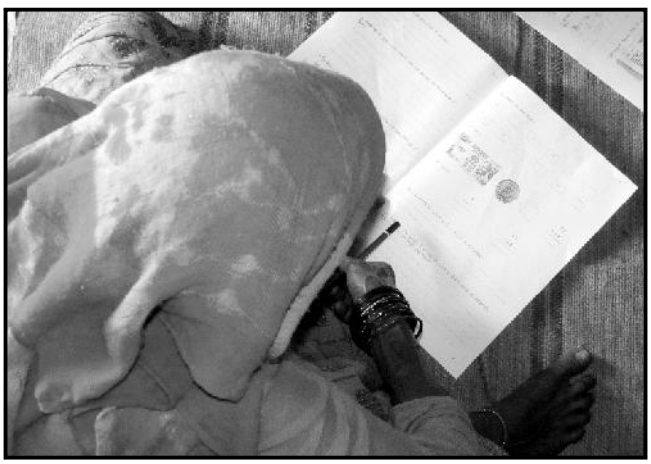

एक बार गाँव में संगठन की गोष्ठी हुई। संस्था से आयी हुई दीदी ने रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाये। हम लोग हस्ताक्षर नहीं कर पाये। तब महिलाओं ने कहा कि जैसा साक्षरता केन्द्र धारागाड़ गाँव में खुलवाया है, वैसा हमारे गाँव में भी होता तो हम भी हस्ताक्षर करना व

पढ़ना–लिखना सीखते। फिर अनुराधा दीदी ने हमारे गाँव में साक्षरता केन्द्र खुलवाया। हम लोग दोपहर में दो से चार बजे तक केन्द्र में पढ़ने के लिए जाते। लिखना सीखते। हमने अपना नाम, परिवार के सदस्यों का नाम, गाँव, डाकघर, ब्लॉक, तहसील, जिले का नाम आदि लिखना सीखा। साथ ही, बैंक, पोस्ट–ऑफिस, जॉब–कार्ड, राशन–कार्ड, आवेदन–पत्र आदि की जानकारी हुई। सूचना का अधिकार तथा महिलाओं के लिए वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन–सम्बन्धी जानकारियाँ भी हुईं। पहले हम लोग गोष्ठियों के दौरान आगे जाकर बोलने में काफी संकोच करते थे। जब से संगठन में जुड़े, तब से गोष्ठियों में भाग लेने लगे। महिला सम्मेलनों के दौरान मंच पर आगे आकर अपनी बातें कहने लगे। नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम करने लगे।

हमारे क्षेत्र में संगठनों की सदस्याएं कोष के माध्यम से आपस में ऋण लेती हैं तथा सामूहिक उपयोग की सामग्री खरीदती हैं। अभी हमारे गाँव के संगठन ने सामुहिक उपयोग के लिए बर्तन खरीदे हैं। गाँव में संगठन के माध्यम से सभी चीजों की सुविधा हो गई है। संगठन बनने के बाद हमने जंगल भी बचाया। गाँव में सभी को जंगल का महत्व समझाया। भविष्य में हमारी नई पीढ़ी को कष्ट होगा, यह कहकर जंगल से होने वाले लाभों की जानकारी सभी को दी। अब ग्रामवासी जंगल से कच्ची लकड़ी नहीं काटते।

उत्तराखण्ड महिला परिषद् से जुड़कर काफी जागरूकता आई। हर गोष्ठी में नये–नये विचार मिले। उन्हीं विचारों को आधार बना कर हमारा संगठन सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। गाँव में पुरूष भी महिलाओं को सहयोग देते हैं। संगठन की महिलायें आपस में एक–दूसरे की मदद करती हैं। जब कोई संगठन की सदस्या गोष्ठी में भाग लेने के लिए अल्मोड़ा जाती है तो अन्य स्त्रियाँ उसके घर और गायों की देखभाल करती हैं। इससे संगठन मजबूत होता है। संगठन की सदस्याएं बारी–बारी से अल्मोड़ा में गोष्ठियों में प्रतिभाग करने के लिए जाती हैं। वहाँ से वापस आकर गाँव में गोष्ठी करती हैं। जो भी जानकारी मिलती है, उसे संगठन की अन्य सभी सदस्याओं को बताती हैं।

मैं अक्टूबर 2013 में पेड़ से चारा काटते समय गिर गयी। संगठन की सदस्याएं मुझे प्राथमिक स्वास्थ्य–केन्द्र में ले गयीं। गाँव के संगठन की अध्यक्षा नन्दी भट्ट मेरे साथ रही। वहाँ गाँव के पुरूष एवं युवा तथा परिवार एवं बिरादरी के सभी लोग आये। धौलादेवी स्वास्थ्य केन्द्र से मुझे हल्द्वानी भेज दिया गया। मेरी कमर और हाथ में चोट आई थी। वहाँ लगभग दो माह तक रहना पड़ा। इस बीच मेरे घर के सभी कार्य संगठन की बहनों ने किये।

संगठन के माध्यम से गाँव में काफी एकता हुई है। लोगों का भावनात्मक जुड़ाव बना है। सभी ग्रामवासी एक–दूसरे की मदद करते हैं। संस्था ने हमें आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किये हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोग आगे बढ़े हैं। अब गाँव में सभ्यता आ गई है। महिलायें

गाँव में गोष्ठियाँ करती हैं। चेतना–गीत, प्रार्थना और भजन गाती हैं। फिर अपनी–अपनी समस्याएं कहती हैं। सबकी बातों को ध्यान से सुनती हैं। सभी महिलायें साक्षर हो गई हैं। उन्हें हिम्मत आई है। भविष्य में सभी सदस्याएं संस्था से जुड़कर काम करना चाहती हैं। महिलायें साक्षरता केन्द्र में पढ़कर अपने नाम तथा काम के महत्व को समझने लगी हैं। पहले उन्हें बच्चों, पति, ससुर आदि के नाम से पुकारा जाता था। अब सभी स्त्रियाँ एक–दूसरे का नाम जानती हैं। नाम लेकर एक–दूसरे को संबोधित करती हैं।

पहले महिलायें अपने काम का महत्व नहीं समझती थीं। अब सोचकर कहती हैं कि हम लोग दिन भर काम करते हैं। अगर एक दिन भी महिला काम ना करे तो पूरी गृहस्थी की गाड़ी ही डगमगा जायेगी। संगठन द्वारा बार–बार यही बात दोहराने से पुरूष और बच्चे भी महिलाओं के काम का महत्व समझ रहे हैं। ग्रामवासी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिये सहयोग दे रहे हैं। ये सभी कार्य स्थानीय संस्था, ऊष्मा एवं उत्तराखण्ड महिला परिषद् के सहयोग से संभव हुए हैं।

स्वावलंबन की प्रेरणा

रूचिका भट्ट

मैं मुनौली गाँव, जिला अल्मोड़ा, की निवासी हूँ। कक्षा नौ में पढ़ती हूँ। दहेज प्रथा के संबंध में यह छोटा सा लेख लिख रही हूँ।

दहेज प्रथा एक बुरी बला है। लड़के और उसके परिवारजन शादी पर दहेज की माँग करते हैं। गरीब माँ–बाप उधार लेकर बेटी को दहेज देते हैं लेकिन शादी के बाद फिर धमकी मिलने से उनकी कमर टूट जाती है। दहेज लेने वाले यह नहीं सोचते कि लड़की के साथ मार–पीट करेंगे तो कोई कल उनकी बेटी के साथ भी वही सलूक कर सकता है। मैं सोचती हूँ कि मारने वाले से बड़ा अपराधी सहन करने वाला होता है। औरतों को एकजुट होकर सामाजिक बुराइयों को मिटाने की कोशिश करनी होगी। हाथ पर हाथ धर कर बैठने और सिर्फ रोने–बिसूरने से

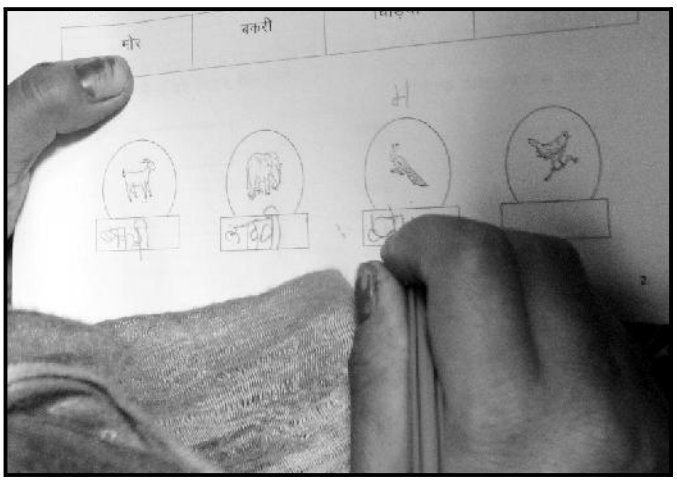

समस्या का समाधान नहीं होता। जब से गाँव में महिला संगठन बना है, संस्था की दीदियों ने गाँव–गाँव में जाकर भेदभाव को मिटाया। मैं एक सच्ची घटना का उल्लेख करते हुए अपने विचार स्पष्ट करूँगीः

सुनीता का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। अभिभावकों ने उसे मुश्किलों के बीच पढ़ाया। इसी दौरान माता–पिता के पास सुनीता के लिए एक रिश्ता आया। रिश्ते की बातचीत आगे बढ़ी। आखिर रिश्ता पक्का हो गया। जब बात दहेज पर आई तो लड़की के माँ–पिता की आँखों से आँसू निकल आये। दहेज की भारी माँग पूरा करने की सामर्थ्य उस परिवार की नहीं थी।

सुनीता ने यह बात अपनी दोस्त काजल को बताई। काजल पढ़ी–लिखी थी। सुनीता के माँ–बाप गरीब थे। सुनीता ने काजल से कहा कि वह अपना सपना पूरा करना चाहती है। उसके माता–पिता एक ऐसे बेरोजगार लड़के के साथ शादी करना चाहते हैं जो दहेज की माँग कर रहा है। वह इस शादी से खुश नहीं थी। काजल ने समझाया कि वह चुप ना रहे। लड़के के परिवार वालों से कहे कि वह शादी नहीं कर सकती। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है।

सुनीता ने हिम्मत करके परिजनों से कह दिया कि वह शादी नहीं कर सकती। लड़की को ऐसे लड़के के साथ शादी करनी चाहिए जो उसका अच्छा जीवन साथी बन सके। इसके परिणामस्वरूप, लड़के ने जवाब दिया कि वह एक अच्छा जीवन साथी बन सकता है। सुनीता नाराज हुई। शादी से पहले ही दहेज माँगने वाले लड़के का कैसे यकीन करे? लड़के वाले नाराज हो कर वापस चले गये। रिश्ता टूट गया। सुनीता के इस कदम से उसके परिजन बहुत आहत हुए।

सुनीता के पिता ने उसे समझाया कि सेठ परिवारों की लड़कियों की ऐसी सोच होती है, गरीब घरानों, किसानों की बेटियों की नहीं। सुनीता ने कहा कि बेटियाँ तो सभी एक जैसी हैं, गरीब हो या अमीर, सभी को दहेज का विरोध करना चाहिए। उसने कुछ काम करने की इच्छा जाहिर की। अपने पिता से कहा कि क्या लड़की को समाज के दबाव में एक ऐसे लड़के से शादी करनी चाहिए जो दहेज माँगता हो? सुनीता ने पिता से पूछा कि यदि वे दहेज में फ्रिज, कूलर, पलंग आदि चीजे नहीं दे सकते तो क्या करेंगे? उधार लेकर दहेज की माँग कब तक पूरी करेंगे? उसके पिता की आँखे खुल गयी। आज सुनीता पुलिस विभाग में नौकरी कर रही है। वह खुश है क्योंकि उसने चुपचाप अपमान को नहीं सहा और एक सामाजिक बुराई का खुलकर सामना किया।

महिला संगठनों का पुस्तकालय में सहयोग

जायसी नेगी

मैं शेप संस्था बधाणी के मार्गदर्शन में गाँव पुडियानी में पुस्तकालय केन्द्र की संचालिका हूँ। अगर मैं अपने गाँव की बात करूँ तो ऐसा महसूस होता है कि पुस्तकालय केन्द्र शिक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। गाँव में पुस्तकालय होने से बच्चों के चेहरे पर एक विशेष खुशी नजर आती है। शायद इसकी वजह उनका बढ़ता हुआ आत्मविश्वास है।

पुस्तकालय के माध्यम से बच्चों को विद्यालय से हटकर एक नया वातावरण तथा कुछ अलग सीखने–समझने का मौका मिल रहा है। वे बिना रोक–टोक के अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करते हैं। इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। कहानियाँ पढ़ने व लिखने के साथ ही बच्चे गणित सीखने के लिए डाइस ब्लॉक तथा जोडो–ज्ञान के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों का उच्चतम उपयोग करते हैं।

पढ़ने के साथ–साथ सभी बच्चे खेलों में रूचि रखते हैं। पुस्तकालय की शुरूआत के समय कुछ किशोरियाँ खेलों में भाग नहीं लेती थी। हमने धीरे–धीरे उन्हें भी सभी खेलों में शामिल किया। उनकी झिझक दूर हुई और अब सभी बच्चे मिलजुलकर एक साथ खेलते हैं।

केन्द्र की शुरूआत के समय महिलायें पुस्तकालय में नहीं आती थी। इस समस्या को हल करने के लिए संगठन की मासिक गोष्ठी में पुस्तकालय की जानकारी दी गयी। उन्हें पुस्तकालय

में आने के लिए प्रेरित किया। शुरूआत में कभी दो तो कभी तीन महिलायें आती। धीरे–धीरे आपस में चर्चाएं होने लगीं। कार्यक्रम में महिलाओं की रूचि बढ़ी। साथ ही, गाँव में साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र खुला तो महिलाओं ने पढ़ना–लिखना सीखा। इस का लाभ पुस्तकालय को भी मिला। आज अधिक से अधिक महिलायें, खासकर युवा बहुएं, पढ़ने के लिए आती हैं तथा किताबें घर भी ले जाती हैं। वर्ष 2014 में शेप संस्था बधाणी द्वारा जूनियर हाईस्कूल पुडियानी में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। मेले में गाँव की सभी महिलायें उपस्थित थीं। बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए महिलाओं ने एक सामूहिक लोक–गीत भी प्रस्तुत किया।

मुझे बच्चों के साथ पढ़ना व खेलना बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के साथ काम करने का ऐसा सुनहरा अवसर मिला, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपने आप में बदलाव महसूस किया है।

साथ ही, मुझे महिलाओं के साथ मिलकर रहना तथा गोष्ठी एवं सम्मेलनों में भाग लेना काफी पसंद है। आखिर हमारा जीवन हमारे हाथों में है। हम उसे जैसा बनाना चाहें, बना सकते हैं। इसी तरह, गाँव की उन्नति की कुंजी महिला संगठन के हाथों में है। महिला संगठनों के कार्यों से गाँव समाज एकजुट होता है और उन्नत भी।

असमानता का एक पहलू यह भी

हिना बिष्ट

मैं दन्यां क्षेत्र के किशोरी संगठन की सदस्य हूँ। कक्षा नौ में पढ़ती हूँ। विद्यालय और गाँवों–शहरों में अनौपचारिक बातचीत के बीच लगातार अभिभावकों को यह कहते हुए सुनती हूँ कि लड़की पराया धन है। बड़ी होकर अपने ससुराल चली जायेगी। इस वजह से जब लड़का पैदा होता है तो घर में शहनाई बजती है। लड़की पैदा होती है तो मातम छा जाता है। इस भेदभाव पर एक स्वरचित कहानी इस प्रकार से है:

एक गाँव में दो बच्चे रहते थे। दोनों ही भाई–बहन बहुत झगड़ते थे। माँ लड़की को कम दूध परोसती और भाई को ज्यादा देती। लड़की चुप नहीं रहती थी। वह चुपचाप दूध निकाल कर स्वयं पी लेती। एक दिन भाई ने कहा कि वह खेलने जा रहा है। माँ ने तुरंत अनुमति दे दी। बहन ने पूछा तो कहा कि वह खेलने ना जाये। लड़की को बहुत गुस्सा आया। उसने प्रश्न किया कि अगर भाई जा सकता है तो वह क्यों नहीं जा सकती। माँ ने बताया कि लड़कियों को उछल–कूद करना शोभा नहीं देता। लोग ना जाने कैसी–कैसी बातें बनायेंगे। कहेंगे कि लड़की खेलने गयी है। लड़की ने जवाब दिया कि अगर लोग कहते हैं तो कहें। इस वजह से वह खेलना बन्द नहीं करेगी। अभी खेलने की उम्र है तो खेलना चाहिए। यह कहकर वह खेलने चली गयी।

भेदभाव केवल घर में ही नहीं, विद्यालय में भी होता है। अध्यापक कक्षा में होशियार बच्चों को सामने की कुर्सियों पर बैठाते हैं। मेरा मानना है कि जो बच्चियाँ पढ़ने में होशियार नहीं हैं उन्हें ज्यादा मौके मिलने चाहिए।

मेरी एक दोस्त है। वह एक दलित परिवार की बेटी है। मैं कहती हूँ कि भगवान ने उसे अन्य सभी लड़कियों की तरह शरीर दिया है, घर दिया है, फिर भेदभाव क्यों किया जाये?भेदभाव को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है। अब मुझे सब पता है। मैं अपने गाँव और विद्यालय की सभी लड़कियों से कहती हूँ कि भेदभाव को रोको, तभी हम सब सहेलियाँ मिलकर आगे बढ़ सकेंगी। किशोरी कार्यशालाओं में भाग लेने से पहले मुझे मालुम नहीं था कि समाज में असमानता का व्यवहार भेदभाव की वजह से है। मैंने कभी इस विषय पर गौर नहीं किया था लेकिन अब मेरी सोच बदल रही है।

भेदभाव

गरिमा बिष्ट

मैं जिला अल्मोड़ा के चिल गाँव में कक्षा नौ में पढ़ती हूँ। किशोरी संगठन की सदस्य हूँ। समाज में व्याप्त भेदभाव के संबंध में लिखना चाहती हूँ। भेदभाव का अर्थ है, आपस में ऊँच–नीच का व्यवहार करना। जैसे, लड़का–लड़की और जाति की भिन्नता के आधार पर अनेक प्रकार के भेदभाव किये जाते हैं। हमारे समाज में लोग लड़का–लड़की को एक समान नहीं मानते। उन्हें लगता है कि लड़की पराया धन है और लड़का अपना है। बचपन से ही लड़की को लड़के से कम हिस्सा दिया जाता है। चाहे वह भोजन के रूप में हो या पहनावा अथवा पढ़ाई के लिए मिलने वाले मौके। गरीब से गरीब परिवार भी लड़का होना जरूरी समझते हैं। यह नहीं समझते कि जितने अधिक बच्चे होंगे, उनके लालन–पालन में उतनी ही अधिक कठिनाइयाँ आयेंगी।

ज्यों–ज्यों बच्चे बड़े होते हैं उनके बीच में भेदभाव भी बढ़ता जाता है। अभिभावक बेटे को महंगे विद्यालय में भेजते हैं और लड़कियों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं। कुछ परिवार लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि लड़कियाँ पढ़कर क्या करेंगी? उनकी शादी ही होनी है और उसके बाद वे पराये घर चली जायेंगी। स्कूल में पढ़ने के बजाय उन्हें घर के काम–काज सीख लेने चाहिए। इससे उन्हें ससुराल के काम–काज निपटाने में कठिनाइयाँ नहीं होंगी। मैं यह सोच बदलना चाहती हूँ। समाज में हर एक को भेदभाव की सोच मन से निकाल देनी चाहिए। अगर लड़के पायलट, चिकित्सक, पुलिस और अध्यापक बन सकते हैं तो लड़कियाँ भी उनसे कम नहीं है। लड़का–लड़की में भेद करना फिजूल है।

इसके अलावा, जातिगत भेदभाव से छुआछूत की भावना बढ़ती है। अक्सर गाँवों में लोग जाति विशेष के साथ भोजन–पानी लेने–देने पर रोक लगाये रखते हैं। अगर कोई दलित किसी पंडित के नजदीक या पूजा–स्थल में गलती से भी चला जाये तो हड़कंप मच जाता है। इस व्यवहार को मिटाने की जरूरत है। संसार में सभी मनुष्य एक समान होते हैं। मेरी कक्षा में अनेक दलित लड़कियाँ पढ़ती हैं। हम सहेलियाँ आपस में कभी भेदभाव नहीं करतीं। सभी को एक समान मानती हैं। विद्यालय में सभी एक साथ पढ़ते हैं, साथ बैठते और खाते हैं। भेदभाव को जड़ से मिटाना जरूरी है। भेदभाव की वजह से स्त्रियों की उन्नति में बाधाएं आती हैं। महिला आंदोलन की गति धीमी पड़ जाती है।

जनमैत्री संगठन से बागवानी में सुधार

महेश सिंह गलिया

जनमैत्री संगठन के इतिहास में 23–24 दिसम्बर 2004 का समय अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उस वक्त, उत्तराखण्ड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान, अल्मोड़ा में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। युवाओं के लिए आयोजित इस कार्यशाला में एक सौ दो नवयुवकों ने भाग लिया। इसमें उत्तराखण्ड के अन्य युवा भाई–बहिनों के साथ जनमैत्री संगठन के सिद्धांतों एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा करने का अवसर मिला। जनमैत्री संगठन की दृढ़ सोच थी कि संगठन से जुड़ी स्थानीय कृषक महिलाओं और नौजवानों में एक संकल्प को साकार करके स्नेह–प्रेम के भावों की मजबूती के साथ ठोस काम किया जाये।

जहाँ चाह हो, राह भी निकल आती है। सन् 2011 में क्षेत्र में "निकरा" परियोजना शुरू हुई। जनमैत्री–संगठन ने गल्ला क्षेत्र (जिला नैनीताल) में इस कार्य को करने का जिम्मा लिया। खेती और बागवानी के सुधार से संबंधित गतिविधियों को जलवायु–परिवर्तन के संदर्भ में समझने की कोशिश की गयी।

इस कार्यक्रम के तहत किसानों की सहुलियत के लिए अनेक कृषि–उपयोगी यंत्र उपलब्ध करवाये गये। साथ ही, सब्जी के बीज एवं फलों की पौध भी किसानों को प्राप्त हुई। गाँवों में पानी की सुविधा के लिए विशेष प्रयत्न किये गये। अनेक परिवारों ने पॉली–हाउसों का निर्माण करके आमदनी बढ़ाई। निकरा परियोजना से कृषकों को मिले लाभों का आंशिक विवरण इस प्रकार हैः

रुट ट्रेनर

किसानों द्वारा बैमौसमी सब्जी की पौध एवं फूल उगाने, फलदार नींबू–प्रजाति एवं कहीं पर पदम आदि वृक्षों की पौध उगाने के लिए रूट ट्रेनर का उपयोग किया गया है।

कृषि यंत्र

लगातार परम्परागत तरीके अपनाने के बाद जब नये कृषि यंत्रों का उपयोग शुरू हुआ तो निश्चित रूप से किसानों की कार्यकुशलता बढ़ी। पारंपरिक यंत्रों के बार–बार खराब होने की

समस्या खत्म हुई। गल्ला क्षेत्र में रेक बहुपयोगी साबित हुआ है। कुदाल को भी सराहा गया है। मडुवा–थ्रेशर द्वारा एकल महिला–पुरुष भी कम समय में सरलता से कार्य कर पाते हैं। मड़ाई के पश्चात् फामा निकालने तक का कार्य मशीन की मदद से सहजता से हो जाता है। विशेषकर महिलाओं द्वारा इस यंत्र को सराहा गया है।

मौसम की विषम परिस्थितियों के बावजूद ग्राम गल्ला में सात दिन के अंदर स्पैकर टैफिना नाम का कीट नियंत्रित रहा। मौन–वंश को ध्यान में रखकर इस दवा का उपयोग सिर्फ सुबह–शाम के वक्त स्प्रे करते हुए किया गया। अन्य संगठनों को भी यह तरीका उपलब्ध करवाया है।

विगत वर्ष, शरद ऋतु में फूलों के अभाव से पुष्प–रस पराग की कमी हो गयी थी। इस वजह से स्थायी मौन–गृहों से बड़ी संख्या में मधुमक्खियाँ पलायन कर गयी थीं। इस वर्ष, मौसम की गड़बड़ी की वजह से मात्र दो मौन–बॉक्स में ही मधुमक्खियाँ डाली जा सकी हैं।

कुरमुला–ट्रैप

गल्ला क्षेत्र में लम्बे समय से कुरमुला कीट सब्जी, अनाज एवं फलों की नर्सरी को भारी नुकसान पहुँचा रहा था। कुरमुला–ट्रैप के प्रयोग से सार्थक परिणाम मिल रहे हैं। वातावरण से आयमेट, फॉस्फेट जैसी जहरीली दवाओं की दुर्गन्ध मिटी है। खेतों में पुनः रामदाना (चुआ) के पौधे पनप रहे हैं। विगत वर्षों की तरह खेतों में मटर, सेब, आड़ू की नर्सरी एवं पौध को कुरमुला कीट द्वारा नष्ट करने की गति धीमी हुई है। वी.एल. कुरमुला ट्रैप से बेहतर परिणाम किसान ट्रैप के हैं।

पॉली–हाउस

निकरा परियोजना के अंतर्गत गल्ला के आस–पास के गाँवों में आठ पॉली–हाउसों का निर्माण हुआ है। इस सुविधा के उपलब्ध हो जाने से किसान सब्जी, फल वृक्षों की नर्सरी के लिए पौध और विभिन्न प्रकार की सब्जियों के बीजों का उत्पादन कर रहे हैं।

सब्जी के बीज एवं पौध

इस वर्ष क्षेत्र में अनाज, सब्जी और बीजों का मिलाजुला उत्पादन रहा। विशेष रूप से वी. एल. शिमला–मिर्च, भिण्डी, चौलाई, मडुवा आदि का उत्पादन ठीक रहा। वैसे भी 2012 में सूखे की स्थिति थी। 2013 में कीवी के पौधों में अच्छी बढ़त देखी गयी परंतु बाहर से मंगवाये गये नीबू और माल्टा की पौधों में बढ़त कम हुई है।

प्लास्टिक के डिब्बे बहुपयोगी साबित हुए हैं। ग्रामवासी फल तोड़ने, सब्जी–संग्रह के अलावा गोबर की खाद उठाने, ईंट इत्यादि लाने–ले जाने और पानी भरने में इन डिब्बों का प्रयोग कर रहे हैं। इसके उपयोग से बारदाने के लिए पेड़ों और रिंगाल पर दबाव कम होना स्वाभाविक है।

शौचालय निर्माण

स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड महिला परिषद् द्वारा सत्रह शौचालयों के लिए सहयोग प्राप्त हुआ। ग्रामवासियों को शौचालय बनाना ही था, राहत मिली। शौचालय बनाने में ग्रामवासियों ने शीघ्रता दिखाई। शौचालय बनाने में अच्छा कार्य किया। निर्माण–संबंधी सभी निर्णय महिला संगठनों की खुली गोष्ठियों में लिये गये। इससे ग्रामवासियों के बीच स्वास्थ्य, शौचालय एवं पानी से जुड़े हुए मुद्दों पर स्पष्ट समझ और एक अच्छी कार्य–योजना बन सकी। इस कार्यक्रम से महिलाओं में आपसी मेलजोल और जुड़ाव बढ़ा है। साथ ही, जल–जनित बीमारियाँ कम हो रही हैं।

महिला संगठनों में गुणवत्ता

रेनू जुयाल

सन् 1987–88 में जब उत्तराखण्ड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान, अल्मोड़ा से जुड़ी हुई संस्थाओं द्वारा कार्य की शुरूआत हुई तो गाँवों में महिलाओं व बच्चों की संख्या पुरूषों की अपेक्षा अधिक थी। इस वजह से तय किया गया कि शिक्षा–संबंधी कार्य महिलाओं और बच्चों के साथ हों। महिलाओं का भी यही कहना था कि बच्चों के लिये कुछ शैक्षणिक कार्य किया जाना चाहिए। इसी जरूरत के आधार पर संस्थाओं ने गाँवों में बालवाड़ी कार्यक्रम की शुरूआत की। धीरे–धीरे इस कार्यक्रम से महिलाओं का जुड़ाव हुआ और गाँवों में संगठन बनने लगे।

बालवाड़ी कार्यक्रम में खेल–विधि से बच्चों के शिक्षण का कार्य किया गया। बच्चे चार घंटे के लिए केन्द्र में आते। इससे महिलाओं का कार्य–बोझ कम हुआ। वे बच्चों को केन्द्र में छोड़कर खेती–जंगल के काम निपटा लेतीं। संस्थाओं ने माह में एक दिन महिलाओं के साथ बातचीत करने की पहल की।

महिला संगठनों का निर्माण

संस्थाओं द्वारा गाँव में कार्य शुरु करने के लिए महिलाओं से बातचीत की गयी। धीरे–धीरे महिलाओं के जीवन से जुड़ी छोटी–छोटी बातों पर चर्चा होने लगी। महिलायें संगठन के रूप में इकट्ठा होने लगीं। संगठनों के माध्यम से सामुहिक हित के काम, जैसे–रास्ते और पानी के स्रोतों की सफाई, जंगलों की व्यवस्था में सुधार, एक–दूसरे की मदद, शराब–जुआ जैसी सामाजिक बुराइयों पर प्रतिबंध, ग्राम–कोष जमा करना आदि कार्य किये गये। महिलायें गाँव से बाहर निकल कर अन्य संस्थाओं के कार्य देखने के लिए जाने लगीं। धीरे–धीरे साहस बढ़ा और

वे अल्मोड़ा में आयोजित की जाने वाली गोष्ठियों में शामिल होने लगीं। आपस में अनुभवों और विचारों का आदान–प्रदान हुआ। गोष्ठियों में शामिल होने वाली महिलायें गाँव में वापस जाकर संगठन की अन्य सदस्याओं को भी शिक्षित करती थीं।

क्षेत्र स्तर पर गोष्ठियाँ एवं सम्मेलन

गाँवों से सभी महिलायें अल्मोड़ा नहीं आ सकती, इस वजह से मासिक गोष्ठियों के साथ–साथ आस–पास के संगठनों की सम्मिलित गोष्ठियाँ भी आयोजित की गयीं। गोष्ठियों में महिलाओं की दशा सुधारने, कार्य–बोझ कम करने, शिक्षा के प्रति जागरुकता लाने, स्वास्थ्य–संबंधी जानकारियाँ देने, निर्णय की प्रक्रिया में महिलाओं के महत्व को बढ़ाने तथा कुरीतियों, कुप्रथाओं, अत्याचार के प्रति आवाज उठाने का साहस जगाने के प्रयत्न किये गये। इन प्रयासों से ग्रामीण महिलाओं को आभास हुआ कि उनकी आवाज सुनने वाला भी कोई है।

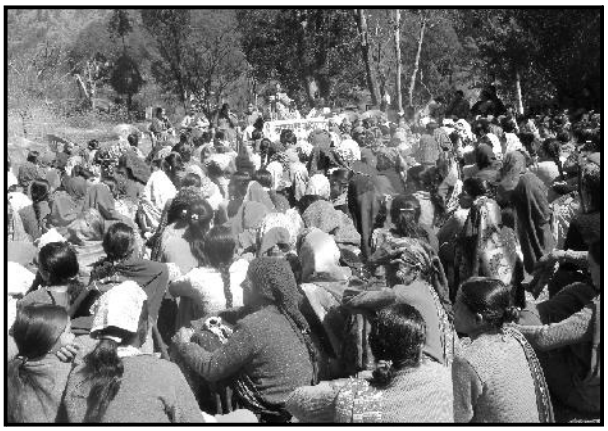

कम खर्चे में शौचालय–निर्माण, नर्सरी (पौधशाला) बनाना, वनीकरण, जंगलों का संरक्षण और संवर्धन, दीवारबंदी, प्लास्टिक के अस्तर वाली टंकियों में वर्षा का पानी इकट्ठा करना, फलों के पेड़ लगाना, चाल–खाव बनाना आदि कार्यों से महिलाओं को सुविधा हुई।

सन् 2001 में उत्तराखण्ड महिला परिषद् का गठन किया गया। परिषद् उत्तराखण्ड के लगभग 490 संगठनों का एक वृहद् मंच है। परिषद् में लगभग अठारह हजार सदस्याएं जुड़ी हैं। इस से सभी क्षेत्रीय संगठनों को एक मंच मिला है। महिलाओं के हौसले बुलन्द हुए हैं। उत्तराखण्ड महिला परिषद् की कार्य–प्रणाणी की विशेषता यही है कि उपरोक्त सभी कार्यों से संबंधित निर्णय स्वयं महिलायें सामुहिक गोष्ठियों में लेती हैं।

क्षेत्रीय स्तर पर महिला संगठनों द्वारा किए जा रहे कार्यों में एक–दूसरे का सहयोग, एकल महिलाओं की मदद, गाँवों में आगंतुकों (फेरीवाले, बर्तन बेचने वाले, जेवर साफ करने वाले, लड़कियों की शादी की बातें करने वाले) की संख्या और कार्य–कलापों की जानकारी रखना और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करना, शराब–जुआ आदि सामाजिक बुराइयों पर प्रतिबंध लगाना आदि कार्य शामिल हैं। संगठनों के दबाव से ग्रामवासी खुलेआम सामाजिक बुराइयों को नहीं अपनाते। शराब पीकर गाली–गलौज, मारपीट एवं बच्चों को परेशान करने की घटनाओं में बहुत कमी आयी है।

संगठन की सदस्याएं गाँव में आंतरिक कोष जमा करती हैं। जमा हुई पूँजी से सामुहिक जरूरतों की सामग्री खरीदती हैं। जरूरत पड़ने पर आंतरिक ऋण देकर एक–दूसरे की मदद करती हैं। जागरूकता बढ़ाने के प्रयत्नों के साथ–साथ संगठन रचनात्मक कार्यों से जुड़े रहते हैं।

सन् 1980 के दशक में प्रति परिवार बच्चों की संख्या लगभग पाँच से सात तक थी। सड़क से दूर स्थित गाँवों में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं का टीकाकरण नहीं होता था। धीरे–धीरे संगठनों के माध्यम से यह कार्य शुरू हुआ। संस्थाओं ने गाँवों में साफ–सफाई व पौष्टिकता के महत्व के बारे में बातचीत की। बच्चों और गर्भवती महिलाओं का वजन लिया गया। गर्भावस्था, प्रसव एवं माहवारी के वक्त साफ–सफाई का ध्यान रखना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का काम किया। इससे गाँवों में काफी बदलाव आया।

कार्यक्रम की शुरूआत में गाँवों में शिक्षा का प्रसार बहुत कम था। खासतौर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए सीमित सुविधाएं और अवसर उपलब्ध थे। फिर भी, धीरे–धीरे परिवर्तन हुआ। इनमें से कुछ बदलावों का उल्लेख इस प्रकार से है:

आज गाँव में मजदूरी करके जीवन–यापन कर रहे परिवार भी चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। इस वजह से गाँवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ा है। ग्रामवासी शहरों और कस्बों में जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। गाँव में पढ़ने के बाद लड़कियाँ शहरों में आकर उच्च शिक्षा ले रही हैं।

गाँवों में भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ी है। जैसे–फ्रिज, पंखे, मोबाइल फोन, टेलीविजन आदि उपलब्ध हैं। रहन–सहन में बदलाव हुआ है। खान–पान और पहनावे में काफी बदलाव आया है। पहले से महिलायें मोटे कपड़े पहनती थीं। आजकल पतली साड़ियाँ और सलवार कमीज पहनावे में हैं। बाजार पर निर्भरता बढ़ी है। खेती के प्रति लोगों को रुझान कम हुआ है। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, अब अधिकतर परिवार एकल हैं। प्रति परिवार सदस्यों की संख्या कम हुई है।

घरेलू काम, पशुपालन, खेती, जंगल से लकड़ी, चारापत्ती, बिछावन आदि इकट्ठा करना आदि कार्यों को करने के तरीके में फर्क आया है। गाँवों तक बिजली, सड़क की पहुँच होने से भौतिक सुख–साधनों में बढ़ोत्तरी हुई है। घर के भीतर उपभोग की वस्तुएं बढ़ने के साथ–साथ आडंबरपूर्ण जीवन–शैली विकसित हुई है।

ग्राम स्तर में बैठक करना पहले की अपेक्षा कठिन हो गया है। गाँवों में निवास कर रही नई पीढ़ी में उत्साह की कमी और हताशा दिखाई देती है। सभी आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं। कठिन कार्य नहीं करना चाहते। बुजुर्ग महिलायें इस बदलाव को समझती हैं। बुजुर्ग स्त्रियों

में साक्षरता की दर कम है लेकिन ज्ञान बहुत है, समझदारी ज्यादा है। गाँवों में गोष्ठियाँ करना इस वजह से भी कठिन हुआ है कि ग्रामवासियों के बीच आपसी–विश्वास में कमी आई है।

किसी भी क्षेत्र में काफी लम्बे समय तक काम करने के बाद ही सफलता मिलती है। सामाजिक क्षेत्र में तीन या पाँच साल तक काम करने से बदलाव नहीं होता। सामाजिक बदलाव के लिए निरंतर प्रयास किये जाने आवश्यक हैं। इस का मुख्य कारण तो यही है कि समाज में जटिलतायें बहुत हैं। जैसे ''सबको शिक्षा,'' ''लड़का–लड़की एक समान,'' ''हम सब एक हैं,'' ''जाति–पाति और भेदभाव मिटाना है,'' ''धूम्रपान ना करें,'' आदि नारे पढ़ने और सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन व्यवहार में लाना कठिन है।

उत्तराखण्ड महिला परिषद् के गठन से राज्य की ग्रामीण महिलाओं को एक मंच मिला है। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। परिषद् ग्रामीण महिलाओं के सम्मान की हिमायती है। परिषद् के गठन से खेती के काम में एकल महिलाओं को सहारा हुआ है। मुखसार बंद करने से कृषि–व्यवस्था में सुधार आया है। साथ ही, सामुहिक नियम तोड़ने वाले परिवारों के लिए दंड का प्रावधान रखा गया है। दंड की राशि से महिला कोष में मूलधन बढ़ता है। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ती है। साथ ही, सरकारी योजनाओं तक संगठनों की पहुँच बनी है। इन सभी प्रयासों से महिलाओं की झिझक दूर हुई है। उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। वे अपनी पीड़ा निर्भय होकर कह पाने की हिम्मत जुटा पायी हैं। संगठनों में एकता होने से सहयोग की भावना बढ़ी है। रहन–सहन, साफ–सफाई में बदलाव आया है। शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। महिलायें अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं और संगठनों के काम–काज संभालने में सक्षम हैं।

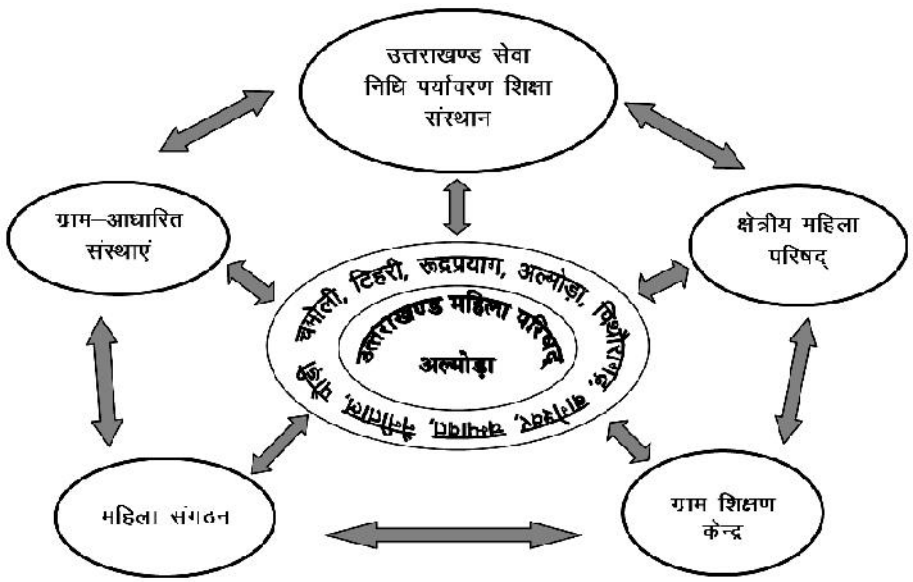

साक्षरता केन्द्र कोट्यूड़ा

दीपा जोशी

मैंने कोट्यूड़ा गाँव में दस अप्रैल 2013 से बारह अप्रैल 2014 तक महिला साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र का संचालन किया। सबसे पहले गाँव की कुछ जागरूक महिलाओं ने साक्षरता केन्द्र की जरूरत के बारे में संस्था से बातचीत की। शायद इसी वजह से साक्षरता केन्द्र अच्छी तरह से चल सका। मैं इस कार्य में सफल भी हुई। संस्था ने महिलाओं की गोष्ठी की और मुझे साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र की शिक्षिका के रूप में चुना। संस्था कार्यकर्त्ता बनने से काफी खुशी हुई। मुझे महिलाओं के साथ काम करने और उन्हें पढ़ाने में अच्छा लगता है। महिलाओं ने भी इस कार्य के लिए पूरा सहयोग दिया। केन्द्र में काम करते हुए नये–नये अनुभव होते गये। अनेक गतिविधियाँ सीखने को मिली।

महिला साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र चलाने से पहले मैंने गाँव में सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में पाया कि कुछ महिलायें साक्षर और कुछ निरक्षर थीं। कुछ महिलायें बचपन में प्राथमिक विद्यालय गयी थी लेकिन वक्त के साथ पढ़ना–लिखना भूल चुकी थीं।

मैं केन्द्र चलाने के लिए प्रशिक्षण लेने उत्तराखण्ड महिला परिषद्, अल्मोड़ा में गई। प्रशिक्षण लेने के बाद, दो अप्रैल 2013 को साक्षरता केन्द्र का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में गाँव की सभी महिलायें उपस्थित थीं। ऊष्मा संस्था की ओर से श्रीमती लीला बिष्ट, पुष्पा पुनेठा व कमला जोशी ने केन्द्र का उद्घाटन किया।

दस अप्रैल 2013 से महिला साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र की शुरूआत हुई। कुछ दिनों तक शैक्षणिक कार्य बहुत अच्छी तरह से चला। साक्षरता केन्द्र में सभी महिलायें एक साथ कार्य करती थीं। एक दिन महिलाओं के बीच विवाद हो गया। केन्द्र गाँव की आँगनवाड़ी के कमरे में चलता था। केन्द्र की स्थिति को लेकर दो तोकों की महिलाओं में बातचीत बढ़ गयी। एक तोक की महिलायें दूसरे तोक में आने–जाने में असुविधा महसूस करती थीं। इस विवाद की जानकारी साक्षरता केन्द्र की मार्गदर्शिका पुष्पा दीदी को हुई। उन्होंने गाँव की सभी महिलाओं की संयुक्त गोष्ठी बुलायी। बातचीत की। इस गोष्ठी से यह निर्णय निकला कि दोनों तोकों की महिलाओं का केन्द्र अलग–अलग कर दिया जाये। इस वजह से मैंने सप्ताह के तीन दिन, (रविवार, सोमवार, मंगलवार)

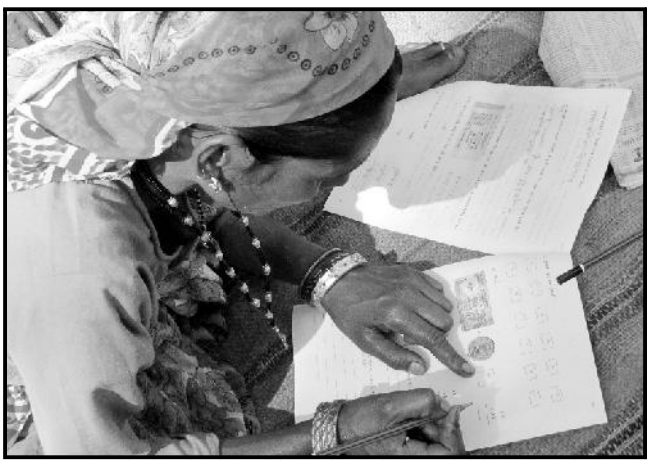

एक तोक के आँगनवाड़ी केन्द्र में और अगले तीन दिन, (बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार) दूसरे तोक में शिक्षण का काम किया। यह व्यवस्था मेरे लिए भी काफी परेशानीजनक थी। फिर भी, कोशिश की और महिलाओं को पूरा अभ्यास कराया। साथ ही, विवाद को दूर करके सभी महिलाओं के बीच एकता लाने के लिए गोष्ठियों के आयोजन का काम निरंतर चल रहा है।

पंचायतों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

हेमा नेगी

मेरे गाँव का नाम पुडियाणी है। यह गाँव उत्तराखण्ड में जिला चमोली के विकास–खण्ड कर्णप्रयाग में स्थित है। ग्राम पुडियाणी में लगभग एक सौ पच्चीस परिवार रहते हैं। लगभग पाँच सौ इक्कीस ग्रामवासी अठारह वर्ष से ऊपर तथा दो सौ पचास छोटे बच्चे एवं किशोर–किशोरियाँ हैं। पुडियाणी गाँव के महिला संगठन में एक सौ बीस महिलायें पंजीकृत हैं।

महिला संगठन की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती हेमा देवी 2014 में पंचायती चुनाव जीतकर ग्राम प्रधान बनी हैं। उनके स्थान पर श्रीमती ममता देवी को महिला संगठन की अध्यक्षा बनाया गया है। साथ में श्रीमती उर्मिला देवी उपाध्यक्षा, श्रीमती पूजा देवी सचिव, श्रीमती बुधाड़ी देवी कोषाध्यक्षा, श्रीमती कमला देवी महामंत्री हैं। श्रीमती मुन्नी देवी, श्रीमती बरती देवी को वार्ड संख्या सात से जागरूक महिला, वार्ड छः से श्रीमती लीला देवी, श्रीमती सोवनी देवी को पंचायती कार्यों में देख–रेख समिति की सदस्या, वार्ड पाँच से श्रीमती अनीता देवी को सार्वजनिक कार्यों में खान–पान संबंधी मामलों की समिति की सदस्या, वार्ड चार से श्रीमती भामा देवी, श्रीमती दीपा देवी को गाँव में शोर–शराबा, शान्ति भंग करने संबंधी जानकारी रखने तथा इसी प्रकार से अन्य महिलाओं को भिन्न–भिन्न जिम्मेदारियाँ दी गयी हैं। वर्तमान में ग्राम–सभा पुडियाणी में वार्डों की संख्या सात है।

यह बड़े हर्ष का विषय है कि पुडियाणी में ग्राम प्रधान महिला है। उपप्रधान भी महिला है और चार वार्ड सदस्याएं भी महिलायें हैं। ग्राम सभा की बैठकों में भी महिलाओं की संख्या अधिक रहती है। सामाजिक हो या व्यक्तिगत कार्य, महिलायें बढ़चढ़ कर हर गतिविधि में भाग लेती हैं। हमारे गाँव की पूर्व क्षेत्र–पंचायत सदस्या श्रीमती गायत्री देवी इस बार जिला पंचायत सदस्या बनी हैं।

लगभग बीस वर्ष पहले बना यह संगठन गाँव की एक मजबूत इकाई बन गया है। पहले महिलाओं को चारा–पत्ती, घास–लकड़ी के लिये आस–पास के जंगलों पर निर्भर रहना पड़ता था। पुडियाणी गाँव के संगठन में कुछ ऐसी महिलायें और सहयोगी पुरूष थे जिनकी स्पष्ट सोच

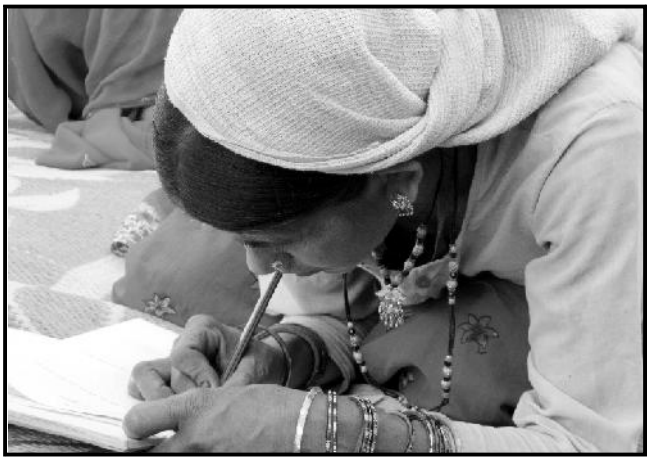

से ग्रामवासियों ने अपना जंगल बनाने का साहस जुटाया। गाँव में योजना बनी, बैठक बुलाई गयी। लगभग तीन हेक्टेयर भूमि पर उगे बाँज के वृक्षों की छँटाई की गयी। काँटे–झाड़ियाँ तथा अन्य जंगली वनस्पतियों को काटकर जंगल में छोटे–छोटे और मुरझाये हुए पौधों को नया रूप दिया गया। यह महिला संगठन की प्रथम पहल थी। पौधों की सुरक्षा के लिये एक चौकीदार की व्यवस्था की गयी। प्रत्येक परिवार से चन्दा इकट्ठा करके चौकीदार को दिया गया। समय–समय पर पौधों की देखभाल की गयी। इसमें से कुछ वृद्ध महिलायें आज भी हमारे बीच में हैं। वे अब जंगल नहीं जा सकती पर अपने जीवन–काल में उन्होंने भावी पीढ़ी की सुविधा के लिये महत्वपूर्ण काम कर दिखाया है।

आज इस जंगल में हजारों बाँज, काफल, बुराँश और अयाँर के वृक्ष हैं। जंगल से पत्तियाँ, सूखी लकड़ी, बिछावन के लिए सूतर, पशुओं के लिए चारा तथा बुराँश–काफल जैसे कई किस्म के फल एवं फूल स्वतः ही प्राप्त होते हैं। पहले जिस घास, चारे को इकट्ठा करने के लिये बहनें पूरा दिन जंगल में बिताती थीं, आज उन्हें कोई समय ही नहीं लगता। संगठन से चुनी हुई कुछ महिलायें पेड़ छाँटने में मदद करती हैं। इससे पौधों को नुकसान नहीं होता तथा भविष्य के लिए कार्य योजना भी अच्छी बनती है।

जंगल पालने से सबसे ज्यादा फायदा पुडियाणी गाँव के निवासियों को हुआ। साथ में, बाँज के वृक्षों की अधिकता के कारण गैरोली, तल्ली गैरोली, सेनू, कोली भटोली, सुन्दर गाँव, कुकड़ई, दियारकोट आदि गाँवों को भी इन पेड़ो से फायदा मिला। अब इन गाँवों में भरपूर पानी उपलब्ध रहता है।

महिला संगठन की बैठक प्रत्येक माह की एक तारीख या प्रथम रविवार को होती है। बैठक में अलग–अलग कार्यभार संभाले हुए सभी महिलायें अपनी–अपनी बातें कहती हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों में अपनी–अपनी भूमिका निभाती हैं। रास्तों की सफाई, बन्दरों से खेतों की रक्षा, गायों द्वारा नुकसान बंद करना, जंगल में बाहरी गाँवों द्वारा नुकसान पहुँचाने का विरोध, गाँव में शोर–शराबा, शराब पीकर या किसी का कोई भी नुकसान ना हो, ये सभी जिम्मेदारियाँ महिला संगठन ने ली हैं। ब्लॉक और क्षेत्र स्तर के मेलों या शादी–विवाह, मुण्डन आदि समारोहों में संगठन पूरी भागीदारी निभाता है। पुरस्कार की राशि महिला संगठन के खाते

में जमा की जाती है। इससे कई बार सामुहिक उपयोग के लिये बर्तन, दरी एवं अन्य सामान खरीदा गया है। साथ ही, क्षेत्र में स्थानीय देवी–देवताओं की डोली का भ्रमण होने पर भी महिला संगठन मदद करता है।

महिला संगठन से जुड़े हुये राजेन्द्र सिंह भाई एवं गाँव के अन्य सभी पुरूष और युवा भी पूरा सहयोग करते हैं। वे चाहते हैं कि महिलायें आगे बढ़ें और हमारे गाँव का नाम रोशन हो। जंगल की देख–भाल में सरपंच श्री मदन सिंह एवं पूर्व चौकीदार श्री पूरन सिंह जी की भी बड़ी भूमिका रही। साथ ही, उक्त क्षेत्र में ''शेप'' संस्था पिछले दस वर्षों से पर्यावरण संरक्षण, बाल–शिक्षण एवं महिलाओं के साथ निरन्तर बैठकों का आयोजन, महिला सम्मेलन, ग्रामीण स्वच्छता के अर्न्तगत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण, मनरेगा पर समझ, सूचना का अधिकार आदि मुद्दों पर जनजागरण के लिये निरंतर प्रयासरत रही है।

मैं स्वयं 2014 में सम्पन्न हुए पंचायती चुनावों के बाद ग्राम–प्रधान के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी शादी लगभग सत्रह वर्ष पहले हुई। तब से ग्राम पुडियाणी में बहुत परिवर्तन आया है। लगभग सात वर्षों तक मैं राजकीय जुनियर हाईस्कूल में एक पैराटीचर के रूप में कार्यरत रही। साथ ही, महिला संगठन पुडियाणी की अध्यक्षा भी रही। महिला संगठन में काम करते हुए मुझे इच्छा हुई कि गाँव के लिये कुछ कार्य करूँ। कई बार संगठन की टीम ने विकासखण्ड स्तरीय कार्यक्रमों में भाग लिया। पुरस्कार भी प्राप्त किया। कई मेलों में महिलाओं ने सामाजिक बुराइयों पर नाटक, संस्कृति से संबंधित झुमेले, चौफले और मांगल्य गीतों में प्रतिभाग किया तथा सम्मान प्राप्त किया। आज विकासखण्ड हो या कोई भी अन्य आस–पास का क्षेत्रीय मेला, पुडियाणी महिला संगठन का बहुत सम्मान होता है। वह इसलिए कि गाँव की सभी महिलायें जागरूक हैं, अच्छी कलाकार हैं। शुरूआत में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने की एक मुख्य वजह यह थी कि महिलाओं की झिझक दूर हो। धीरे–धीरे महिलायें इस कार्य में निपुण हो गयीं हैं।

अपने गाँव के लिये मेरे कुछ सपने हैं। मैं चाहती हूँ कि विकास कार्यों के निर्णय स्वयं महिलायें ले सकें। वे किसी भी कार्य को करने जायेंगी तो गाँव का सामुहिक हित होगा। इस समय हमें विकास की पूरी उम्मीद है क्योंकि हमारे गाँव से अनेक महिला प्रत्याशी विजयी हुई हैं। जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा ग्राम–प्रधान महिलायें ही बनी हैं। पंच भी महिलायें हैं।

मैं सभी ग्राम–प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों व अन्य लोगों से निवेदन करती हूँ कि वे गाँव के विकास के लिये ऐसा कार्य करें जो हमेशा ग्रामवासियों के काम आये। सरकारें योजनायें बनाती हैं, प्रशिक्षण देती हैं फिर भी कार्य अपने हिसाब से करवाती हैं। हर वर्ष गाँवों में रास्ते बनाये जाते हैं। जंगलों में पानी–मिट्टी रोकने के लिए कच्चे गढ्ढे खोदे जाते हैं, दीवारें बनायी जाती हैं लेकिन गाँव का विकास रुका रहता है। प्रत्येक वर्ष यदि रास्ता ना बने, दीवार ना बने,

चाल–खाव ना बने तो उम्मीद करती हूँ कि किसी गरीब को आवास मिलेगा, वह जिन्दगी भर खुश रहेगा। रास्ते का पत्थर एक साल, एक योजना पर तो दूसरे वर्ष दूसरी योजना में लग जाता है पर गरीब के घर में लगा हुआ पत्थर वहीं पर रहेगा।

लगभग आठ–दस सालों से सुअरों और बन्दरों द्वारा पहाड़ों में खेती को अत्यंत नुकसान पहुँच रहा है। फिर भी, इसके लिये कोई योजना नहीं बन रही है, यह दुःख उत्तराखण्ड की सभी ग्रामीण महिलाओं को है। मैं चाहती हूँ कि रोजगार गारंटी के कार्यों या अन्य निधियों से जो भी विकास के कार्य हों उनमें सुअरों से सुरक्षा के लिए दो मीटर की दीवार या काँटेदार तार प्रत्येक ग्राम–सभा में दिये जायें। तभी खेतों में की गई मेहनत का फल मिल सकेगा। साथ ही, गाँवों के लिये भी कुछ महीनों का खाद्यान्न मिलना जरूरी है। इसके अलावा बन्दरों के लिये बाड़े खोले जायें। सुअरों तथा बन्दरों से रक्षा के लिये किसानों को हल्दी, अदरक जैसी फसलों का बीज वितरित किया जाए तो नुकसान नहीं होगा और आमदनी भी बढ़ेगी। ऐसी ही योजनाओं से गाँव का विकास सम्भव है। इसी से गरीबी दूर हो सकती है, अन्यथा महिलाओं द्वारा खेतों में की जाने वाली मेहनत का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल रहा।

स्वयं में बदलाव

हेमा रावत

मैं पारिवारिक और सामाजिक कारणों से हाईस्कूल के बाद शिक्षा नहीं ले पायी लेकिन कुछ विशेष करने की चाहत लगातार बनी रही। मुझे घर से बाहर जाने व लोगों से बातचीत करने में बहुत डर लगता था। अपरिचितों को देखकर घर के भीतर छिप जाती थी। जब मैंने हाईस्कूल उत्तीर्ण किया तो उस वक्त हमारे गाँव में सीड संस्था के माध्यम से बालवाड़ी चल रही थी। बालवाड़ी शिक्षिका शान्ती दीदी की शादी तय हो गयी। वह गोष्ठियों में भाग लेने आसपास के गाँवों में जाती थी और महिलाओं की बैठकें भी संचालित करती थी। मैं उस वक्त सोचती थी कि काश यह सब कर पाती, लेकिन मुझे बहुत संकोच होता था।

शान्ति की शादी तय हो जाने की वजह से नयी शिक्षिका की तलाश हो रही थी। गाँव में अधिकतर लड़कियाँ कक्षा आठ तक पढ़ी थीं। जो ज्यादा पढ़ी–लिखी थीं उनकी शादियाँ हो रही थीं। शान्ती दीदी ने मुझसे बालवाड़ी चलाने को कहा लेकिन मैं साहस नहीं जुटा पा रही थी। उनके प्रोत्साहन से एक दिन केन्द्र में गयी। वह मुझे केन्द्र के बारे में बता रही थी कि इतने में बालवाड़ी की मार्गदर्शिका भगवती दीदी वहाँ आ गयी। उसे आते देख मैं डर कर भागी और घर वापस चली गयी।

दूसरे दिन शान्ती दीदी ने मुझे पुनः समझाया कि बालवाड़ी में हिम्मत के साथ आना है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अनेक महिलाओं के उदाहरण दिये कि वे साहस के साथ आगे बढ़ी हैं। महिला संगठन ने भी मुझे शिक्षिका के रूप में चुन लिया। मैंने बड़ी हिम्मत करके बालवाड़ी चलानी प्रारम्भ की।

एक दिन मैं सुनाड़ी, सीड संस्था की बैठक में भाग लेने गयी। वहाँ मुझे कई अन्य लड़कियाँ मिली जो जान–पहचान की ही थीं। वे सभी बालवाड़ी चला रही थीं। बोलने में झिझकती नहीं थी। वहाँ हमें संस्था सचिव काण्डपाल जी ने कार्यक्रम के बारे में समझाया। उसके बाद मुझे दस दिन के लिए अल्मोड़ा प्रशिक्षण में भेज दिया।

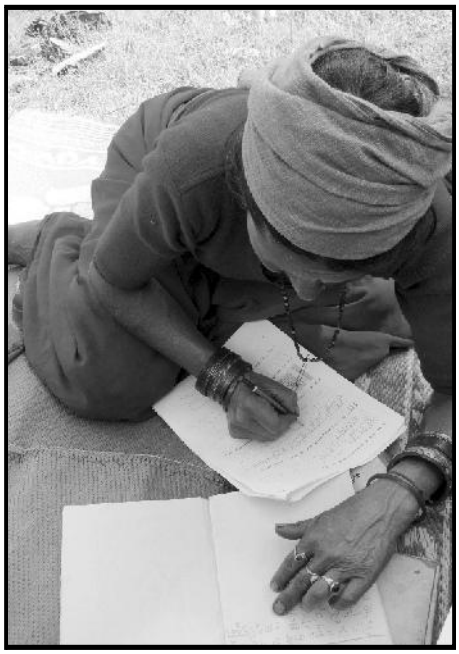

मैं पहली बार घर से बाहर निकलकर उत्तराखण्ड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान, अल्मोड़ा में पहुँची। वहाँ हमें ऐसी शिक्षा मिली जो विद्यालय की पढ़ाई से बिल्कुल अलग थी। वहाँ गाँव की साधारण शिक्षिकाओं को देखने के बाद मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा। प्रशिक्षण के उपरान्त बालवाड़ी शिक्षिका का काम करने के दो–चार महीने बाद ही मेरा डर व झिझक गायब हो गयी। मैं सबके सामने बेझिझक होकर अपनी बातें कहने लगी। केन्द्र चलाने से मुझे महिला जागरूकता व सही गलत की बातें समझ में आने लगी। कई महिला सम्मेलनों, गोष्ठियों व कार्यशालाओं में भागीदारी के अलावा मैंने लगभग छः वर्ष तक बालवाड़ी चलायी। इस तरह मेरा उत्साह बढ़ता गया। महिलाओं से गाँव की समस्याओं पर चर्चा व चिंतन करने की क्षमता बढ़ गयी।

उसके बाद मेरी शादी ग्राम सुरना में हो गयी। गाँव में खूब पानी उपलब्ध था इसलिए खेती भी अच्छी होती थी। सुरना गाँव में महिला संगठन नहीं बना था। ना ही महिलायें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर बोलती थी। वे दिन–रात खेती के कार्य में जुटी रहती थीं। सम्पन्न गाँव होने के बावजूद महिलायें एकजुट होकर गाँव के विकास के मुद्दों पर चर्चा नहीं करती थी। मैं जब वहाँ गयी तो महिलाओं की दशा पर बड़ी चिन्ता हुई। जंगल ऊँची पहाड़ियों पर है इसलिए घास–लकड़ी लेने जाते वक्त महिलायें परेशान रहती थीं। मैंने घास–लकड़ी इकट्ठा करते हुए और खेतों में कार्य करते समय अपने मायके के संगठन व सीड संस्था के बारे में बताया। कुछ महिलाओं की समझ में आया। पुरूष प्रधान गाँव होने के कारण महिलायें स्वतः निर्णय नहीं ले सकती थी। इसलिए कुछ

पुरूषों से भी चर्चा की। काफी चर्चा के बाद महिलाओं को बिन्ता व जालली में आयोजित महिला सम्मेलनों में ले गयी। इन सम्मेलनों से उनमें काफी प्रभाव पड़ा। वहाँ महिलाओं के विचारों व अनुभवों को सुनने के बाद उन्होंने भी गाँव में संगठन बनाने की बात कही।

मैंने सीड संस्था की मार्गदर्शिका श्रीमती माया जोशी को बुलाकर अप्रैल 2014 में महिला संगठन का पुनः गठन किया। अब हम सुरना गाँव में हर माह गोष्ठी करते हैं। महिलायें अपने आस–पास की घटनाओं पर चर्चा करती हैं। सामुहिक कार्यो में भाग लेती हैं। अल्मोड़ा गोष्ठियों में भाग लेने जाती हैं। पहले जंगल में कच्ची लकड़ी काटने पर रोक नहीं थीं। अन्य गाँवों की महिलायें भी जंगलों से कच्ची लकड़ी काटकर ले जाती थी। एक दिन उन्हें रोकने के लिए हमने घेरा डाला और कहा कि यदि वे कच्ची लकड़ी काटेंगी तो हम शिकायत कर देंगे। तब बैठक में चर्चा के बाद तय हुआ कि कोई कच्ची लकड़ियाँ नहीं काटेगा। तब से ग्रामवासी कच्ची लकड़ियाँ नहीं काटते।

अब महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। इस वर्ष संस्था द्वारा हमारे गाँव में ग्राम शिक्षण केन्द्र खोला गया है। महिलाओं ने बहुत विचार–विमर्श के बाद शिक्षिका हेतु शान्ती देवी का चयन किया है। इस केन्द्र की पुस्तकों का लाभ गाँव के सभी लोग ले रहे हैं। केन्द्र में तीस बच्चे आते हैं। अब ग्रामवासियों का ''साथ–साथ चलो'' का सोच मजबूत हो रहा है।

महिला पंच

मुन्नी भट्ट

मैं कोट्यूड़ा गाँव की पंच हूँ। महिला संगठन की सदस्या भी हूँ। मैं ग्राम–सभा की गोष्ठियों में भाग लेने के लिए जाती हूँ। संस्था द्वारा गाँव और क्षेत्र में आयोजित की जाने वाली बैठकों और सम्मेलनों में भाग लेती हूँ। उत्तराखण्ड महिला परिषद्, अल्मोड़ा द्वारा आयोजित की गई गोष्ठियों में भी हिस्सेदारी करती हूँ। गाँव में मासिक गोष्ठी होती है। उसमें संस्था से आई हुई दीदी कहती हैं कि महिलायें अपने अधिकारों के लिए, हक के लिये आवाज उठायें। समाज में खुलकर अपनी बातें कहें। पहले हम गोष्ठियों में जाते थे तो चुप रहते थे लेकिन संस्था में जुड़ने के बाद परिवर्तन आया है। जब भी ग्राम–सभा की खुली बैठक होती है, सभी ग्रामवासी वहाँ जाते हैं। मैं ब्लॉक की बैठक में अपने वार्ड की समस्याएं कहती हूँ ताकि उनका समाधान हो और ग्रामवासियों को सुविधाएं मिलें।

एक बार कुछ स्त्रियाँ ग्राम–सभा की खुली बैठक में भाग ले रही थीं। गोष्ठी में पुरूष ज्यादा बोल रहे थे। महिलाओं ने कहा कि पुरूषों की संख्या ज्यादा है, महिलायें कम हैं। फिर भी,

उन्हें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। यह सुनकर ग्राम–विकास अधिकारी ने कहा कि महिलायें अपनी समस्याएं कहें। महिलाओं ने रास्ता बनाने हेतु प्रस्ताव लिखा। फिर मैंने अपने गाँव में सी.सी. मार्ग बनवाया। गाँव की महिलाओं को काम पर रखा। महिलाओं ने पत्थर ढोये, पुरूषों ने रास्ता बनाया। ग्राम–प्रधान के साथ विकासखण्ड की गोष्ठी में भी गई। वहाँ सरकारी योजनाओं की जानकारी हुई। संस्था के माध्यम से आवेदन–पत्र लिखना सीखा। कुछ महिलाओं को पेंशन का फार्म भरना सिखाया।

जब गाँव में क्षेत्र–पंचायत सदस्य आये तो हमने धर्मशाला बनाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार करके काम शुरू करने की अनुमति दी। महिलाओं ने संगठन के माध्यम से काम किया। मंदिर में सभी ग्रामवासियों ने एक दिन श्रमदान भी किया।

हमें उत्तराखण्ड महिला परिषद् की गोष्ठियों में पंचायत–सम्बन्धी अनेक जानकारियाँ दी जाती हैं। अल्मोड़ा में आयोजित गोष्ठियों में कुमाऊँ, गढ़वाल क्षेत्रों की महिला पंच एवं प्रधान आती हैं। वे अपने–अपने कार्यों के अनुभव बताती हैं। इन अनुभवों से हमें काफी हिम्मत मिलती है। योजनाओं की जानकारी होती है। विकासखण्डों की योजनाएं गाँव में कैसे चलती हैं, यह पता चलता है। हम लोग भी अपने अनुभव उन्हें बताते हैं। सभी के अनुभवों का आदान–प्रदान होता है। गोष्ठी में आई हुई सभी महिलाओ की जानकारियाँ बढ़ती हैं।

इस वर्ष 2014 में भी ग्राम–प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव होने हैं। महिलाओं ने अपने संगठन से किसी अच्छे व्यक्ति या महिला को सहयोग देना है ताकि वह आने वाले पाँच सालों में गाँवों का विकास कर सके। इस बीच लगातार तीन माह से हमारे गाँव–क्षेत्र में पंचायत चुनाव–सम्बन्धी चर्चाएं हो रही हैं। संगठनों की मासिक गोष्ठियों में भी यही चर्चा हो रही है। संस्था की कार्यकर्त्ताओं ने हमें महिला परिषद्, अल्मोड़ा, द्वारा तैयार किये गए पोस्टर दिखाकर समझाया कि महिलायें घर व बाहर के सभी काम कर सकती हैं तो पंचायतों में क्यों नहीं जा सकती? महिलायें सामान्य एवं आरक्षित दोनों सीटों से चुनाव लड़ सकती हैं। पहले तो गाँव में महिलाओं को भ्रमित कर देते थे। सामान्य–सीट को पुरूष–सीट कह कर चुनाव लड़ते थे लेकिन अब महिलाओं की जानकारी बढ़ी है। वे चुनाव में बढ़–चढ़ कर भाग लेने लगी हैं।

उत्तराखण्ड महिला परिषद्, अल्मोड़ा द्वारा जो पर्चे तैयार किये गये, उसमें दस मुद्दे हैं। इस अपील में बताया है कि गाँव में किस तरह के व्यक्ति को ग्राम–प्रधान, क्षेत्र–पंचायत, जिला–पंचायत सदस्य या पंच चुना जाना चाहिए। जिस व्यक्ति में गुण हों, वही पंचायत प्रतिनिधि बने। सब उसे सहयोग दें। एकल, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं को महत्व दें। इस बार के चुनाव में भी हमारे संगठन से कोई महिला पंच बनेगी। हम संगठन की तरफ से उसे सहयोग देंगे। गाँव में संगठन के माध्यम से ही सब कार्य करेंगे। भविष्य में आशा करते हैं कि स्थानीय संस्था उत्तराखण्ड शिवा शक्ति समिति तथा उत्तराखण्ड महिला परिषद् हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। संगठन को पंचायती–चुनाव सम्बन्धी जानकारियाँ और शैक्षणिक सामग्री मिलती रहेगी, इससे हम महिलायें मिलजुलकर अपने गाँव का विकास खुद करेंगी।

भरी मुठ्ठी से फिसलती स्वप्नों की रेत

मीरा नेगी

नयार घाटी ग्राम स्वराज्य समिति, जिला पौड़ी गढ़वाल, ने सन् 1988 में उत्तराखण्ड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान, अल्मोड़ा के सहयोग से महिला संगठनों के साथ कार्यों की शुरूआत की। महिलाओं को जागरूक करने के लिए गाँवों में गोष्ठियाँ, सम्मेलन, अल्मोड़ा में कार्यशालाएं और अन्य क्षेत्रों में भ्रमण के कार्यक्रम आयोजित किये जाने लगे।

उत्तराखण्ड महिला परिषद्, अल्मोड़ा के सहयोग से संस्था जागरूकता के निमित्त महिलाओं एवं किशोरियों के बीच साक्षरता, कानूनी जानकारियाँ, महिलाओं एवं किशोरियों के अधिकार, सरकारी योजनाओं की जानकारियाँ, ग्राम पंचायतों में चुनावों की जानकारियाँ, जल, जंगल व जमीन के संरक्षण और संवर्धन जैसे अहम् मुद्दों पर विशेषज्ञों द्वारा चर्चा कराने एवं सरल से सरल उदाहरणों द्वारा समझाने का प्रयास करती रही है। सत्ता पर काबिज और समर्थ लोग, जो गाँवों की पंचायतों में आने वाली योजनाओं से यश और धन अर्जित करते हैं, जानकारियाँ रखते हैं, ब्लॉक व तहसील के कागजात, देखते–समझते हैं, स्वयं इन जानकारियों को ग्रामवासियों को नहीं देना चाहते। महिलाओं के जागरूक ना होने की दशा में सत्ता चलाने वाली जमात का फायदा है। अन्यथा, वे उनसे सवाल करेंगी या राय नहीं लेंगी। ऐसी स्थिति में सत्ताधारकों की अहमियत कम होगी या यूँ कहें कि उन्हें मुठ्ठी में भरी खुशियाँ रेत की तरह फिसलती नजर आयेंगी। एक उदाहरण से इस वाकये को समझने की कोशिश करें:

यह घटना सोलह नवम्बर 2013 की है। क्षेत्र से दिनाँक बारह नवम्बर, 2013 को ग्राम बड़ेत (बदला हुआ नाम) की निवासी श्रीमती भुवनी देवी और श्रीमती शीला देवी (बदला हुआ

नाम) महिला संगठनों की गोष्ठी में भाग लेने के लिए अल्मोड़ा आयीं। गाँव से बाहर निकल कर अल्मोड़ा तक पहुँचना उनके लिए एक नितांत नया और रोमांचकारी अनुभव था। वे पहली बार गढ़वाल से बाहर निकल कर कुमाऊँ क्षेत्र की यात्रा कर रही थीं।

बैठक में शामिल होकर उन्होंने संगठन की जरूरत, संगठन निर्माण के तरीके, पंचायती राज, सामाजिक बुराइयों का बहिष्कार एवं सरकारी योजनाओं से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की। गाँव में वापस पहुँची तो अन्य महिलाओं से चर्चा हुई। यह बात गाँव के प्रभावशाली व्यक्तियों तक पहुँची तो उन्होंने महिलाओं से पूछा कि वे अल्मोड़ा क्यों गयी? उनसे पूछ कर जाना चाहिए था। रास्ते में या अल्मोड़ा में ही कहीं कोई बात हो जाती तो क्या होता? यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि यह गाँव संगठन से नया–नया ही जुड़ा है। संगठन बनते ही उत्तराखण्ड महिला परिषद् द्वारा आयोजित गोष्ठी में अल्मोड़ा चले गये। महिलाओं ने साफ शब्दों में जवाब दिया कि वहाँ पर उन्हें काफी अच्छी और नयी जानकारियाँ मिलीं। व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। फिर वे क्यों ना जायें? यदि महिला परिषद् में उन्हें दस बार बुलायेंगे तो भी वे जायेंगी ही।

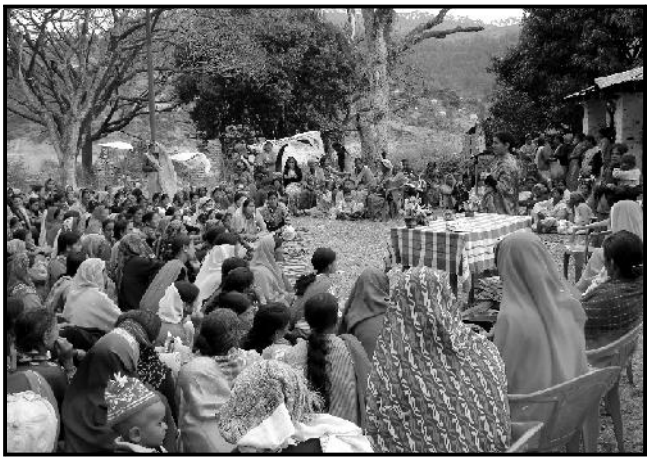

बहरहाल जो भी हो, यदि ग्रामीण महिलाओं को अमूल्य जानकारियों का भण्डार मिल रहा हो, उनकी बातों को सुनने के प्रयत्न हो रहे हों, उन्हें महत्व दिया जा रहा हो तो वे ऐसी जगह पर जाना पसंद करती हैं। दरअसल संगठन बनाने और महिलाओं के आपसी जोड़–जुड़ाव का मूल कारण भी यही है। ग्रामीण महिलायें दुनिया देखना–समझना चाहती हैं। यात्रा करना चाहती हैं। लोगों से मिलना–जुलना चाहती हैं। ये सभी इच्छाएं उत्तराखण्ड महिला परिषद् में जुड़ कर पूरी होती हैं। कुमाऊँ–गढ़वाल की महिलाओं का यह मेल अनोखा है। परिषद् के माध्यम से महिलाओं को वह खुला मंच मिल पाता है, जहाँ वे अपनी बातें स्थानीय बोली में निर्भय होकर कह पाती हैं। डर और झिझक दूर होते ही उनके सामने नयी संभावनाओं का एक विशाल क्षेत्र खुल जाता है। निर्भय होकर महिलायें स्वयं अपने और संगठन के बारे में निर्णय लेने का साहस जुटा पाती हैं। यह प्रक्रिया शिक्षण और सशक्तिकरण का एक अनूठा उदाहरण है।

किशोरियों में बदलाव

लीला बिष्ट

जब से मैंने ऊष्मा संस्था के माध्यम से किशोरियों के साथ काम किया तब से क्षेत्र के गाँवों और विद्यालयों में जागरूकता बढ़ी है। क्षेत्र की सभी किशोरियाँ विद्यालय जाती हैं। विद्यालय की शिक्षा से किताबी ज्ञान तो मिल जाता है लेकिन वे जीवन–कौशल नहीं सीख पाती। जैसे–अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करना। वे बोल नहीं पाती। हम संस्था के कार्यकर्त्ता यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों कम बोल रही हैं। लिखने–पढ़ने में तो आगे हैं लेकिन बोलने में संकोच क्यों है? इसके लिये हम संकोची लड़कियों पर अधिक ध्यान देते हैं। उन्हें आगे बढ़ाते हैं। खेल और कहानियों के माध्यम से उनकी जरूरतों को समझते हुए काम करते हैं। हर एक किशोरी में विशिष्ट गुण और कौशल होते हैं। हम संस्था में शिविर लगाकर उनके कौशल व प्रतिभाओं को उजागर करते हैं। रोल–प्ले, कहानियों एवं नाटकों के मंचन से विद्यालयों में कार्यशालाएं करते हैं। इससे किशोरियों का संकोच कम हो रहा है। किशोरियाँ गाँव की गोष्ठियों में भी भाग लेने लगी हैं।

गाँव की महिलाओं व किशोरियों की गोष्ठी साथ–साथ करते हैं तो माँ और बेटी के बीच विचारों का टकराव भी होता है। इस टकराव को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ संभालना पड़ता है। जैसे–गोष्ठियों में किशोरियाँ कहती हैं कि अभिभावक उनके साथ असमानता का व्यवहार करते हैं। यह व्यवहार पढ़ाई के असमान अवसरों के अलावा घर के काम, इधर–उधर आने–जाने में रोक–टोक तथा कम उम्र में शादी करने जैसे मुद्दों पर दिखाई देता है। माँ–दादी के तर्क भी वाजिब हैं। वे बेटियों की सुरक्षा चाहती हैं। पहली और नयी पीढ़ी के बीच संतुलन बनाने का कार्य सरल नहीं है।

किशोरियों का कहना है कि अब वे थोड़ा–बहुत आगे बढ़ रही हैं। जैसे–उनकी पढ़ाई बीच में छोड़ देते थे लेकिन अब वे पढ़ रही हैं। एक दशक पहले तक ही लड़कियों की शादी सोलह–सत्रह साल में कर देते थे। अब किशोरियाँ कहने लगी हैं कि अभी शादी की उम्र नहीं है। वे पढ़ना चाहती हैं। किशोरियाँ भी शादी के निर्णय स्वयं लेने लगी हैं। जैसे–शादी से पहले लड़के से मिलकर बातें करना, उसका व्यवहार समझना, लालच से शादी तो

नहीं की जा रही, यह समझना। लड़की कह सकती है कि वह शादी के बाद भी स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है।

जो लड़की पढ़ने में होशियार है, वह अपनी माँ से कहकर गाँव से बाहर जाकर पढ़ने की इच्छा जाहिर करने लगी है। एक ऐसी ही गरीब परिवार की लड़की है। उसने बारहवीं कक्षा तक दन्यां गाँव में पढ़ा। वह विज्ञान–वर्ग की छात्रा है। उसने अपने अभिभावकों से कहा कि उसे आगे पढ़ने की इजाजत दें। जो पैसा उसकी शादी में खर्च होगा वह पढ़ाई में लगा दें। वह आगे पढ़ना चाहती थी। उसके पिताजी मना ही कर रहे थे। माँ ने पिताजी को मनाकर लड़की को आगे पढ़ने के लिए भेजा। अब वह अल्मोड़ा में बी. एस. सी. की पढ़ाई कर रही है। इसी प्रकार, दन्यां क्षेत्र के गाँवों में किशोरियाँ पढ़ाई के लिए काफी संघर्ष कर रही हैं।

इस बार हमने संस्था में किशोरी सम्मेलन किया तो दस–पन्द्रह गाँवों की किशोरियाँ आयीं। सभी ने अपने बारे में तथा दहेज–प्रथा, भ्रूण–हत्या, सामाजिक असमानता आदि मुद्दों पर विचार प्रकट किये।

कई ऐसी किशोरियाँ भी हैं जिनके मन में पीड़ा है लेकिन वे आगे आकर सब के सामने बोल नहीं पातीं। उन्हें विश्वास और सहारा देना जरूरी है। दूर–दराज के गाँवों की लड़कियाँ अभी भी काफी परेशानियाँ झेलती हैं। वे निःसंकोच व बिना किसी डर के कहीं पर भी काम कर सकती हैं, ऐसा शैक्षणिक माहौल बनाना जरूरी है, तभी लड़कियाँ आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकेंगी। इसके साथ ही सभी वर्गों को आगे बढ़ाना है, समाज में ठोस कार्य करने की जरूरत है। दिल्ली–देहरादून आदि स्थानों पर आये दिन सेमीनार करने और पैसा खर्च करने से समस्या हल नहीं होगी। गाँव में, समाज के बीच में, घर–घर में काम करने की जरूरत है। धन की आवश्यकता गाँव–गाँव में काम कर रही संस्थाओं को है, तभी बदलाव होगा।

विद्यालयों और गाँवों में आयोजित कार्यशालाओं से किशोरियों के बीच शिक्षण का दायरा बढ़ा है। वे समझ पा रही हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित क्या समस्याएं हैं। विद्यालय की शिक्षा के साथ–साथ जीवन–कौशल बढ़ाना जरूरी है। जरूरी है, रिश्तों के बारे में समझ बनाना। खेलों, कहानियों गीत–नाटकों द्वारा किशोरियाँ जल्दी सीखती हैं। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ना चाहिये। दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिये। अगर आग है तो आग जलनी चाहिये। मन के भीतर की आग को बाहर निकालना जरूरी है। किशोरी और महिला संगठनों के माध्यम से सामाजिक शिक्षण तो होता ही है, दैनिक जीवन में काम आने वाली जानकारियाँ भी बढ़ती हैं। इससे हिम्मत बढ़ती है और आगे काम करने के लिए दिशा मिलती है।

चम्पावत पाटी क्षेत्र से एक पहल

पीताम्बर गहतोड़ी

चम्पावत जिले के विकासखण्ड पाटी में जनकाण्डे गाँव बसा हुआ है। दस–बारह तोकों के मध्य बसा हुआ यह गाँव पाटी मुख्यालय से तेइस किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जनकाण्डे के चारों ओर त्यारसों, सिलिंग, वरकाण्डे, सिरतोली, पड़का, कानीकोट, तल्लीलड़ी, मध्यगंगोल, खुतेली, सिरमोली, जाख, हरोड़ी आदि गाँव फैले हुए हैं। ये सभी गाँव जनकाण्डे से दस किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थित हैं। मध्य गंगोल में एक हाईस्कूल तथा दस किलोमीटर की दूरी पर राजकीय इण्टर कॉलेज खेतीखान स्थित है। यह क्षेत्र बाराकोट विकासखण्ड की सीमा पर आता है।

पर्यावरण संरक्षण समिति, पाटी, एक स्वैच्छिक संस्था है। यह संस्था सन् 1990–91 से उत्तराखण्ड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान, अल्मोड़ा के साथ मिलकर कार्य कर रही है। संस्थान की पहल पर वर्ष 1997 से 2006 तक सिरमोली, खुतेली, बरकाण्डे, जनकाण्डे, हरोड़ी, त्यारसों आदि गाँवों में तीन से छः वर्ष की उम्र के बच्चों के शिक्षण के लिए बालवाड़ी कार्यक्रम चलाया गया। ग्राम सिरमोली एवं हरोड़ी में महिला एवं किशोरी संगठन बनाकर जागरूकता एवं शिक्षण का कार्य हुआ। जनकाण्डे गाँव में महिला सम्मेलन भी आयोजित किया गया। इसका लाभ क्षेत्र के लोगों को मिला। इस क्षेत्र के निवासी आज भी इन कार्यक्रमों को याद करते हैं।

इन कार्यक्रमों से प्रेरित हुई और संगठन से जुड़ी एक किशोरी, खीमा महरा, की इच्छा थी कि वह कम्प्यूटर पर काम करना सीखे। खीमा ने संस्था से सम्पर्क किया। वर्ष 2012–13 में संस्थान के सहयोग से जोश्यूड़ा क्षेत्र में एक कम्प्यूटर शिक्षण–केन्द्र की शुरूआत हुई। संस्था के प्रतिनिधियों ने खीमा को सलाह दी कि वह जोश्यूड़ा गाँव में जाकर कम्प्यूटर सीख ले। खीमा ने संस्था की कार्यकर्त्ता श्रीमती पुष्पा के घर में दो माह निःशुल्क रहकर कम्प्यूटर पर काम करना सीखा। उसके बाद जनकाण्डे में सम्पर्क करके जोश्यूड़ा क्षेत्र के बच्चों को कम्प्यूटर सिखाने की इच्छा जाहिर की।

पाठ्यक्रम पूरा करने के उपरान्त उत्तराखण्ड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान, अल्मोड़ा के सहयोग से जनकाण्डे गाँव में एक कम्प्यूटर केन्द्र खोला गया। यह केन्द्र जनकाण्डे के समीरा सिलिंग तोक में शुरू हुआ। खीमा ने केन्द्र में शिक्षिका के तौर पर कार्य किया। दो–दो

माह के कोर्स में चौबीस बच्चों के समूह बनाकर शिक्षण का काम शुरू किया गया। कक्षा पाँच से हाईस्कूल तक पढ़ रहे किशोर–किशोरियों तथा बी.ए. में पढ़ने वाली किशोरियों को प्रशिक्षण दिया। एक वर्ष में पच्चानब्बे किशोर–किशोरियों को कम्प्यूटर खोलना–बन्द करना, हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में टंकण, प्रिन्ट निकालना आदि सिखाया। अभिभावकों को तब खुशी हुई जब बच्चों ने स्वयं टंकण किये हुए कागज उन्हें दिखाये। इस कार्यक्रम से लोगों में अच्छा संदेश गया। कम्प्यूटर शिक्षण के इस कार्य से सभी ग्रामवासी खुश हैं, अन्यथा बच्चों को पाँच–दस किलोमीटर दूर स्थित खेतीखान में फीस देकर कम्प्यूटर पर काम करना सीखना पड़ता था। इस केन्द्र से बच्चों का उत्साह बढ़ा है। बच्चों ने लगभग निःशुल्क तौर पर कम्प्यूटर में काम करना सीखा है। अभिभावकों का कहना है कि आगे अतिरिक्त कोर्स भी करवाया जाये जिससे बालक–बालिकाओं को लाभ मिले।

भौगोलिक दृष्टि से पाटी विकास–खण्ड चम्पावत जिले के चारों विकास–खण्डों का सबसे बड़ा हिस्सा है। सन् 1990 में जब संस्था पंजीकृत हुई, तभी से पाटी के आसपास के गाँवों में जल–संरक्षण का कार्य किया गया है।

छोटे–छोटे जल–स्रोतों को ढूँढकर एल्काथीन पाइप के द्वारा तीन सौ मीटर से एक किलोमीटर तक की दूरी तय करते हुए घरों में पानी की सुविधा उपलब्ध करवायी। ग्रामवासियों को घर पर सरलता से पेयजल मिलने लगा। पेयजल के अलावा बागवानी, सब्जी–उत्पादन, पशुओं के उपयोग, मिट्टी में नमी–संरक्षण के साथ मछली पालन के लिए इस व्यवस्था का उपयोग किया जाने लगा। पहले यह मान्यता थी कि पहाड़ों में मत्स्य पालन असम्भव है। आज पूरे प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन का कार्य हो रहा है। यह कार्य पाटी विकास खण्ड के ग्राम तोली से शुरू हुआ।

तोली ग्राम में पैंतालीस परिवार रहते हैं। सभी परिवारों के पास व्यक्तिगत पाइप लाइन है। गाँव में कोई सरकारी योजना नहीं है। गाँव में पानी की हर एक बूँद का उपयोग होता है। पानी के संरक्षण की जरूरत एवं महत्व को गाँव की बैठकों में बताया जाता है। इन्हीं चर्चाओं से प्रेरणा लेकर फल एवं चारे के पौधे लगाये गये हैं। इस

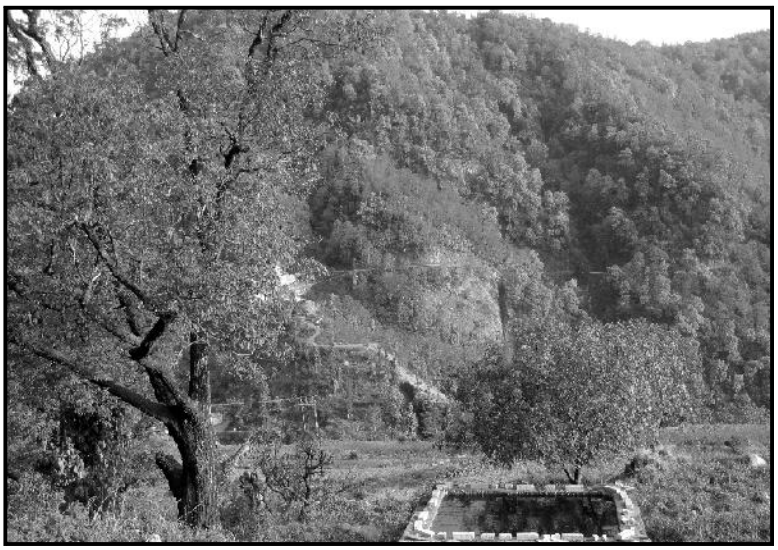

गाँव में सामुहिक जमीन के अलावा व्यक्तिगत भूमि में भी वृक्ष लगाये गये है। इन वृक्षों में बाँज, बुराँश, काफल, खड़िक, भीमल, नाशपाती, नींबू, शहतूत आदि प्रजातियाँ शामिल हैं। फल–पौध में सेब, आड़ू, प्लम, खुबानी आदि प्रमुख हैं। यहाँ का काम देख कर अन्य गाँवों के निवासी प्रेरणा लेते हैं और अपने क्षेत्र में भी इसी प्रकार के सामुहिक कार्य करते हैं। क्षेत्र में ग्रामवासी पर्यावरण संरक्षण के प्रति अत्यंत सचेत हैं।

ग्राम तोली में वर्ष 1987–88 में श्री कृष्णानन्द गहतोड़ी जी ने एक छोटे तालाब (तीन मीटर लम्बा व दो मीटर चौड़ा) में स्थानीय मछलियाँ डाल दीं। तीन–चार वर्षों के बाद कुछ सफलता दिखायी दी। इस प्रयोग को देखते हुए श्री पीताम्बर गहतोड़ी जी ने भी एक तालाब बनाया और उसमें मछली पालना शुरू किया। श्री कृष्णानन्द गहतोड़ी जी पर्यावरण संरक्षण समिति, पाटी के अध्यक्ष व श्री पीताम्बर गहतोड़ी जी इसी संस्था के निदेशक हैं। सन् 1991–92 में संस्था के बैनर तले इस कार्यक्रम को जल–संरक्षण का रूप देकर मत्स्य–पालन और सब्जी उत्पादन का कार्य करने का निर्णय लिया गया। गाँव में पहली बार मत्स्य–पालन को एक फसल के रूप में देखा जाने लगा। मत्स्य–पालन से आजीविका में सुधार लाने की सोच पनपने लगी।

सन् 1993 में सड़क के किनारे लगे हुए संस्था के बोर्ड को देखकर राष्ट्रीय शीतजल मत्स्य निदेशालय के वैज्ञानिक डॉ0 वी. सी. त्यागी संस्था के कार्यालय में आ गये। उन्होंने संस्था के प्रतिनिधियों से बातचीत की एवं मत्स्य–पालन के लिए बनाया गया तालाब देखा। सुझाव दिया कि वैज्ञानिक विधि से मत्स्य–पालन करना चाहिए। उन्होंने संस्था के प्रतिनिधियों को भीमताल (जिला नैनीताल) में बुलाया और मत्स्य–पालन की बारीकियाँ समझायीं। साथ ही, राष्ट्रीय शीतजल मत्स्य अनुसंधान की शाखा छीड़ापानी के वैज्ञानिक डॉ0 के. डी. जोशी से सहयोग व मार्गदर्शन लेने की सलाह दी। भीमताल में निदेशक डॉ0 के. के. वास के आर्थिक सहयोग से कुछ लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। मत्स्य–बीज उपलब्ध कराया। श्री कृष्णानन्द एवं पीताम्बर जी को पाँच वर्ष तक मत्स्य–बीज एवं चारा देने हेतु प्रशस्ती–पत्र दिया। धीरे–धीरे मत्स्य–पालन का कार्य जोर पकड़ने लगा। इस प्रयोग का परिणाम अच्छा निकला। उसके बाद संस्था ने इस कार्य को पूरे क्षेत्र में बढ़ाने का निर्णय लिया।

संस्था ने मत्स्य–पालन प्रशिक्षण के साथ–साथ ग्रामवासियों

को सब्जी–उत्पादन, जल–संरक्षण के लिए प्रेरित किया। इस पहल से ग्रामवासियों की आय में वृद्धि होने लगी। संस्था ने पिथौरागढ़ जिले के मत्स्य निरीक्षक से सम्पर्क किया। विभाग द्वारा कृषकों को पूर्ण तकनीकी के साथ–साथ आर्थिक सहयोग भी दिया गया। धीरे–धीरे इस क्षेत्र में छत्तीस मत्स्य तालाब बने। इससे ग्रामवासियों की आय बढ़ने लगी।

इस कार्यक्रम की सफलता से कृष्णानन्द एवं पीताम्बर जी को कई पुरस्कार एवं प्रशस्ती–पत्र दिये गये। कई जाने–माने वैज्ञानिक, विशेषज्ञ एवं सरकारी अधिकारी मत्स्य–पालन के कार्यक्रम को देखने के लिए पाटी पहुँचे। धीरे–धीरे उत्तराखण्ड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान, अल्मोड़ा के आर्थिक सहयोग से जल–संरक्षण के कार्यों में चाल–खाव, बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए टैंक, पॉलीहाउस, वनीकरण, पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों का विस्तार किया गया। उत्तराखण्ड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान के निदेशक पद्मश्री डॉ. ललित पाण्डे द्वारा आर्थिक सहयोग दिया गया। कार्यक्रम में कई सफलताएं मिलीं। भूमि जल–बोर्ड द्वारा 2010 का भूमि जल पुरस्कार (एक लाख रुपया) संस्था को दिया गया।

संस्था ने उत्तराखण्ड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान, अल्मोड़ा के सहयोग से कुमाऊँ में कई अन्य स्थानों पर प्रशिक्षण देकर मत्स्य–तालाब बनवाये। तोली गाँव से शुरू हुआ यह कार्यक्रम आज पूरे उत्तराखण्ड के युवाओं को लुभा रहा है। गाँवों से युवाओं का पलायन कम हुआ है। मत्स्य–पालन के साथ–साथ मुर्गीपालन, सब्जी उत्पादन, बागवानी आदि के कार्य भी क्षेत्र में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं।

समस्याएं कैसी–कैसी

माया जोशी

एक परिवार में सात बच्चे और उनके माता–पिता रहते थे। सात बच्चों में से छः लड़कियाँ और एक लड़का था। लड़कियों ने अपने पिताजी से कहा कि वे बारहवीं कक्षा से आगे पढ़ना चाहती हैं लेकिन उन्हें पढ़ने की आज्ञा नहीं मिली। पिताजी ने निर्णय लिया कि वे बेटे को पढ़ायेंगे। लड़के का मन पढ़ने में नहीं लगता था। वह दसवीं कक्षा भी उत्तीर्ण नहीं कर पाया।

सभी लड़कियों की शादी अठारह–बीस साल की उम्र में हो गई। लड़के ने शादी के लिए जिद की तो बीस साल की उम्र में उसका भी विवाह कर दिया। ढाई–तीन साल में तीन बच्चे हो गए। अब लड़का तनाव में रहने लगा। बहुत इलाज करवाया पर ठीक नहीं हुआ। बहू भी घर का कोई खास काम नहीं करती थी। अगर सास उसके कमरे में खाना ना ले जाये तो हाय–तौबा मचाती। हर वक्त यह उलाहना देती कि इस घर में शादी होने से उसका जीवन बरबाद हो गया।

इसी तरह गुजर–बसर हो रही थी कि अचानक ससुर जी की तबीयत काफी खराब हो गयी। नाराजगी के कारण बहू उन्हें देखने नहीं गयी। उसके ससुरजी को बस एक ही चिंता लगी रहती कि मेरे बाद बेटे और उसके छोटे बच्चों की देखभाल कौन करेगा। इसी चिंता में उन्होंने प्राण त्याग दिये।

ससुरजी की मौत को चार महीने भी नहीं हुए थे कि बहू ने सास को मारने की कोशिश की। जब पति की बहनें आयीं तो उन्हें भी अपशब्द कहे। गाँव के लोग कुछ कहते तो उनसे भी उल्टा ही बोलने लगी। बेटियाँ माँ से उनके घर चलने का निवेदन करती लेकिन वह अपने बेटे को छोड़कर कहीं भी जाने को राजी नहीं होती थी। माँ सोचती कि जब तक वह जीवित है, बेटे और उसके बच्चों की परवरिश अच्छी तरह से हो सकेगी। अगर वह चली गई तो बच्चों को कौन देखेगा? बहू को कई लोगों ने समझाया। यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी समझाया कि वह सबके साथ मिलजुलकर रहे। परिवार की देखभाल करे। खुद भी खुश रहे और अपने बच्चों को भी खुशनुमा माहौल देने की कोशिश करे लेकिन उसने अपनी माँ को भी घर में आने से मना कर दिया। काफी समझाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब सभी महिलाओं और ग्रामवासियों को सोचना है कि इस समस्या का निदान किस प्रकार से हो सकेगा। इस घर में खुशहाली और परस्पर प्रेमभाव पैदा करने के लिए महिला संगठन क्या काम कर सकता है, यही चर्चा मासिक गोष्ठियों में हो रही है।

दहेज

दलीपराज

घर–घरों मां फैली दहेज की महामारी
दूर भगौला हम यो बुरी बीमारी।।
दहेज नी ल्यौण मिन बोल्याली
दहेज नी द्यौण तुम सुणयाला।।

बेटी से बडु दहेज क्या हवन्दू
सोनू ना चाँदी, धन ना दौलत।।
धन–दौलत चार दिन की चाँदनी छन
चार दिन बीति फिर अंधेरी रात छन।।

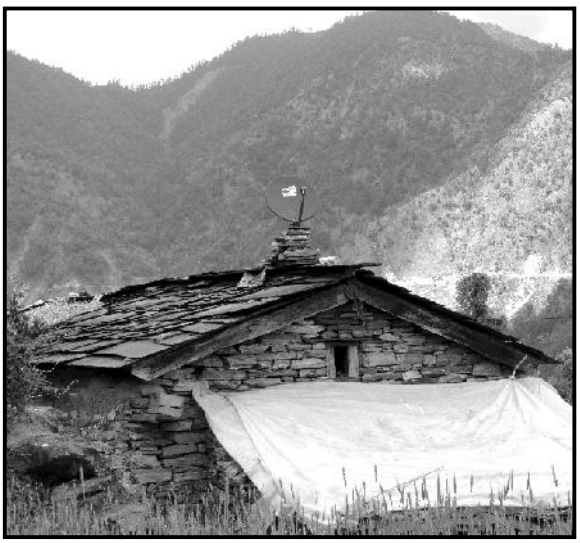

बेटी ते तुम बोझ ना समझाया
या त साक्षात् लक्ष्मी रूप छैन।।
मैत्यों का बाना बेटी का मन मा
माया कु भण्डार सदैव रेना।।

करवी दहेज का बाना, बेटी फंस खादी
करवी जुल्म देखी, ब्वारी आग लगान्दी।।
सैती पाली नौनी बिराणी हवैन
दहेज का खातिर जान गवैन।।

दहेज से कतिगा घटना ह्वेणी छन
या बीमारी तेजी से बढ़णी छन।।
अगने बढ़ला नया समाज बणौला
दहेज प्रथा जड़ से मिटौला।।

दहेज नहीं ल्यौण मिन बोल्याली
दहेज नी द्यौण तुम सुणयाला।।

पर्यटक स्थल देवरियाताल सारी

रेशमी भट्ट

मैं सारी गाँव, जिला रूद्रप्रयाग, की रहने वाली हूँ। यह गाँव एक पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। गाँव के समीप 2430 मीटर की ऊँचाई पर स्थित देवरियाताल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर होने के साथ–साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ देश–विदेश से लोग दर्शन एवं पर्यटन के मकसद से आते हैं।

देवरियाताल का आध्यात्मिक महत्व होने के कारण स्थानीय श्रद्धालुओं द्वारा श्रीकृष्ण की झाँकियाँ बनायी जाती हैं। विभिन्न गाँवों से भगवान श्रीकृष्ण की झाँकियाँ देवरियाताल पहुँचती हैं। पर्यटक ऊखीमठ विकासखण्ड मुख्यालय से आठ किमी की दूरी मोटरमार्ग से तय करते हुए सारी गाँव में पहुँचते हैं। गाँव सारी से तीन किमी की खड़ी चढ़ाई पैदल तय करनी होती है। देवरियाताल के चारों ओर विभिन्न प्रजातियों के असंख्य पेड़–पौधे लगे हुए हैं।

किंवदतिंयो के अनुसार प्रतिवर्ष देवरियाताल में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर नाग–नागिन का एक जोड़ा श्रृद्धालुओं को दर्शन देता है। एक बार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी–पर्व पर नागराज ने आम जनमानस को दर्शन दिये। वहाँ उत्सव–नृत्य करने वाली एक जोड़ी ने नागराज से पुनः दर्शन देने को कहा। नागराज फिर अवतरित हुए लेकिन उस जोड़ी ने नागराज से पुनः दर्शन की माँग कर दी। जब तीसरी बार नागराज ने दर्शन दिये तो नृत्य करने वाली जोड़ी को ही अपने फन में लपेटकर देवरियाताल में समा गये। कहा जाता है कि वे आज भी तालाब में तपस्यारत हैं।

इसी वजह से स्थानीय जनता प्रतिवर्ष देवरियाताल में एक भव्य मेले का आयोजन करती है। इस मेले का आयोजन बहुत हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। देवरियाताल के समीप स्थित होने से हमारे गाँव सारी का बड़ा प्रचार–प्रसार हुआ है। देवरियाताल में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। महिला संगठनों की सदस्याएं नाटक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेती हैं। ग्रामवासी मेले का इंतजार करते हैं कि उन्हें भी भाषण या अन्य कोई कार्यक्रम आयोजित करने का मौका मिलेगा। हमारे गाँव के महिला संगठन की सदस्याएं तालाब की सफाई करती हैं।

मैं चाहती हूँ कि मेरा गाँव एक स्वस्थ, निर्मल और आदर्श स्थान बने। पर्यटक और अतिथि भी इस बात का ध्यान रखें कि देवरियाताल और उसके आस–पास के वनों और गाँवों की साफ–सफाई बनी रहे। कूड़ा–करकट, खासकर प्लास्टिक, फेंककर इस क्षेत्र के सौंदर्य को धुंधलाने का कोई प्रयास ना हो। यह कार्य जन–शिक्षण से ही संभव है। ग्रामवासी जागरूक हैं। वे इस स्थल की साफ–सफाई का ध्यान रखते हैं। ऐसा ही व्यवहार पर्यटकों को भी करना होगा, तभी इस क्षेत्र का भौतिक और आध्यात्मिक सौंदर्य कायम रहेगा।

स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता

हेमा भट्ट

मैं कोट्यूड़ा गाँव, जिला अल्मोड़ा, में महिला संगठन की सदस्या हूँ। जब से हमारे गाँव की महिलायें संगठन से जुड़ीं, गाँव में स्त्री, किशोरी और सामुदायिक स्वास्थ्य की समझ बढ़ी है। लगभग बीस साल पहले तक ग्रामवासी घरों में सफाई नहीं रखते थे। शौचालय ना होने की वजह से रास्ते गंदे पड़े रहते थे। संगठन बनने के बाद रोज घर–आँगन और हर तीसरे माह रास्तों की सफाई की जाने लगी। अब सभी ग्रामवासी घर के आसपास साफ–सफाई रखते हैं। साथ ही, व्यक्तिगत सफाई, बच्चों की सफाई और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हैं।

गर्भवती महिलायें समय पर टीकाकरण करवाती हैं। जाँच करवाकर नियमित रूप से दवा खाती हैं। स्वास्थ्य विभाग से मनोनीत आशा से सम्पर्क करके प्रसव के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जाती हैं। स्वयं 108 नम्बर में फोन करके स्वास्थ्य केन्द्र में चली जाती हैं। संगठन की सभी महिलायें एक–दूसरे को सहयोग देती हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव होने से जच्चा–बच्चा दोनों ही स्वस्थ एवं सुरक्षित रहते हैं। सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ जनता ले रही है। पहले प्रसव घरों में होते थे। कुछ प्रसव ठीक से हो जाते, कभी माँ की जान चली जाती, कभी बच्चे को खतरा हो जाता। अब यह समस्या कम हुई है। साथ ही, गर्भवती महिलायें अपने खानपान का ध्यान रखती हैं। अपना वजन तौल कर देखती हैं। कैल्शियम, आयरन की गोलियाँ खाती हैं। घर में उगी हुई ताजी हरी सब्जी, दालें, दूध, मट्ठा, घी आदि का सेवन करती हैं। इससे बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। माँ भी स्वस्थ रहती है।

यदि किसी महिला को माहवारी से संबंधित परेशानी होती है तो वह भी अपनी जाँच करवाती है। इलाज करवाती है। माहवारी के दौरान महिलायें रोज नहाती हैं। साफ–सफाई रखती हैं। पहले तीन दिन के बाद नहाती थीं। संगठन की गोष्ठियों में निरंतर यह चर्चा हुई कि माहवारी कोई बीमारी नहीं है, यह शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया है। इस दौरान साफ–सफाई रखनी जरूरी है। सफाई न करने से रोग होने की सम्भावनाएं बढ़ती हैं। महिलायें यह बात समझ गईं तो माहवारी के दिनों में रोज नहाने लगीं।

अब गाँवों में छोटे बच्चों का टीकाकरण समय पर होता है। पहले से टीकाकरण को अनावश्यक माना जाता था। अब महिलायें खुद जागरूक हो रही हैं। वे स्वास्थ्य–सम्बन्धी योजनाओं का लाभ ले रही हैं। लड़की के जन्म पर कन्या–धन योजना तथा इण्टरमीडियट पास करने पर गौरा कन्या–धन योजना का लाभ मिलता है। महिलायें आजकल खुद अपने कागज बनाकर योजनाओं का लाभ उठाने का प्रयास कर रही हैं। मासिक गोष्ठियों में महिलाओं से जुड़े

हुए हर एक मुद्दे पर चर्चा की जाती हैं। संगठनों की सदस्याएं व्यक्तिगत और सामुहिक अनुभव बताती हैं, इससे अन्य ग्रामवासियों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है।

उत्तराखण्ड महिला परिषद् की पत्रिका ''नन्दा'' में काफी लेख छपे हैं। जब महिलायें सम्मेलनों और गोष्ठियों में भाग लेती हैं तो उन्हें ''नन्दा'' पत्रिका मिलती है। पत्रिका के माध्यम से काफी जानकारी प्राप्त होती है। वे किताब में छपे हुए लेखों को ध्यान से पढ़ती हैं। पत्रिका को पढ़ने से मालुम होता है कि उत्तराखण्ड के गाँवों में महिला संगठन अनेक प्रकार के काम कर रहे हैं। इन्हीं कार्यों से संगठन आगे बढ़ता है, महिलायें सशक्त होती हैं और गाँवों का विकास होता है।

''नन्दा'' पत्रिका को पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि हम भी अपने संगठन के बारे में अन्य लोगों को बतायें, इसलिये गोष्ठी में पुष्पा दीदी से इच्छा जाहिर की और यह लेख लिखवाया। मैं सोचती हूँ कि जब महिला का स्वास्थ्य ठीक होगा, वह खुश रहेगी तो उसका परिवार भी खुश रहेगा। महिला परिषद् के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला है। अपनी बात कहने की हिम्मत आई है। महिला परिषद् एक बहुत बड़ा संगठन है। इसमें जुड़कर हमें काफी प्रसन्नता होती है। भविष्य में हम लोग साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। गोष्ठियों एवं सम्मेलनों में जाकर अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं।

किशोरी संगठन

सुनीता गहतोड़ी

पर्यावरण संरक्षण समिति, पाटी, के तत्वाधान में जब से गाँवों में संगठन बने हैं, किशोरियाँ काफी जागरूक हुई है। पहले किशोरियाँ ना तो कहीं बाहर जाती थी और ना ही खुलकर बात कर पाती थीं लेकिन अब स्थिति बदल रही है। किशोरियाँ घर से बाहर गोष्ठियों में आने–जाने लगी हैं। थुवामौनी गाँव की किशोरियाँ पहले केवल कक्षा आठ तक पढ़ती थीं। गाँव से इण्टरमीडिएट कॉलेज, पाटी, बहुत दूर है। जंगल का रास्ता होने की वजह से लड़कियाँ इधर–उधर जाने में डरती थीं। लड़कियों की शिक्षा को महत्व न देना और समाज में स्त्रियों की दोयम दर्जे की दशा भी इसका कारण रहे।

लगातार गोष्ठियों में आने के बाद किशोरियों की हिम्मत बढ़ी, जागरूकता आयी और डर कम हुआ। अब अधिकतर किशोरियाँ

पाटी इण्टर कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती हैं। इसी प्रकार, आस–पास के अन्य गाँवों की किशोरियाँ भी पढ़ाई के प्रति बहुत जागरूक हुई हैं। संस्था कार्यकर्त्ताओं को उस वक्त काफी खुशी होती है जब किशोरियाँ अपने मन की बातें खुलकर उन्हें बताती हैं।

किशोरी संगठन में काम करना हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारी यही इच्छा है कि किशोरियाँ आगे बढ़ें और समाज में कुछ काम करके दिखायें, नाम और यश कमायें। भविष्य में अन्य किशोरियाँ भी उनसे प्रेरणा लें। क्षेत्र की महिलायें शिक्षित हों और विचारवान नागरिक बनें, इसके लिए महिला संगठनों का निर्माण हुआ है। क्षेत्र में स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए किशोरी और महिला संगठन मिलकर बहुत काम कर सकते हैं।

आपदाएं और उत्तराखण्ड

रविन्द्र कुमार

जलवायु एवं पर्यावरण की विविधता लिए हुए उत्तराखण्ड एक विशिष्ट राज्य के रूप में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न पौराणिक देव–स्थानों एवं छोटे–छोटे प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थलों को प्रभावित कर रही हैं। तूफान, वनाग्नि, बादल फटना, त्वरित बाढ़, वर्षा आदि से प्राकृतिक संसाधनों एवं मानव–निर्मित सुविधाओं का विच्छेदन हो रहा है।

क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु के कारण यहाँ बाढ़, भूस्खलन, बादलों का फटना तथा वनांग्नि जैसी घटनाएँ निरंतर घटित होती रहती हैं। विशिष्ट भौगोलिक संरचना के कारण भी यह राज्य अति संवेदनशील क्षेत्रों की श्रेणी में आता है। इस क्षेत्र में लगातार भूगर्भीय हलचलें भी महसूस की जाती रही हैं। देव–भूमि के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखण्ड आज तमाम तरह की आपदाओं से घिर गया है। पहले उत्तराखण्ड के नाम से देशी–विदेशी पर्यटकों के बीच प्राकृतिक खूबसूरती को लेकर एक ललक पैदा होती थी लेकिन आज परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हैं। मानव आपदाओं से भयग्रस्त है। आपदा दो प्रकार की होती है:

1) प्राकृतिक

2) मानव–जनित

प्राकृतिक आपदाएँ प्राकृतिक कारणों से घटित होती हैं। इसमें मानवीय हस्तक्षेपों का प्रभाव नगण्य होता है। प्राकृतिक आपदायें जल और वायु से संबंधित हो सकती हैं। वायु से सम्बन्धित आपदाओं में तूफान, चक्रवात, आँधी आना जैसी घटनाएं सम्मिलित हैं। जल–संबंधी आपदायें जैसे–बादल फटना, त्वरित बाढ़, अत्यधिक वर्षा, सूखा एवं अकाल की स्थिति आने पर होती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे–भूकम्प, भूस्खलन, हिमस्खलन, वनाग्नि आदि से पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन की परिस्थितियाँ दुरूह हुई हैं।

मानव–जनित आपदायें मनुष्य के अविवेकपूर्ण व्यवहार से उपजती हैं। विज्ञान की सहायता से मानव तमाम उपकरणों जैसे–रेफ्रीजरेटर, एयर कंडीशनर आदि का प्रयोग करता है। ये सभी सुविधाएं मानव–जनित आपदाओं का आधार है। खनन की वजह से चट्टानों का खिसकना हो अथवा भू–स्खलन, मृदा का अपरदन, वनों का अन्धाधुन्ध कटान हो अथवा पर्वतीय जंगलों में अग्नि, ये सभी घटनाएं पर्यावरण को हानि पहुँचाती हैं। आपदा कभी भी, किसी भी समय आ सकती है। यदि समाज प्राकृतिक एवं मानवीय आपदाओं से निपटने के लिए तैयार ना हो तो अवश्य ही जन–धन की हानि होती है।

उत्तराखण्ड में घटित आपदाओं का उल्लेख एक क्रमबद्ध श्रृंखला में नहीं किया जा सकता क्योंकि अनेक गाँव वर्षों से लगातार प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव झेलते रहे हैं। जैसे–सैकड़ों गाँव भूस्खलन से प्रभावित रहते हैं–दशकों तक। तथापि वर्ष 1998 में मालपा में भूस्खलन (जिसमें 261 तीर्थयात्री काल कलवित हो गए), वर्ष 1991 में उत्तरकाशी, 1999 में जनपद चमोली में भूकम्प, सन् 1998 में ऊखीमठ क्षेत्र में भूस्खलन आदि की घटनाएं जन–धन की हानि की प्रमुख वजहें रही हैं।

16–17 जून 2013 को केदारनाथ, बद्रीनाथ एवं मुनस्यारी क्षेत्रों में घटित आपदा ने उत्तराखण्ड ही नहीं बल्कि देश की एक बड़ी तबाही का रूप ले लिया। इस तबाही में हजारों मनुष्य, घोड़े–खच्चर एवं अन्य जीव–जंतु मारे गये। साथ ही, धन–संपदा की अपार हानि हुई।

राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर बहस हुई कि यह आपदा प्राकृतिक थी या मानव–जनित। इस बहस से थोड़ा अलग हटकर स्थानीय ग्रामवासियों की हालत देखें तो पता चलता है कि उत्तराखण्ड में सैकड़ों घर–बार उजड़ गये। खेती की जमीन, गाँवों तक पहुँचने के मार्ग, मकान–आँगन आदि सम्पत्ति और संसाधन आपदा की चपेट में आ गये। ग्रामवासियों को अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इस तबाही के घाव अभी भी हरे हैं।

आपदा के संदर्भ में उत्तराखण्ड राज्य को तैयार रहने की आवश्यकता है। ढ़ीले–ढ़ाले सरकारी रवैये से आपदा की मार को नहीं झेला जा सकता। सावधानी व मुस्तैदी से इस विषय पर काम हो तो भविष्य में जन–धन की हानि को रोका जा सकता है।

मतदान

लक्ष्मी भण्डारी

मतदान का आशय निर्भय होकर अपनी इच्छानुसार मत देना है। देश के हर नागरिक का दायित्व है कि अपनी इच्छानुसार कर्मठ, ईमानदार, साहसी और संघर्षशील प्रत्याशियों का चयन करे। आज हमारे देश के लोग मतदान के महत्व को नहीं समझ रहे। वे ऐसे प्रत्याशियों को मत दे रहे हैं जो ना तो ईमानदार हैं, ना संघर्षशील और कर्मशील ही हैं। देश के नागरिक धर्म, क्षेत्र और जाति के आधार पर मतदान कर रहे हैं। यह एक अत्यंत चिंताजनक विषय है।

यदि चुनावों में कोई भी प्रत्याशी जनता को शराब, धन अथवा कंबल या अन्य किसी वस्तु का प्रलोभन दे कर मत खरीदने का यत्न करे तो अवश्य ही उसका विरोध करना चाहिए। जनता अपने अमूल्य मत को क्यों बेच रही है? अगर चुनावी प्रक्रिया ही बाधित रही तो देश का विकास कैसे होगा?

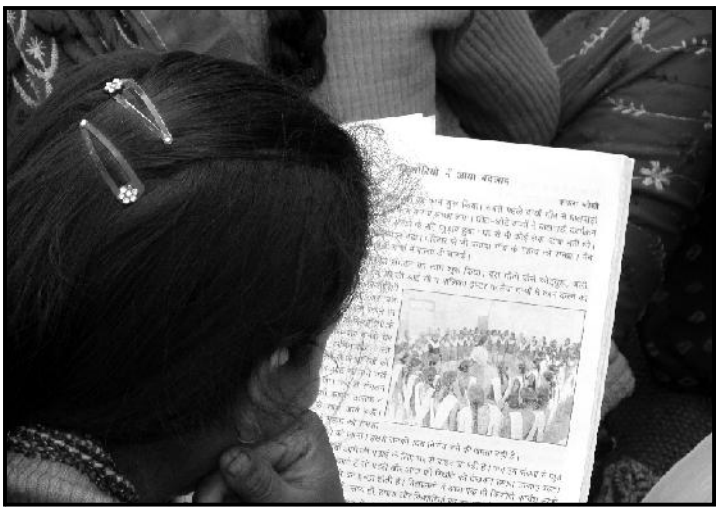

चुनावों के बाद नागरिक सरकार को दोषी करार देते हैं लेकिन दोष तो जनता का भी है, जो अपना अमूल्य मत बेच देती है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। हम लोग स्वयं एक सुव्यवस्थित सरकार का गठन कर सकते हैं। यदि अच्छे उम्मीदवारों का चयन करें, मतों का सदुपयोग करें तो निश्चित ही बेहतर व्यवस्था बनेगी। हमें ऐसे व्यक्ति को मत देना है जो सभी को निष्पक्ष भाव से सहयोग दे। ''वोट दो उसे जो सब को साथ लेकर चले।''

उम्मीदवारों में कुछ गुण होने चाहिए। जैसे संविधान के अनुसार प्रत्याशी वही बन सकता है जो पागल, दिवालिया व अपराधी ना हो। महिला परिषद् ने ये गुण भी जोड़े हैं कि उम्मीदवार संघर्षशील, ईमानदार, कर्मशील और विनम्र हो। मतदाता धर्म, जाति, क्षेत्रवाद से प्रभावित होने के बजाय कुशल, मेहनती उम्मीदवार को प्राथमिकता दें। मैं तो यही मानती हूँ कि ''सदगुण न हो तो रूप व्यर्थ है, विनम्रता न हो तो विद्या व्यर्थ है। होश न हो तो जोश व्यर्थ है, परोपकार न हो तो जीवन व्यर्थ है।''

ये ना सोचूँ राह कहाँ है, बस ये सोचूँ पार है जाना

लक्ष्मी नेगी

उत्तराखण्ड महिला परिषद्, अल्मोड़ा के सहयोग से शेप संस्था, ग्राम बधाणी, के तत्वाधान में संगठनों के साथ मिल कर महिला साक्षरता एवं शिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। केन्द्रों में गाँवों की अनपढ़, पढ़ी–लिखी महिलायें एवं लड़कियाँ नियमित रूप से आती हैं। जो महिलायें पढ़ लिख नहीं पाती थी, वे भी अब संगठन के उत्साह और लगन के कारण अक्षर–ज्ञान, अंक–ज्ञान के साथ–साथ पंचायती राज, राशन–कार्ड, जॉब–कार्ड आदि के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर रही हैं। जो महिलायें साक्षरता केन्द्र में नियमित रूप से आती हैं, वे हर रोज कुछ नया सीखती हैं। वे नया कार्य सीखने की कोशिश में लगी रहती हैं। घर का काम छोड़कर केन्द्र में कुछ समय के लिए अवश्य आती हैं और खुशी एवं उत्साह के साथ पढ़ना–लिखना सीखती हैं। वे केन्द्र में पहुँचते ही व्यस्त हो जाती हैं। जो महिलायें केन्द्र में नहीं आ पाती, उन्हें भी विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताती हैं। अब जहाँ साक्षरता केन्द्र बन्द हो गये हैं, उन गाँवों में भी महिलायें संगठन की मासिक गोष्ठियों में खुल कर अपने विचार रखती हैं। पंचायतों की खुली बैठकों में अपनी बातें कहती हैं।

संगठनों की सदस्याएं ग्राम पंचायत के चुनावों में भी सक्रिय भागीदारी कर रही हैं। वे ग्राम से जिला स्तर तक पंचायतों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। संस्था का यही प्रयत्न रहा है कि क्षेत्र के दूरस्थ गाँवों तक संगठनों की जानकारी दें। जो गाँव हम संस्था प्रतिनिधियों ने कभी देखे भी नहीं थे, सिर्फ नाम सुने थे, आज उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अनेक ग्रामवासियों को हम पहचानते भी नहीं थे लेकिन आज उन्हें संगठनों के माध्यम से जानते हैं। ग्रामवासियों के साथ लगातार काम करके हमें महिलाओं की स्थिति का पता लगा। महिलाओं के सुख–दुखों का अनुभव हुआ। पता लगा कि कैसे एक गरीब माँ अपने परिवार का भरण–पोषण करती है। गाँव में रह रहे उन परिवारों का पता लगा जिन्हें हर दिन दो वक्त के खाने के विषय में सोचना पड़ता है। पता लगा कि जो किसान–किसानी तेज धूप, वर्षा में खेती कर रहे हैं, उनके सुख–दुःख, आशा–निराशा की बातों को हम संस्था के कार्यकर्त्ता समझ सकते हैं लेकिन उनके दुःख–तकलीफों को दूर करने के लिए चाह कर भी एक सीमा तक ही काम कर पाते हैं। अगर संस्थाओं के पास अधिक संसाधन होते तो गरीब परिवारों की बहुत मदद कर सकते थे। ये ऐसे परिवार हैं जिन तक न सरकारी योजनाएं पहुँचती हैं और ना ही कोई अधिकारी उनसे बात करने का प्रयत्न करता है। ऐसे परिवारों की संख्या बहुत है। खासकर, दूर–दराज के गाँवों में सीमित संसाधनों और निम्नतम सुविधाओं के बीच जीवन–यापन कर रहे परिवारों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

इस तरह, हम बोलने और काम करने के अन्तर को समझे हैं। उत्तराखण्ड महिला परिषद् की बैठकों में आयी हुई महिलाओं की बातों का अर्थ समझे हैं। संगठनों की बैठकों में जाकर उन

महिलाओं से चर्चा कर सके हैं जो अपनी बातें किसी के सामने बोल नहीं पाती थीं।

मुझे भी कुछ कहना है,
कुछ बातें हैं करनी बाकी।
कहूं किससे, किसे बताऊँ,
नहीं कुछ कह पाती।।
मन में कुछ डर सा छाया,
मोहमाया ने डेरा जमाया।
लेकिन कब तक चुप रहूँ मैं?
अब मुझे भी सुनेगें,
कुछ मेरी भी कहेंगे।
मैं भी हूँ इक अहं किनारा।।
अब ये ना सोचूँ करना क्या है?
बस ये सोचूँ क्या कर पाऊँ।
ये ना सोचूँ राह कहाँ है,
बस ये सोचूँ पार है जाना।।

ग्राम ग्वाड़

मीना बिष्ट

मेरे गाँव, ग्वाड़, का महिला संगठन बहुत पुराना है। गाँव के सभी निवासी मिलजुल कार्य करते हैं तथा दुःख–सुख में एक–दूसरे का साथ देते हैं। महिलाओ का मुख्य कार्य गाय–भैंस पालन तथा खेती–बाड़ी है। इस गाँव में पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इस वजह से लोग सब्जी का उत्पादन करते हैं तथा बाजार पर कम निर्भर रहते हैं।

ग्रामवासी शिक्षा के प्रति बहुत जागरुक हैं। ग्वाड़ गाँव, जिला चमोली, में तीन विद्यालय हैं। सन् 2014 मे हाई–स्कूल से इन्टर कॉलेज का उच्चीकरण हुआ। पहले बच्चे पढ़ने के लिए दूर जाते थे लेकिन अब गाँव में विद्यालय होने से सुविधा हुई है।

महिलायें दिन भर घर और खेती के काम–काज में व्यस्त रहती हैं। जंगल से घास लाना होता है। सर्दियों के मौसम में महिलायें रात के तीन बजे घास काटने ऊँचे जंगलों में जाती हैं।

अंधेरा होने की वजह से जंगल में मुँह से टार्च पकड़ कर घास काटती हैं। जिस परिवार में महिला अकेली होती है वह ढंग से समयानुसार अपने बच्चों को खाना भी नहीं खिला पाती। घास की समस्या का असर है कि माँ को बच्चों की देखभाल का समय भी मुश्किल से मिलता है।

वैसे तो गाँव में खेती अच्छी होती है लेकिन अब जंगली जानवरों का आतंक होने से बदलाव आया है। लोगों ने आधी से ज्यादा जमीन बंजर कर दी है। जमीन के बंजर होने का मुख्य कारण है जंगलों का दोहन और क्षेत्र से शहरों की ओर पलायन। लोगों ने जंगलो का नाश किया। वहाँ पर अवैध कब्जा कर लिया, इससे जंगली जानवर मानव–बस्ती की तरफ आ रहे हैं। जंगलों से सटे हुए खेत बंजर हो गये हैं। इन खेतों मे घास भी नही होती। घास को भी बारहसिंगा खा लेते है। इसकी शिकायत वन–पंचायत में की गयी लेकिन कोई हल नहीं निकला।

यदि गंभीरता से सोचा जाए तो समझ में आता है कि खेती में हो रहे नुकसान के मूल में मानव की ही गलती है। यदि मनुष्य जंगलों को बेतरतीबी से नहीं काटता तो शायद जंगली जानवर खेतों की ओर नहीं आते। मानव ने उनके घरों को उजाड़ दिया, अब वे मानव के घरों को उजाड़ रहे हैं। इसके अलावा, ग्रामवासी सड़कों की ओर पलायन कर रहे हैं। वे सुविधा वाले स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। इससे नुकसान यह है कि जिस भूमि पर उत्पादन हो रहा था वहाँ मकान बना दिया। इससे अनाज की पैदावार प्रभावित हुई है। कम पैदावार होने से भी लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं।

मेरे गाँव मे किशोरियों की संख्या किशोरों से अधिक है। लड़कियों को उच्च शिक्षा दी जाती है। उन की शादी अठारह वर्ष के बाद ही होती है। गाँव के लोग सभी सामाजिक कार्यों जैसे–शादी, चूड़ाकर्म–संस्कार, नामकरण, गृह–स्थापन आदि मिलजुल कर करते हैं। सबसे ज्यादा योगदान परिवार की महिलायें देती हैं। साथ ही, महिलायें मिलजुल कर सामुहिक हित के कार्य करती हैं। जैसे–रास्तों को साफ करना। गाँव मे जब कोई पंचायती कार्य होते हैं तो लोग संगठन के माध्यम से कार्यों को पूरा करते हैं।

ग्वाड़ गाँव में लोग एक–दूसरे की मदद करते हैं। जैसे–गाँव में एक गरीब परिवार है। उस परिवार में माता–पिता और दो बच्चे हैं। एक बार, अचानक दोनों बच्चे बीमार हो गये। दोनों

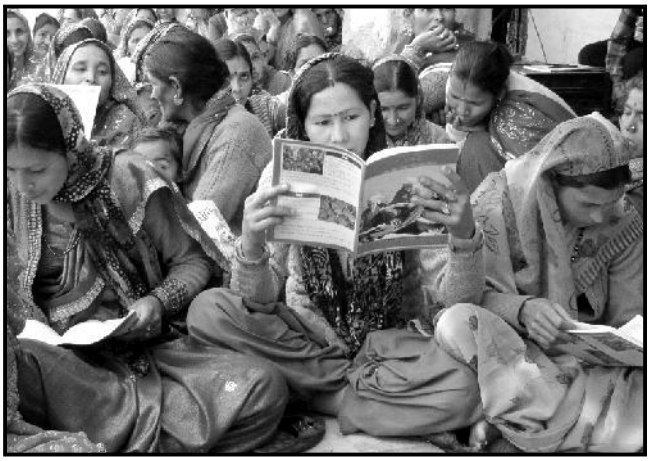

की रीढ़ की हड्डी में दर्द हो गया। दोनों भाई–बहन लगभग दो महीने तक बिस्तर पर लेटे रहे। पिताजी की आमदनी इतनी नहीं थी कि वे उनका इलाज करवा सकें। तब ग्रामवासियों ने अपनी–अपनी इच्छा से और सामर्थ्य के अनुसार उनके इलाज के लिए धन जमा किया। साथ ही, आस–पास के विद्यालयों और गाँवों से धन इकट्ठा करके बच्चों के इलाज में मदद की। आज वे दोनों भाई–बहन स्वस्थ हैं। इस तरह दुःख–कष्ट एवं गरीबी की स्थिति में सभी ग्रामवासी आपस में सहयोग करते हैं। एक–दूसरे की मदद धन से तो होती है, परस्पर मन का सहयोग और प्रेम भी जरूरी है। इसी प्रेम और भाई–बिरादरी की भावना से गाँव का जीवन चलता है। वर्ना गाँव और शहर में फर्क ही क्या रहेगा?

दन्यां क्षेत्र का साक्षरता कार्यक्रम

पुष्पा पुनेठा

उत्तराखण्ड महिला परिषद्, अल्मोड़ा के सहयोग से संस्था द्वारा दन्यां क्षेत्र के आठ गाँवों में साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया। इसमें लगभग आठ गाँवों की 185 महिलाओं को पूर्णतया साक्षर और शिक्षित करने का कार्य हुआ। कार्यक्रम की शुरूआत में संस्था के कार्यकर्त्ताओं ने आसपास के सभी गाँवों में जाकर गोष्ठियाँ की। महिलाओं व पुरूषों के विचार लिये। गाँवों में पुरूषों ने भी सहयोग दिया, महिलाओं का हौसला बढ़ाया। समस्त ग्रामवासियों ने साक्षरता केन्द्र खोलने के लिए सहमति दी।

गाँवों से केन्द्रों का संचालन करने के लिए चुनी गयी बहनें उत्तराखण्ड महिला परिषद्, अल्मोड़ा में गईं। वहाँ छः दिवसीय प्रशिक्षण हुआ। इस प्रशिक्षण में मार्गदर्शिकाओं और संचालिकाओं ने भाग लिया। उत्तराखण्ड महिला परिषद् ने काफी मेहनत से महिला साक्षरता और शिक्षण का पाठ्यक्रम बनाया है। सभी कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण लेने के बाद कार्यकर्त्ता गाँवों में वापस आये। सभी केन्द्रों में उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के कार्यक्रमों में ग्राम–प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, पंच, संगठन की अध्यक्षाएं, संस्था के प्रतिनिधि एवं उत्तराखण्ड महिला परिषद् के कार्यकर्त्ता सम्मिलित हुए। उत्साह के साथ महिला साक्षरता एवं शिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ। महिलाओं ने प्रार्थनाएं एवं स्वागत–गीत गाये। गाँव में बच्चे कहने लगे कि अब तो उनकी माँ–चाची भी स्कूल जाने लगी हैं।

धीरे–धीरे महिलायें साक्षरता केन्द्रों में आने लगीं। शुरूआत में उन्हें पेसिंल पकड़ना नहीं आया। वे उल्टा ''अ'' बनाती थी। चित्रांकन में सभी महिलाओं की खूब रूचि थी। अपने पसन्द के चित्र बनाती थीं। इस से पेंसिल और कलम पकड़ने का अभ्यास हुआ। साक्षरता केन्द्र खुलने का समय दोपहर में दो से पाँच बजे तक था। महिलायें घर का सभी काम निपटाने के बाद केन्द्र में आतीं। फिर अपनी–अपनी कापियाँ ढूँढती।

गौली गाँव की पचहत्तर वर्ष की एक महिला को इस कार्यक्रम में बहुत रूचि थी। वह काफी सुन्दर चित्र बनाती। फिर गाँव में और संस्था के कार्यकर्त्ताओं को दिखाती। अपना नाम लिखती, फिर खूब हँसती। वह कहती कि हमारे लिये केन्द्र बना है। हमें पढ़ना–लिखना सीखना है। उसे हर दिन केन्द्र में आता हुआ देखकर अन्य महिलायें भी आ जातीं। महिलाओं को साक्षरता पाठ्यक्रम में भाग–एक, भाग–दो, भाग–तीन की किताबों से काफी नयी जानकारियाँ हुईं। इन किताबों में पंचायत, मनरेगा, सूचना का अधिकार, जॉब–कार्ड, राशन–कार्ड, पेंशन, बैंक में खाता खोलने सम्बन्धी काफी जानकारियाँ हैं।

केन्द्र में कुछ साक्षर महिलायें भी आती थीं। वे किताबों से किसी एक अध्याय को पढ़कर सभी महिलाओं को सुनाती। केन्द्र में उपस्थित अन्य सभी महिलायें ध्यान से सुनती और उसके बाद पढ़े गये अध्याय पर चर्चा करती। इन किताबों से महिलाओं ने बैंक का फार्म भरना, पैसा निकालने एवं जमा करने हेतु जानकारी ली। राशनकार्ड में हर माह का राशन चढ़ा है या नहीं, यह देखना सीख गयीं। पेंशन–सम्बन्धी कागज बनाना सीखा। बैंक और पोस्ट–ऑफिस में जाकर खाते में पेंशन आई है या नहीं, इसकी जानकारी लेने लगी। महिला साक्षरता एवं शिक्षण कार्यक्रम का मतलब केवल महिलाओं को साक्षर करना नहीं है बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। इस पाठ्यक्रम से पढ़ाई के साथ–साथ महिलाओं का सामाजिक शिक्षण भी हुआ है।

महिलायें गोष्ठियों में अपने गाँव और संगठन के बारे में चर्चा करती हैं। मंच पर जाकर नाटकों के माध्यम से क्षेत्र की समस्याएं बताती हैं। भाषण देती हैं। महिलाओं में काफी आत्मविश्वास आया है। उन्हें अक्षर–बोध भी हो गया है। कुछ महिलायें कहानी की किताबें पढ़ती हैं। साथ ही, उन्हें आवेदन–पत्र लिखने की जानकारी हुई है। गाँव की कुछ महिलायें

शिक्षा–समिति व स्वास्थ्य–समिति की गोष्ठियों में जाती हैं। वे पहले अंगूठे का निशान लगाती थीं लेकिन अब हस्ताक्षर करने लगी हैं। यह सब साक्षरता–कार्यक्रम की देन और महिलाओं की स्वयं की मेहनत और लगन से संभव हुआ है। उत्तराखण्ड महिला परिषद् के सहयोग से यह कार्यक्रम दन्यां क्षेत्र में तीन साल तक चला। इस कार्यक्रम से महिलाओं में स्वयं की शिक्षा के प्रति काफी जागरूकता आई।

आज के बदलते परिवेश में शिक्षित होना जरूरी है। दन्यां के आसपास हर गाँव में महिला संगठन बने हैं। महिलायें माह में एक बार गोष्ठी करती हैं। कोष में रूपया जमा करती हैं। कुछ पूँजी इकट्ठा हो जाने के बाद गाँव की जरूरत का सामान खरीदती हैं। कोष से आन्तरिक–ऋण लेती हैं और बाद में ब्याज सहित पैसा लौटा देती हैं। महिला संगठनों की सदस्याओं को समय–समय पर उत्तराखण्ड महिला परिषद् द्वारा आयोजित गोष्ठियों में अल्मोड़ा बुलाया जाता है। जहाँ पर उन्हें नई–नई जानकारियाँ मिलती हैं। इस तरह संगठन अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। भविष्य में भी उत्तराखण्ड महिला परिषद् के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं।

शिक्षा की आवश्यकता

मनीषा नेगी

मेरा नाम मनीषा नेगी है। मैं ग्राम चौण्डली, जिला चमोली, में पुस्तकालय–केन्द्र चलाती हूँ। यह पुस्तकालय शेप संस्था, बधाणी के सहयोग से चलता है। पुस्तकालय केन्द्र में जुड़कर मुझे बहुत सी नयी बातें सीखने को मिलीं। केन्द्र में बच्चे नियमित रूप से आते हैं। गर्मी के मौसम में विद्यालयों की छुट्टी के दिनों में बाहर से गाँव में आये हुए बच्चे भी पुस्तकालय में पढ़ने और खेलने के लिए आ जाते हैं। वे ग्रामीण बच्चों से जोड़ो–ज्ञान की सामग्री के उपयोग और क्रिया–विधि के विषय में पूछते हैं तो बच्चे उन्हें उत्साह से बताते हैं। इस प्रकार, सभी बच्चे खेल की सामग्री का उपयोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुलकर करते हैं। केन्द्र कहानियों की किताबों से भरा रहता है। विद्यालय की किताबों से अलग साज–सज्जा और रूचिपरक कथाओं से भरपूर इन पुस्तकों को बच्चे–बूढ़े सभी पढ़ना पसंद करते हैं। जिन बच्चों को पढ़ना नहीं आता, वे चित्रों को देखकर लाभ उठाते हैं। बच्चे पुस्तकालय केन्द्र में खुश रहते हैं। खास कर, चित्रांकन का कार्य बहुत मनोहर ढंग से करते हैं।

पुस्तकालय केन्द्र में नियमित रूप से अखबार आता है। अखबार को गाँव के बुजुर्ग व युवा भी पढ़ते हैं। गाँव की ही दो–तीन महिलायें पढ़ने के लिए किताबें घर ले जाती हैं। खेती के काम की वजह से महिलायें पुस्तकालय केन्द्र में कम आती हैं। केन्द्र में बच्चे अधिक संख्या में आते हैं। बच्चों के उत्साह की वजह से पता नहीं चलता कि कब समय बीत गया। पहले से मैं स्वयं ही कभी अखबार नहीं पढ़ती थी। जब से पुस्तकालय केन्द्र में कार्य कर रही हूँ तब से अखबार पढ़ने में मेरी रूचि बनी है।

घुघुतिया त्यौहार को लेकर उत्साह

सीमा मेहता

माघ माह में मकर संक्राति के दिन मनाए जाने वाले घुघुतिया त्यौहार को लेकर मेरे गाँव कानिकोट, जिला चम्पावत, में भारी उत्साह देखा जाता है। शाम को लोग गुड़ डाल कर गूँथे गये मीठे आटे से घुघुते तैयार करते हैं। मीठे आटे से टेढ़े–मेढ़े घुघते और दाड़िम का फूल, हुड़के, अगुकाट, तलवार–ढ़ाल, तारा जैसी अनेक आकृतियाँ बनाते हैं। इन्हें तल कर माला के रूप में पिरो लेते हैं।

अगली सुबह बच्चे गले में घुघुते की माला डालकर ''काले कौआ काले, घुघता माला खाले'' की आवाज लगाकर कौओ को बुलाने का प्रयास करते हैं। कुछ बच्चे कौए को बुलाते हुए कहते हैं, ''ले कौआ घुघुति। तू खाले पूरी, मी देले छूरी।'' ''आजा कौआ आजा, घुघुति माला खाजा।'' ''ले कौआ बड़ा, मी देजा सोने का घड़ा।''

इस त्यौहार के दिन महिलायें अपने मायके जाती हैं। उत्तराखण्ड में घुघुतिया का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन कौवे को पूरी और प्रसाद आदि खिलाने से मृतात्माएं तृप्त होती हैं, घर में सुख और शान्ति आती है।

मकर–संक्रांति के अवसर पर हर घर में बच्चों को स्नान करवाया जाता है। तिलक लगाकर गले में घुघुती की माला डाली जाती है। ग्रामीण अंचलों में इस पर्व को लेकर अभी भी काफी उत्साह रहता है। इस दिन बच्चे सुबह से ही कौवे का इंतजार करने लगते हैं, एक–दूसरे को बधाई देते हैं। घर में घुघुते के साथ–साथ पूरी, बाबर, मीठी पूरी, बड़ा आदि अनेक प्रकार के पकवान बनाये जाते हैं।

दहेज की समस्या

अनीता आर्या

मैं कक्षा नौ की छात्रा हूँ। ग्राम बेलक, जिला अल्मोड़ा, में रहती हूँ। हमारे गाँव में किशोरी संगठन बना तो मैं भी कार्यशालाओं में भाग लेकर जीवन–कौशल से जुड़ी बातों को समझने लगी। इस लेख में दहेज के विषय में अपने विचार स्पष्ट करना चाहती हूँ।

विवाह एक बन्धन है लेकिन आधुनिक समाज ने इसे एक समस्या बना दिया है। दहेज की वजह से विवाह संपन्न होना एक बाधा बन गई है। दहेज–प्रथा नारी जीवन की समस्या बन गई है। आज हर दिन समाचार–पत्र दहेज की समस्याओं से भरे रहते हैं। इसकी मूल वजह यह है कि कई परिवार अपनी बेटियों को पूर्णतया शिक्षित नहीं करते। अगर वह उन्हें पढ़ाते और सामाजिक शिक्षण भी करते तो बेटी स्वयं अपने हक की लड़ाई लड़ पाती।

आज भारत में करोड़ों महिलायें ऐसी हैं जिनके जीवन में नित्य ही हिंसा की घटनाएं होती रहती है। ससुराल में परिवारजन नयी बहुओं से कहते हैं कि दहेज नहीं आया तो उन्हें जला देगें, मार देगें। पता नहीं, यह दहेज प्रथा कब खत्म होगी। इसके कारण कितनी मासूम जानें जा चुकी हैं। दहेज प्रथा खत्म हो पाना इसलिए कठिन है क्योंकि लोग बहुत स्वार्थी होते हैं। वे धन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस संबंध में यह कविता अत्यंत प्रासंगिक है:

बेटे हँसते है, बेटियाँ रोती हैं
बेटे मिलते है, बेटियाँ खोती हैं।।
क्या बेटियाँ इंसान नहीं
क्या बेटियों को जीने का अधिकार नहीं?
बेटियाँ दुर्गा हैं, सरस्वती हैं
बेटियों को पढ़ाओ।।
क्या बेटियाँ इंसान नहीं
क्या उनका कोई मान नहीं?

ग्राम काण्डई

सिद्धि नेगी

ग्राम काण्डई, जिला चमोली, में महिला संगठन सन् 1970 के दशक में ही बन गया था। इस गाँव की स्त्रियों ने चिपको आंदेलन के दौरान योगदान दिया था। यह संगठन पुराना तो है पर धीरे–धीरे एकता कम हो गयी। वर्ष–भर में महिलायें कभी–कभार गोष्ठियाँ करती थीं। जब कभी गोष्ठी होती तो गाँव की कुछ ही महिलायें उपस्थित होतीं। जब गोष्ठी में ना आने का कारण पूछा जाता तो कहती कि फायदा नहीं हैं। गोष्ठी में आने से क्या मिलेगा, ऐसा सोचती। तथापि कुछ महिलायें ऐसी थी जो बैठकों में निरंतर चर्चा करती और दैनिक–कार्य भी समय से निपटा लेती थीं। वे गोष्ठी में आकर गीत–भजन गाती, सुख–दुःख की बातें करती और संगठन की मजबूती के लिए प्रयासरत रहतीं। संगठन में सभी महिलाओं को जोड़ने के लिए प्रयास करतीं।

जब ये महिलायें गोष्ठी के बाद घर वापस जाती तो आपस में गाँव के विकास के बारे में चर्चा करती। गोष्ठी में जिन मुद्दों पर चर्चा होती उन्हें रास्ते में चलते–चलते, जंगल आते–जाते और घर पर अन्य लोगों को बतातीं। महिलाओं की समस्याओं पर बातचीत करतीं। जो महिलायें गोष्ठी में नहीं आती थीं वे भी समझ लेती कि गोष्ठी में भाग लेने से अनेक जानकारियाँ मिलती हैं। इस तरह, धीरे–धीरे सभी महिलाओं की यह सोच बनी कि क्यों न वे भी कम समय के लिए ही सही गोष्ठियों में जरूर जायें। इस तरह, सभी महिलायें हर माह ग्राम–गोष्ठी में सम्मिलित होने लगी। संस्था ने भी इस दिशा में निरंतर प्रयास किये।

वर्तमान में महिला संगठन काफी अच्छा, मजबूत एवं स्नेह–प्रेम से भरपूर गठन बन गया है। प्रत्येक माह की पन्द्रह तारीख को बैठक होती है। गाँव की सभी महिलायें गोष्ठी में उपस्थित रहती हैं। संगठन में एकता होने से सभी महिलाओं में आपसी प्रेम रहता है। सभी महिलायें साथ–साथ घास, लकड़ी लेने जंगल में जाती हैं। यहाँ तक भी मैंने अपने गाँव में देखा है कि यदि किसी अकेली महिला को कहीं बाहर जाना हो तो गाँव की अन्य स्त्रियाँ उसके घर के सभी काम निपटा देती हैं। जैसे–घर में बँधी हुई गाय–भैंस को पानी देना, घास–चारा देना, पानी भरना आदि काम करके एक–दूसरे की मदद करती हैं। यह संगठन के माध्यम से ही संभव हो पाया है।

महिलायें समय एवं परिस्थितियों के अनुसार गाँव की समस्याओं को हल करती हैं। संगठन के नेतृत्व में सार्वजनिक चारागाह और जंगल बनाये गये हैं। श्रमदान के तहत रास्तों और झाड़ियों की सफाई जैसे सभी कार्य मिलकर किये जाते हैं। कभी कोई सरकारी योजना ना हो तो ग्रामवासी रास्ता स्वयं बनाते हैं। संगठन में एकता होने से लोगों की शक्ति बढ़ती है। शक्ति पैसे में नहीं बल्कि इन्सानों की एकता में होती है।

जब महिलायें गोष्ठी में सम्मिलित होने के लिए आती हैं तो सबसे पहले चेतना–गीत या फिर भजन गा कर शुरुआत करती हैं। मेरे गाँव की महिलायें प्रत्येक माह दस रुपये जमा करती हैं। इस धनराशि की एक पूँजी बन जाने के बाद आवश्यक सामुहिक हित की वस्तुएं को खरीदती हैं या फिर किसी गरीब परिवार में शादी के लिए रुपये दे देती हैं। उधार लेने वाले परिवार बाद में पैसा लौटा देते हैं। यह धन महिला संगठन के खाते में जमा किया जाता है।

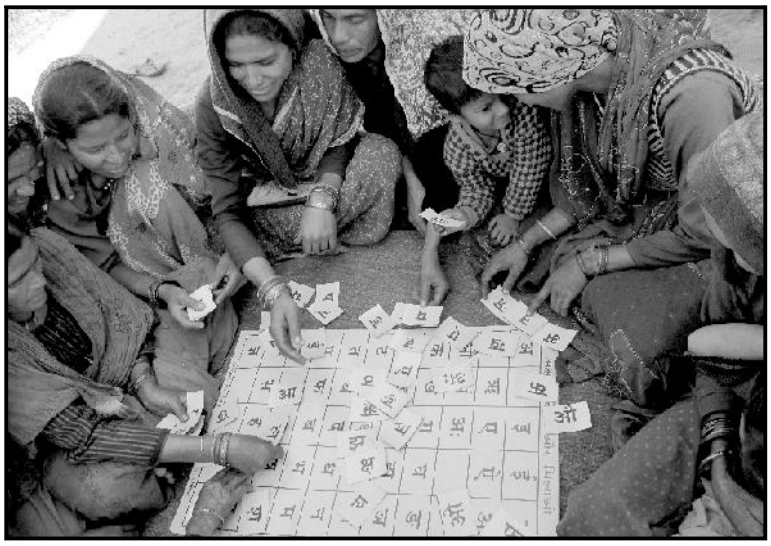

महिला संगठन हर गाँव मे होना चाहिये। इससे गाँव में तनाव की स्थिति उत्पन नहीं होती। अगर मन–मुटाव हो भी जाये तो संगठन की सदस्याएं बातचीत करके समस्याओं को सुलझा लेती हैं। संगठन होने से गाँव में आपसी भाई–चारे के रिश्ते बने रहते हैं। लोगों में प्रेम और जुड़ाव मजबूत होता है।

आज गाँव के सभी सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में महिलायें साथ–साथ जाती हैं। आपस में मिलकर खाना बनाती हैं, प्रेम से रहती हैं। संगठन के कारण ही महिलाओं की जिन्दगी में परिवर्तन देखने को मिलता है। दैनिक काम के अतिरिक्त कुछ महिलायें पुस्तकालय पढ़ने के लिए से पुस्तकें ले जाती हैं। प्रत्येक माह महिला संगठन की गोष्ठी होती है। महिलायें खुले मन से प्रतिभाग करती हैं। खुशी–खुशी अपनी बातें कहती हैं। संगठन की वजह से गाँव के सभी काम आसानी से हो जाते हैं। गाँव का संगठन काफी मजबूत बन गया है। क्षेत्र में संगठन की पहचान है और प्रतिष्ठा भी। सरकारी अधिकारी एवं अन्य गैर–सरकारी संस्थाएं भी दोगड़ी–काण्डई गाँवों के संगठन से प्रभावित हुए हैं।

नन्दा राजजात

कमलेश

मैं ईड़ा बधाणी गाँव, जिला चमोली, का निवासी हूँ। पिछले चार वर्षों से गाँव में शेप संस्था द्वारा संचालित पुस्तकालय केन्द्र का संचालन कर रहा हूँ। इस वर्ष, सितंबर 2014 में मेरे गाँव ईड़ा बधाणी में नंदा राजजात का आयोजन हुआ। नन्दा देवी राजजात का प्रथम पड़ाव ईड़ा बधाणी गाँव है। मैं इस आयोजन में स्वेच्छा से सुरक्षा वालंटियर के रूप में काम करता रहा। इस कार्य में जो अनुभव हुआ, उसी की चर्चा इस लेख में करूँगा। मैंने मुख्यतः मंदिर परिसर की सुरक्षा एवं गाँव में भगदड़ की रोकथाम के लिए प्रशासन की मदद का काम किया।

राजजात से पहले ग्रामवासियों ने अपने गाँव के देवी–देवताओं की पूजा की। कर्णप्रयाग

के कर्ण मंदिर में पेरूल देवता की मूर्ति स्थापित है। पेरूल देवता राजजात के समय हवा को बहा कर बारिश का रूख मोड़ देते हैं। यह देवालय अलकनंदा और पिण्डर नदी के संगम पर है। ग्रामवासियों ने राजजात की सफलता की कामना से पेरूल देवता की पूजा–अर्चना की। इसके बाद लाटू देवता (बारिश के देवता) की पूजा की। लाटू देवता का मंदिर चौण्डली गाँव के निचले हिस्से और बधाणी गाँव के बीच घने जंगल में स्थित है। नन्दा देवी की पूजा कांसुवा कुबरों के द्वारा की जाती है। पुजारी राजगुरू नौटी के नौटियाल हैं।

नियम और समय के अनुसार नन्दा देवी राजजात अठारह अगस्त 2014 को नौटी से बधाणी गाँव में आयी। भक्तों की संख्या काफी बढ़ गयी थी। भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति ने सुरक्षा व्यवस्था ठीक की। इसमें तीन समितियाँ बनाई गयीं। पहली समिति का काम था मंदिर के भीतर की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना। दूसरी समिति का काम था भक्तों, अतिथियों, पर्यटकों, जिज्ञासुओं आदि के खाने एवं रहने की व्यवस्था करना। तीसरी समिति सुरक्षा समिति थी। इस समिति का काम था, मंदिर की सुरक्षा एवं देवी–देवताओं और भक्तों की सेवा करना। सुरक्षा समिति और प्रशासन का साथ–साथ काम करना सुनिश्चित किया गया।

जब नन्दा देवी राजजात का आगमन ईड़ा–बधाणी गाँव में हुआ तो भक्तों की संख्या लगभग पन्द्रह से बीस हजार तक होने का अनुमान था। जब नन्दा देवी बधाणी गाँव में आयी तो

भीड़ की वजह से देवी को मंदिर में पहुँचते हुए लगभग तीन घण्टे का समय लगा। इसके बाद सभी भक्तों के खाने–पीने की व्यवस्था भण्डारे के माध्यम से की गयी। भण्डारे की व्यवस्था इस प्रकार से थी–

1. रामलीला कमेटी, कर्णप्रयाग, का भण्डारा
2. शांति कुंज, हरिद्वार, का भण्डारा
3. टैक्सी यूनियन, कर्णप्रयाग, का भण्डारा
4. यूथ क्लब, कर्णप्रयाग, ने जूस एवं फलों की व्यवस्था की।

नन्दा राजजात के सफल संचालन में सभी ग्रामवासियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मंदिर की सुरक्षा के लिए सुरक्षा वालंटियर बने। इसमें गाँव के सभी युवा साथी सम्मिलित थे। मंदिर परिसर में जगह कम होने के कारण सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। भक्तों को देवी के दर्शन कराने के लिए कतारें बनायी गयी थीं। सभी भक्तों को एक–एक करके दर्शन करने का अवसर मिला। चौसिंगा–खाडू और राज छंतोली के दर्शन रात साढ़े नौ बजे के बाद बंद कर दिये गये। उसके बाद रात दस बजे से जागरण का आयोजन हुआ। लोक संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड के कलाकारों ने नन्दा–जागरण प्रस्तुत किया। जागरण–मंच, कर्णप्रयाग के प्रतिनिधि संजय डिमरी ने सुबह चार बजे तक नन्दा के भजनों की प्रस्तुति दी। सुबह चार बजे सभी युवाओं ने मिलकर चाय बनायी और भक्तों को दी।

उन्नीस अगस्त नन्दादेवी की विदाई का दिन था। जैसे ही पौ फटी, हम सभी वालंटियर प्रशासन के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था संभालने में जुट गये। सुबह छः बजे भक्तजन दर्शनों के लिए लम्बी कतारों में खड़े हो गये। हमने प्रत्येक भक्त को राज छंतोली और चौसींगा खाडू के दर्शन करने में मदद की। मंदिर–समिति ने प्रसाद वितरण किया। प्रशासन का पूरा सहयोग सभी ग्रामवासियों को मिला। नगर पंचायत, कर्णप्रयाग, ने सफाई की व्यवस्था की। गाँव में सुलभ शौचालयों की भी व्यवस्था की गयी थी। उस रात बिजली की रोशनी से पूरा गाँव जगमगा रहा था।

धीरे–धीरे वह पल आ गया जब माँ नन्दा हमारे गाँव से विदा होने लगी। हम सभी ग्रामवासियों और सुरक्षा वालंटियरों की आँखों से आँसू आने लगे। हमें यह अहसास हुआ कि अपनी बेटी और बहन को विदा कर रहे हैं। हम सभी ग्रामवासी देवी को विदा करने के लिए जुलूस के साथ–साथ रिठोली गाँव तक गए। जैसे–जैसे यात्रा और पड़ाव आगे बढ़े,

व्यवस्था की खामियाँ भी दिखाई दी लेकिन भक्तों ने यही कहा कि जैसी व्यवस्था ईड़ा बधाणी गाँव में थी, वह जन सहयोग और भाईचारे का अनोखा उदाहरण है।

दिनाँक तीन सितम्बर, 2014 को ईड़ा बधाणी गाँव में नन्दा पाती का आयोजन किया गया। राजजात यात्रा के दौरान उल्लेखनीय सहयोग देने वाले भक्तों को ईड़ा बधाणी की मंदिर समिति ने पुरस्कार दिया। पुरस्कार में प्रशस्ति–पत्र और प्रसाद दिया। उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग ने राजजात के सफल समापन के लिए ग्रामवासियों और युवा वालंटियरों का धन्यवाद किया। प्रशासन ने युवाओं को तीन हजार रूपये का नकद पुरस्कार दिया। पुरस्कार की राशि प्राप्त करते हुए ईड़ा बधाणी के ग्रामवासी गर्व से भर उठे। खासकर, युवाओं ने नन्दा राजजात यात्रा के सफल संचालन के लिए स्वैच्छिक तौर पर, उमंग से भरे हृदय लिए, जो कार्य किया वह काबिले–तारीफ था।

महिला संगठन धुमरौली

राधा खनका

विकासखण्ड कनालीछीना के ग्राम पंचायत गोबराड़ी का एक राजस्व गाँव धुमरौली है। इस गाँव में सोलह परिवार रहते हैं। गाँव मुख्य सड़क से सात किमी की दूरी पर बसा हुआ है। धुमरौली गाँव में रास्ते दस प्रतिशत तक भी नहीं बने है। सन् 2008 में उत्तराखण्ड महिला परिषद् की सदस्या काली दीदी ने उस गाँव के बारे में संस्था को बताया। उन्होंने कहा कि धुमरौली में बालवाड़ी खोलने की आवश्यकता है। संस्था के कार्यकर्त्ता गाँव में गये। ग्रामवासी उन्हें देख कर बहुत खुश हो गये।

गाँव में बालवाड़ी खोलने के लिए बैठक की गयी। बैठक में शिक्षिका व स्थान का चयन ग्रामीणों ने स्वयं किया। मल्ला धुमरौली की निवासी नीमा देवी ने बताया कि उनके छोटे–छोटे बच्चे पाँच किमी दूर मुवानी कस्बे के एक विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं। विद्यालय और गाँव के बीच में चीड़ का जंगल है। जंगल में बाघ, बन्दर, सुअर के भय से रोज एक आदमी बच्चों के साथ आता–जाता है। चार बच्चों के साथ एक आदमी का दिन बर्बाद हो जाता है। दिन–भर मन में डर समाया रहता है। जब बच्चे घर पहुँचते हैं, तभी अभिभावक चैन की साँस लेते हैं। दूर

विद्यालय तक आने–जाने में बच्चे थक जाते हैं। शाम को थकान के कारण ना चैन से खाना खाते हैं, ना ही पढ़ पाते हैं।

एक दिन बच्चे चीड़ के जंगल में पहुँचे ही थे कि आँधी आनी शुरू हो गयी। हवा की गति बहुत तेज थी। बच्चों को सँभालना मुश्किल हो गया। आँधी की वजह से पेड़ गिर रहे थे। बच्चों की माताएँ रास्ते में दौड़ती चली आयीं। वे उन्हें आवाजें दे रहे थीं। जंगल में आगे की ओर भाग रही थीं। इसी बीच हवा के कारण पेड़ तेजी से गिरने लगे। इतनी धूल थी कि आँखे खोलकर देख नहीं सकते थे। यह क्रम करीब आधा घण्टा चला। इस घटना से डर कर बच्चे बीमार पड़ गये। नीमा देवी ने रोते–रोते यह कहानी संस्था के प्रतिनिधियों को सुनाई। ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं, यह कहा।

जब बालवाड़ी खुली तो ग्रामीणों में काफी उत्साह था। बालवाड़ी में नियमित रूप से बारह बच्चे आने लगे। कम परिवारों का गाँव होने के कारण वहाँ ना तो प्राथमिक विद्यालय था, ना ही आँगनवाड़ी। बालवाड़ी खोलने के बाद महिला संगठन बनाया। मासिक बैठकों में महिलायें रास्ते तथा पानी की समस्या बताती थीं। उसी वक्त, गाँव के ही निवासी श्री श्याम सिंह जी ग्राम–प्रधान बने। उन्होंने विकास–खण्ड में जाकर पानी की समस्या रखी। उसी क्षेत्र में किसी ने लिखकर दे दिया कि गाँव में पर्याप्त पानी है। इस गाँव में पानी की कोई योजना नहीं चाहिए। पानी की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो रही है। यह बात महिलाओं ने सुनी तो वे परेशान हो गयीं। गर्मी के मौसम में नीचे गधेरे (छोटी नालेनुमा नदी) से पानी लाकर जानवरों को पिलाना, बर्तन धोना, घर की सफाई करना, कपड़े धोना आदि सभी कामों के लिए पानी की निरंतर जरूरत बनी रहती थी। गाँव में एक ही नौला (जल स्रोत) था। उस स्रोत में रात–भर में दस से पन्द्रह गगरी पानी जमा हो पाता था। जो रात में बर्तन लेकर जल स्रोत तक चला जाये उसे पानी मिलता था। ग्रामवासी पेयजल के लिए निरंतर चिंतित रहते थे।

गाँव में उत्तराखण्ड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान अल्मोड़ा के आर्थिक सहयोग से टंकी का निर्माण किया गया। एक गधेरे में थोड़ा पानी बहता था। महिलाओं ने वहाँ पर टंकी बनाने को कहा। संस्था ने मना किया क्योंकि वहाँ जाने के लिए झाड़ियों का एक बड़ा झुरमुट पार करना होता था। रास्ता नहीं बना था। वह स्थान पत्थरों से भरा हुआ था। संगठन की गोष्ठी में बात करके महिलाओं ने झाड़ियाँ काट दीं। मिट्टी खोद कर रास्ता बनाया, रोड़ी–बजरी इकट्ठा की। श्री राम सिंह जी ने टंकी बनाने की जिम्मेदारी ली। टंकी बन जाने से पानी की समस्या से निजात मिली। वर्तमान में ग्रामवासी जब भी टंकी तक जायें, पेयजल मिल जाता है। महिलाओं का कहना है कि पेयजल अभी भी दूर है। यदि इस टंकी में पाइप लगाकर गाँव के ऊपर एक बड़ी टंकी बनायी जाती तो जल और आसानी से उपलब्ध होता, समय भी बचता। इसके लिए उन्होंने ग्राम–प्रधान से निवेदन किया है। यदि संस्था से आर्थिक सहयोग मिल जाता तो वे अपनी जरूरत के अनुसार अच्छा काम करतीं और पेयजल की समस्या दूर हो जाती।

शिक्षण का एक तरीका यह भी

नीता भट्ट

जब मैं पहली बार बालवाड़ी के संचालन के लिए मुनौली गाँव के केन्द्र में गयी तो पूर्व शिक्षिका साथ में थी। उन्होंने बच्चों को प्रार्थना करवायी, भावगीत किया। मैंने सोचा कि ये शिक्षिका तो बच्चों को पढ़ा नहीं रही है। नाच–गाना करा रही है। मैं ये सब देख रही थी। दूसरे दिन जब मैं अकेले ही बालवाड़ी में पहुँची तो सोच रही थी कि बच्चों को नाच–गाना कैसे कराऊँगी?

हिम्मत जुटाकर मैंने बालवाड़ी के कमरे की साफ–सफाई शुरू की। झाड़ू लगाया। तब तक बच्चे नहीं पहुँचे थे। जब बच्चे आये तो मुझे देखकर डरने लगे। अपनी माँ से घर जाने के लिए जिद करने लगे। मैंने प्यार से उन्हें भीतर बुलाया। जब वे केन्द्र के अन्दर आकर बैठे तो सभी मेरी ओर आशापूर्ण दृष्टि से देखने लगे।

मैंने बच्चों को प्रार्थना कराई। उसके बाद भावगीत किया। बच्चे खुश होकर गीत गाने लगे। तब मैंने जाना कि बालवाड़ी में बच्चों का शिक्षण खेल–खेल में होता है। अब बच्चों के साथ

नाच–गाना करना भी अच्छा लगता है। शुरूआत में भावगीत के समय बच्चों ने मेरी बहुत मदद की। जहाँ पर मैं स्वयं भावगीत के बोल भूल जाती, वहाँ पर बच्चे ही उसे पूरा कर देते थे। भावगीत तो मैंने बच्चों से ही सीखे। बच्चे भावगीत को इतनी लगन और उत्साह से करते कि किसी का मन भी नाचने को करने लगे। बालवाड़ी के संचालन से मैंने बहुत ज्ञान अर्जित किया। बच्चों के साथ समय कैसे बीत जाता, पता भी नहीं चलता है।

पहाड़ी गीत

महिला संगठन, गोगिना

रंगीलो पहाड़ो, मी उत्तराखण्डी छौं
जिला बागेश्वरा, गोगिना रौणी छौं।।
ठंड हवा, ठंड पाणी, यो मेरो गोगिना
कस कस मन लागौं, नी मरिना मौन।।
रंगीलौ पहाड़ो, मी उत्तराखण्डी छौं
जिला बागेश्वरा, गोगिना रौणी छौं।।
हरिया मैं हू लाल छू दूवाटा
गोगिना बे देखिन न छू शामणी हिमालया।।
रंगीलो पहाड़ो, मी उत्तराखण्डी छौं
जिला बागेश्वरा, गोगिना रौणी छौं।।
चारौ तरफ में छौ यो मेरो गोगिना
बिच में महरो छू भगवती मंदिरा।।
रंगीलो पहाड़ो, मी उत्तराखण्डी छौं
जिला बागेश्वरा, गोगिना रौणी छौं।।

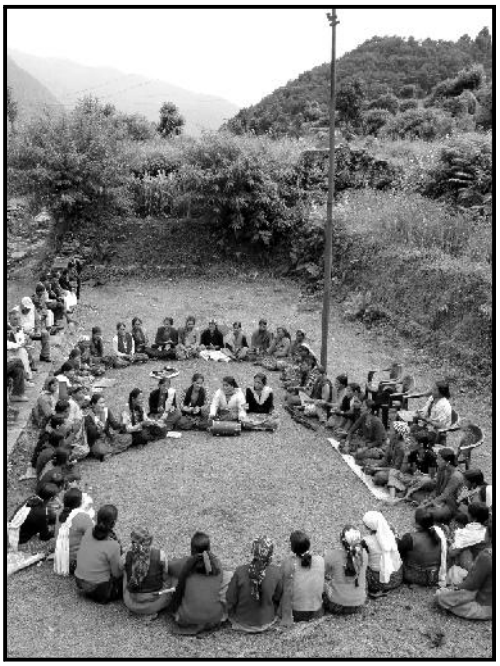

गोगिना क्षेत्र की महिलाओं का यही कहना है कि जब हम महिला साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र और संगठन से जुड़े हैं तो इस काम को मजबूत करने का वादा करते हैं। सभी महिलायें संगठन में जुड़ेंगी, एकता मजबूत करेंगी तो आगे बढ़ती जायेंगी। इसी से गाँव का विकास होगा।

पुस्तकालय केन्द्र झुरकण्डे

लक्ष्मी भण्डारी

मेरा नाम लक्ष्मी भण्डारी है। मैं शेप संस्था बधाणी कर्णप्रयाग के सहयोग से झुरकण्डे गाँव में पुस्तकालय चला रही हूँ। पुस्तकालय में गाँव के सभी बच्चे पढ़ने के लिये आते हैं। गाँव के बड़े–बुजुर्ग, युवा एवं महिलायें भी पुस्तकालय में आते हैं। ग्रामवासी अखबार व पत्रिकाएं पढ़ते हैं। बच्चे जोडो–ज्ञान, रंगो–मेट्री, डाइस ब्लॉक आदि से गणित सीखते हैं। बच्चों को जोडो–ज्ञान सम्बन्धी सभी गतिविधियाँ करवायी जाती हैं। पुस्तकालय में आस–पास के गाँवों के बच्चे भी आते हैं तथा किताबें पढ़ने के लिए घर ले जाते हैं। इससे उन्हें सामान्य ज्ञान तथा देश–विदेश की घटनाओं के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं।

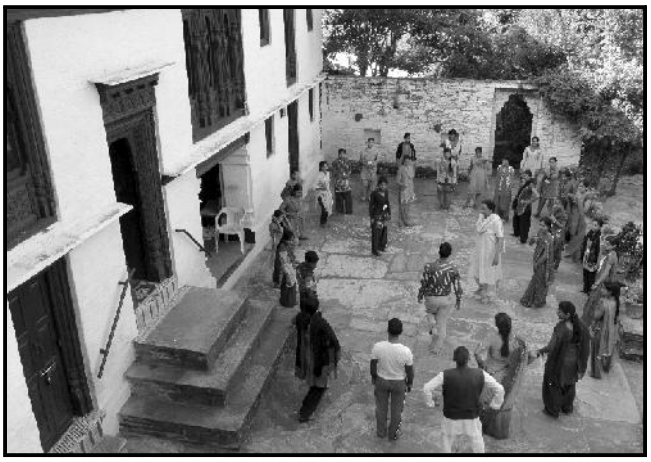

पुस्तकालय के खुलने से बच्चों को बहुत लाभ हुआ है। पहले वे शाम को यूँ ही गाँव में इधर–उधर भटकते रहते थे। पुस्तकालय खुलने से केन्द्र में आने लगे। समय का सदुपयोग हुआ तथा अलग–अलग उम्र के बच्चों ने मिलजुल कर रहना सीखा। केन्द्र में बच्चों के लिए खेलने की सामग्री जैसे–रस्सीकूद, बैडमिन्टन, कैरम, लूडो, रिंगबाल आदि रहती है। पुस्तकालय केन्द्र सड़क से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कभी–कभी बच्चे खेलने के लिए सड़क में भी चले जाते हैं।

बच्चे चित्रांकन बहुत शौक से करते हैं। पुस्तकालय के माध्यम से सामान्य ज्ञान, सुलेख आदि प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। पुस्तकालय से सभी ग्रामवासी खुश हैं तथा सहयोग देते हैं। आसपास के निवासी तथा अध्यापक भी पुस्तकें लेने और दैनिक गतिविधियाँ देखने के लिए आते हैं।

मुझे पुस्तकालय में बच्चों के साथ काम करना और उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता है। प्रशिक्षण के दौरान हमें अल्मोड़ा जाने का मौका भी मिलता है। प्रशिक्षण में सभी कार्यकर्त्ता मिलजुल कर काम करते हैं तथा खुश रहते हैं। प्रशिक्षण के दौरान पुस्तकालय में सामग्री का रख–रखाव तथा शिक्षण के तरीकों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई सभी कार्यकर्त्ताओं की इस विषय पर अच्छी समझ बनी है।

ग्राम टोली सुन्दर गाँव

अन्जू सगोई

मेरे गाँव, टोली सुन्दर गाँव, की महिलाओं का बहुत विकास हुआ है। कुछ साल पहले जब मैं बच्ची ही थी तो गाँव में हम सभी यूँ ही इधर–उधर घूमते रहते थे। जब से हमारे गाँव में बालवाड़ी केन्द्र खुला तो बच्चे नयी–नयी आदतें और व्यवहार सीखने लगे। वे अनेक प्रकार के गीत–खेल सीखते थे। महिलायें संगठन की बैठकों में हिस्सा लेतीं और सामुहिक विकास के लिए कार्य करती थीं। संगठनों की बैठकों में भाग लेते हुए महिलाओं ने सार्वजनिक क्षेत्र में बोलना सीखा। विकास के मुद्दों पर विचार प्रकट करने लगीं। गढ़वाली बोली के साथ ही हिंदी भाषा के अनेक शब्द और छोटे–छोटे वाक्य बोलने लगीं। इससे सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों से बातचीत करने में मदद मिली। साथ ही, संगठन की सदस्याएं पंचायतों में भाग लेने लगी हैं।

अब गाँव की स्थिति बहुत सुविधा–जनक है। पहले गाँव में विवाद होने के कारण महिलाओं का संगठन नहीं बन पा रहा था। फिर भी गाँव में थोड़ा–बहुत मेलजोल था। अब सभी लोग एक–दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं। हमारे गाँव में जो व्यक्ति गलत काम करता है उससे दंड लिया जाता है। इस तरह, जमा हो रहे धन से ग्रामवासी गाँव की पंचायत के लिए बर्तन, बाल्टी, गिलास, कटोरियाँ इत्यादि सामान खरीदते हैं। गाँव में अब अच्छा विकास हो रहा है।

बालवाड़ी से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता हैं। उन्हें रोज बालवाड़ी जाने की आदत हो जाती है। बाद में वे रोज विद्यालय जाने लगते हैं। बालवाड़ी में शिक्षण के बाद जब बच्चे विद्यालय में जाते हैं तो वे पहले से ही बहुत सी गतिविधियाँ सीख चुके होते हैं। इस वजह से उन्हें विद्यालय की पढ़ाई करने में कठिनाई का अनुभव नहीं होता। बालवाड़ी से निकलकर विद्यालयों में जा रहे बच्चे खेल–गीत, नाटक–कविता आदि गतिविधियों में भी आगे रहते हैं।

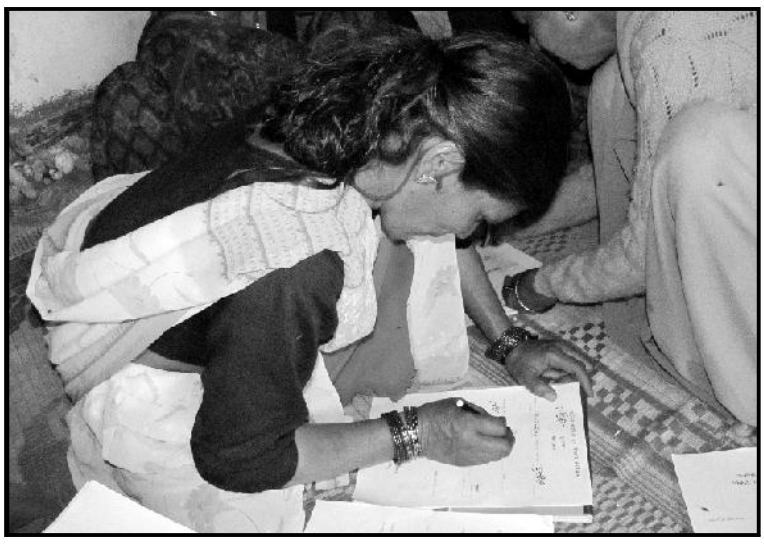

पंचायतों में जन–भागीदारी बढ़ाने के लिए एक अभियान

सरोज महरा, बची सिंह बिष्ट

इस वर्ष शैक्षणिक ग्रामोन्नति समिति गणाई–गंगोली, जिला पिथौरागढ़, के तत्वाधान में महिला संगठनों एवं पंचायतों को आपस में जोड़ने एवं ग्रामोन्नमुख कार्यक्रम बना सकने की योग्यता बढ़ाने के उद्देश्य से एक अभियान की शुरूआत की गयी। इस अभियान के अन्तर्गत क्षेत्र में निरंतर गोष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में अक्टूबर–नवंबर 2014 को क्षेत्र के अनेक गाँवों में अनौपचारिक बातचीत एवं गोष्ठियों का आयोजन हुआ।

टुपरौली गाँव में आयोजित विमर्शशाला में ज्येष्ठ उप प्रमुख गंगोलीहाट, श्रीमती मीना गंगोला, एवं महिला ग्राम–प्रधान तथा पंच उपस्थित थे। टुपरौली, मवानी, ग्वाड़ी, फडियाली, रूंगड़ी, भन्याणी आदि गाँवों से संगठनों की चालीस सदस्याओं ने विमर्शशाला में भाग लिया। साथ ही, शैक्षणिक ग्रामोन्नति समिति और उत्तराखण्ड महिला परिषद् के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए। विमर्शशाला में निम्नांकित तीन मुद्दों पर चर्चा हुई:

- पंचायती राज का ढ़ाँचा एवं स्वरूप
- पंचायतों द्वारा रखे जा रहे प्रस्तावों का प्रारूप एवं स्त्री–केन्द्रित विकास के संदर्भ में उन की विवेचना
- संगठनों और पंचायती राज प्रतिनिधियों का तालमेल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो सकने वाले तरीके

विमर्शशाला में पंचैत (गाँव की परंपरागत पंचायतों का स्थानीय नाम) और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर की विवेचना की गयी। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा नागरिकों को अपना शासन लागू करने की मान्यता को पंचायती राज कानून के संदर्भ में कहा और समझा गया। इस विषय पर भी चर्चा हुई कि उत्तराखण्ड में उत्तर प्रदेश, 22 अप्रैल 1994 से लागू हुआ विधेयक जारी है। पंचायतों के तीनों स्तरों, यथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतों, के गठन और प्रतिनिधियों के चुनाव की प्रक्रिया पर चर्चा हुई।

महिला संगठनों की सदस्याओं ने पूर्व–पंचायतों द्वारा क्षेत्र में किये गये कार्यों पर जो

समझ विकसित की है उनमें खड़ंजा एवं रास्ते का निर्माण, मकान, पेयजल, पेंशन दिलाना, रोजगार कार्यक्रमों से मजदूरी सुनिश्चित करना आदि कार्य शामिल हैं। इस वर्ष, महिला संगठनों द्वारा ग्राम–पंचायतों की खुली बैठकों में भाग लेने के लिए विशेष यत्न किये जा रहे हैं। संगठनों से जुड़ी हुई पंचायत प्रतिनिधियों ने ग्राम विकास के लिए निम्नांकित प्रस्ताव सरकार को दिये हैं:

- पेयजल योजना
- मनरेगा से सौ दिन की मजदूरी सुनिश्चित किया जाना
- शौचालय निर्माण
- एकल (विधवा, परित्यक्ता आदि) एवं वृद्ध स्त्रियों को पेंशन की सुविधा
- गणाई–गंगोली क्षेत्र में चारा विकास के प्रयत्न
- जंगली जानवरों (सुअर, बंदर आदि) से खेतों एवं फसलों की सुरक्षा
- पशुपालन, गौशाला का निर्माण एवं रखरखाव
- आवास की व्यवस्था
- पंचायत भवन, बारात घर, जन–मिलन केन्द्रों का निर्माण

महिलाओं का मानना है कि उपरोक्त समस्याओं पर कार्य किये जाने से गाँवों की दशा सुधरेगी। प्रस्तावित योजनाओं को लागू करने के लिए जो व्यवस्था होगी उस पर काम करने के लिए संगठन प्रतिबद्ध हैं किंतु अभी महिलाओं की यह समझ नहीं बनी है कि वे काम करने के लिए अपनी तरफ से कोई व्यवस्था बना सकें। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना था कि वे प्रस्तावों को खुली बैठक में ''रख कर आई हैं'', आगे इस पर कैसे काम होगा, उन्हें नहीं मालुम। इस संदर्भ में अल्मोड़ा से विमर्शशाला में शिरकत कर रही रमा जोशी ने कहा कि, ''महिलाओं का स्वावलंबन और पोषण परिवार की समृद्धि का प्रथम कदम होता है। महिलायें स्वयं अपनी योग्यता बढ़ाने के बारे में सोचें और संगठन की तरफ से पहल करें।'' साथ ही, यह भी तय हुआ कि अल्मोड़ा में आयोजित कार्यशालाओं में इस मुद्दे पर मजबूती से काम करने के लिए प्रशिक्षण होगा।

विमर्शशाला में उपस्थित सभी गाँवों की स्त्रियाँ वन्य–प्राणियों द्वारा खेतों एवं फसलों पर लगातार किये जा रहे अतिक्रमण से परेशान हैं। इस चर्चा में रूंगड़ी गाँव की अध्यक्षा रेखा

डसीला, फडियाली गाँव की अध्यक्षा अनीता देवी और भन्याणी गाँव की अध्यक्षा विमला देवी सहित सभी महिलाओं ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया।

ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख, श्रीमती मीना गंगोला, ने चयनित महिला प्रतिनिधियों से पंचायतों में आने वाली समस्याओं पर विचार करने का अनुरोध किया। इस संदर्भ में संगठनों की सदस्याओं ने अनेक समस्याएं बताईं:

- राशन–कार्ड की व्यवस्था संबंधी समस्याएं, जैसे–गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर, अन्त्योदय–कार्ड आदि परिवार की वास्तविक स्थिति के आधार पर जारी नहीं हो रहे
- आवास एवं शौचालय–निर्माण की प्रक्रिया सरल एवं सुगम नहीं है। खासकर एकल महिलाओं को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है
- कृषि और दुग्ध–उत्पादन बढ़ाने के उपक्रम विकसित करने के लिए पंचायतों में विशेष कार्य करने की जरूरत है। सरकारी योजनाओं में इस विषय पर समग्र सोच का नितांत अभाव है
- महिलाओं एवं बच्चों के इलाज में ग्रामवासियों को विशेष सुविधाएं मिलने की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। इस प्रकार के यत्न अत्यंत जरूरी हैं क्योकि गाँवों में स्वास्थ्य सुविधाएं नगण्य हैं
- विकास संबंधी सरकारी योजनाओं की जानकारी गाँवों तक पहुँचती ही नहीं। जानकारी मिले भी तो उसकी हालत अत्यंत जीर्ण–शीर्ण रहती है। आधी–अधूरी जानकारी और तोड़–मरोड़ कर तथ्यों को पेश किये जाने की वजह से ग्रामवासी भ्रम में पड़े रहते हैं। सरकार की तरफ से इस दिशा में कोई ठोस प्रयत्न भी नहीं होते। इस दिशा में विशेष कार्य किये जाने चाहिए।

ज्येष्ठ उप–प्रमुख ने बताया कि ग्राम–सभा के प्रस्ताव ही मुख्य रूप से ब्लॉक की योजना का हिस्सा बनते हैं। महिला संगठनों द्वारा कही–समझी गई जरूरतों के आधार पर गाँवों से प्रस्ताव भेजे गये हैं। इस संदर्भ में श्री बची सिंह बिष्ट एवं श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट ने कहा कि प्रत्येक महिला संगठन को ग्राम बैठकों में अपनी समस्याओं पर प्रस्ताव बनाने, उन पर चर्चा करने का काम करना होगा। सभी संगठनों से मुद्दे उठेंगे तो सरकार पर कार्यवाही करने का दबाव बढ़ेगा। अभी भी पंचायतों को संपूर्ण अधिकार नहीं मिले हैं, इस वजह से ग्राम पंचायतों द्वारा की जा रही गतिविधियों में प्रशासन हावी रहता है। महिला–केन्द्रित विचारों और गतिविधियों को पंचायतों में पहुँचाने की आवश्यकता है जिससे गाँवों में दैनिक जीवन सहज हो सके।

--- XXX ---